

कक्षा-10

अर्थशास्त्र

भाग-2

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत।

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना के सौजन्य से सम्पूर्ण बिहार राज्य के निमित्त।

© बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

प्रथम संस्करण : 2014



मूल्य : ₹ 36.00

बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बुद्ध मार्ग, पटना-800001 द्वारा प्रकाशित तथा भवानी मुद्रणालय, पटना द्वारा 5,000 प्रतियाँ मुद्रित।

प्राक्कथन

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के निर्णयानुसार अप्रैल 2013 से राज्य के कक्षा IX एवं X हेतु ऐच्छिक विषयों का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इस संदर्भ में एस०सी०ई०आर०टी०, बिहार पटना द्वारा विकसित यह पुस्तक निगम द्वारा आवरण चित्रण कर मुद्रित की जा रही है।

बिहार राज्य में विद्यालयीय शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार, श्री जीतन राम मांक्षी, शिक्षा मंत्री, श्री वृशिण पटेल एवं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, श्री आर० के० महाजन के मार्गदर्शन के प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हैं।

बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों की टिप्पणियों एवं सुझावों का सदैव स्वागत करेगा, जिससे बिहार राज्य को देश के शिक्षा जगत में उच्चतम स्थान दिलाने में हमारा प्रयास सहायक सिद्ध हो सके।

दिलीप कुमार, आई.टी.एस.

प्रबंध निदेशक

बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम लि०

विद्युतचुम्बकत्व

विद्युत और चुम्बकत्व के बीच का सम्बन्ध 1820 में डेनिस डेविड एम्पियर द्वारा प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने देखा कि जब एक धातु की तार को चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो तार पर एक चुम्बकीय बल कार्य करता है। इससे स्पष्ट हो रहा था कि विद्युत धारा एक चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है।

इस प्रकार विद्युत धारा एक चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस चुम्बकीय क्षेत्र का प्रभाव चुम्बकीय पदार्थों पर पड़ता है। इससे स्पष्ट हो रहा था कि विद्युत और चुम्बकत्व एक ही सिद्धांत के अलग-अलग रूप हैं।

विद्युत और चुम्बकत्व के बीच का सम्बन्ध 1831 में माइकल फ़ैराडे द्वारा प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने देखा कि जब एक चुम्बकीय क्षेत्र को बदला जाता है तो एक धातु की तार में एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इससे स्पष्ट हो रहा था कि चुम्बकत्व एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।

विद्युत और चुम्बकत्व के बीच का सम्बन्ध

विद्युत और चुम्बकत्व के बीच का सम्बन्ध

विद्युत और चुम्बकत्व के बीच का सम्बन्ध

दिशा बोध

श्री अमरजीत सिन्हा, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

श्री राहुल सिंह, राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पटना

श्री हसन वारिस, निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना

डॉ. सैयद अब्दुल मुईन, विभागाध्यक्ष, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना।

डॉ. ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य, मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड मैनेजमेंट, हाजीपुर।

समन्वयक

डॉ० रीता राय, व्याख्याता, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् बिहार, पटना

लेखक समूह

श्री उपेन्द्र कुमार, राजकिशोर उच्च विद्यालय युसुफपुर, हाजीपुर, वैशाली

श्री ओम प्रकाश, धनेश्वरी देवनंदन कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, दानापुर, पटना

श्री आशीष कुमार, राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय, वीर औइआरा, पटना

श्रीमती प्रीति कुमारी, बलदेवा इण्टर उच्च विद्यालय, दानापुर, पटना

श्रीमती नाहिदा प्रवीण, उत्कर्मित म० वि० मोतीपुर, मुजफ्फरपुर

श्री कात्यायन कु० त्रिपाठी, प्रा० वि० बेलीटाल, गुलजारबाग, पटना

श्री अभय कुमार शर्मा, +2 जनता उच्च विद्यालय, कोरियावाँ, बेलागंज, गया

समीक्षक

डॉ. शंभू नाथ सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना।

डॉ. विनय कुमार लाल, अर्थशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना।

आमुख

यह पुस्तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में निर्मित नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की गई है। इस पुस्तक के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि "शिक्षा का मतलब बिहार के स्कूली शिक्षार्थियों को इतना सक्षम बना देना है कि वे अपने जीवन का सही-सही अर्थ समझ सकें, अपनी समस्त योग्यताओं का समुचित विकास कर सकें, अपने जीवन का मकसद तय कर सकें और उसे प्राप्त करने हेतु यथासंभव सार्थक एवं प्रभावी प्रयास कर सकें और साथ-ही-साथ इस बात को भी समझ सकें कि समाज के दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा ही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है"। "राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 हमें बताती हैं कि शिक्षार्थी के स्कूली जीवन और स्कूल से बाहर के जीवन में अंतराल नहीं होना चाहिए। किताब और किताब से बाहर की दुनिया आपस में गुँथी होनी चाहिए।

इस पुस्तक में शिक्षार्थियों की कल्पनाशक्ति के विकास, उनकी गतिविधियों की सृजनशीलता, उनके सवाल करने और उनका उत्तर पाने के मौलिक अधिकार के समुचित संरक्षण और उसे रचनात्मक दिशा देने की कोशिश की गई है। निश्चय ही इसमें शिक्षार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों को भी गहरे लगाव के साथ उतनी ही भूमिका होनी चाहिए। छात्रों के प्रति संवेदना और सहानुभूति के साथ उन्हें पुस्तक में गहरी सक्रिय सहभागिता बरतनी होगी।

इस पुस्तक के विकास क्रम में इस बात पर ध्यान दिया गया है शिक्षार्थियों को ऐच्छिक विषय के रूप में अर्थशास्त्र उनके आस-पास के साथ जोड़ते हुए आज के राष्ट्र का आधार स्तंभ है। किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ के संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग पर निर्भर करता है, जिसे अर्थशास्त्र विषय नवीन तकनीक के माध्यम से संभव बनाता है। सिद्धांत एवं व्यवहार का अद्भुत संयोग इस विषय को शिक्षार्थियों के लिए अत्यंत रोचक बना देता है। यह एक साथ सृजनशीलता, रचनात्मकता, यथार्थवादिता, अनुशासनप्रियता, भौतिकता प्रायोगिकता की क्षमता को सम्पोषित करता है।

दशम वर्ग के शिक्षार्थियों की धेतना शक्ति अत्यंत जागृत अवस्था में होती है। अर्थशास्त्र विषय सामाजिक पृष्ठभूमि में संचालित आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त व्यावहारिक ज्ञान को सैद्धांतिक ज्ञान से मिलाने का प्रयास करता है। जिसके माध्यम से तार्किकता, वस्तुपरकता एवं संज्ञानात्मकता का विकास संभव हो पाता है। इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण खासियत यह है कि इसमें अर्थशास्त्र के अवयवों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा इस पुस्तक का विकास निर्णयानुसार शीघ्रता में किया गया है। संभव है कहीं-कहीं कुछ त्रुटियाँ रह गयी हों, जिन्हें विद्वतजनों के सुझाव से अगले संस्करण में सुधारने का प्रयास किया जायेगा। परिषद अध्यापक शिक्षा विभाग एवं अन्य संकाय सदस्यों तथा शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिनके मार्गदर्शन में इस महत्ती कार्य को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराया गया। जिनकी एक गिण्ट सक्रियता ने कार्य को सुगम बना दिया।

(हसन वारिस)

निदेशक

विषय सूची

क्र. सं.		पृष्ठ संख्या
1.	आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास	01 - 16
2.	पंचवर्षीय योजना	17 - 32
3.	भारतीय जनसंख्या	33 - 51
4.	वर्तमान आर्थिक समस्याएँ	52 - 74
5.	बाजार की शक्तियाँ	75 - 91
6.	मुद्रा एवं बैंकिंग	92 - 107
7.	भारत का विदेशी व्यापार	108 - 113
8.	सांख्यिकी का परिचय	114 - 128

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे,
भारत - भाग्य - विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा,
द्राविड़ - उत्कल - बंग।
विंध्य - हिमाचल - यमुना-गंगा,
उच्छल - जलधि - तरंग।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मागे
गाहे तव जय गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत - भाग्य - विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।



BIHAR STATE TEXTBOOK PUBLISHING CORPORATION LIMITED, BUDH MARG, PATNA-1
बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बुद्धमार्ग, पटना-1

आवरण मुद्रण : जे० एम० डी० प्रेस, मुसल्लहपुर हाट, पटना-6

आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास

(Economic Growth & Economic Development)

पिछले कक्षा में हमने आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास जैसे शब्दों को बार-बार देखा है। दोनों शब्दों संवृद्धि एवं विकास का अर्थ एक जैसा ही है। सत्तर के दशक के पूर्व आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास को अर्थशास्त्र में सामान्यतया समान अर्थ में प्रयोग में लाया जाता था। परंतु अब इन दोनों संकल्पनाओं में अंतर किया जाता है।

'आर्थिक संवृद्धि' से हमारा अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में इससे पहले के काल की तुलना में मात्रा की दृष्टि से अधिक उत्पादन हो रहा है या नहीं। सामान्यतया यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक संवृद्धि हो रही है।

आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक संवृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है।

'आर्थिक विकास' की परिभाषा एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप कोई देश एक लम्बी समयावधि में अपनी-अपनी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ-साथ गरीबी एवं बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्याओं में कमी हो रही हो। बशर्ते कि निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या में वृद्धि न हो और आय का वितरण और अधिक असमान न हो जाय। आर्थिक संवृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा गया।

आर्थिक संवृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है।

जहाँ आर्थिक संवृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, आर्थिक विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है।

'आर्थिक विकास तभी माना जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता (Quality of Life) में सुधार हो।

ऐसा माना जाता है कि प्रतिव्यक्ति आय सूचकांक जीवन की गुणवत्ता को सही रूप में प्रदर्शित नहीं करता है अतः आर्थिक विकास की माप में अनेक घर सम्मिलित किये जाते हैं, जैसे-आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवायें, प्रति व्यक्ति उपयोग वस्तुएँ आदि।

आर्थिक संवृद्धि = केवल परिमाणात्मक परिवर्तन

(राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन)

आर्थिक विकास = परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन।

(राष्ट्रीय उत्पाद तथा साथ ही जीवन की गुणवत्ता में सुधार जो राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि से संबंधित है।)

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को 'गरीबी के विरुद्ध लड़ाई' के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी रूप की हो।

आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता, गन्दगी, बेरोजगारी, असमानता आदि को प्रगतिशील रूप से कम करना तथा अन्तिम रूप से समाप्त करना है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक विकास बहुत अधिक व्यापक अवधारणा है जो अपने में आर्थिक संवृद्धि, सामाजिक क्षेत्र के विकास तथा समावेशी विकास (Inclusive Growth) को सम्मिलित किये हुये है।

अतः कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास के बिना आर्थिक संवृद्धि तो संभव है परन्तु आर्थिक संवृद्धि के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है।

बजट (BUDGET)

परिचय :

सरकारी बजट सरकार के अनुमानित आय एवं व्यय का वार्षिक विवरण होता है। बजट का किसी देश की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सरकार अपने लोगों के हित में अपनी नीतियों का कार्यान्वयन करना चाहती है। इसके लिए उसे व्यय (Expenditure) करना पड़ता है और इस व्यय को पूरा करने के लिए उसे कई प्रकार के साधनों की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार बजट सरकार की विभिन्न नीतियों को लागू करने का एक साधन है जब सरकार बजट के अनुसार व्यय करती है तो उससे अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार व्यय को पूरा करने के लिए जब सरकार कर तथा अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करती है, तो इससे भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र प्रभावित होते हैं। अतः बजट की भूमिका अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण होती है।

बजट की परिभाषा

बजट फ्रांसीसी शब्द 'ब्युजेट' (Bougette) से बना है जिसका अर्थ 'घमड़े का छोटा थैला' होता है। आज इस शब्द का प्रयोग विश्व के सभी देशों में होता है। इसका मतलब संसद के सामने उसकी स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा रखे गये उस दस्तावेज से होता है जिसमें एक दिये समय के लिए प्रस्तावित व्यय तथा उसे पूरा करने के साधन (आय) का अनुमान होता है।

प्रो० शिराज के अनुसार, "बजट आय और व्यय का सार्वजनिक विवरण है जो सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अनुमानित व्यय को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है।"

रेने स्टॉर्न के अनुसार, "बजट एक ऐसा प्रलेख है जिसमें सार्वजनिक आय और व्यय की एक स्वीकृत योजना होती है।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि बजट में एक निश्चित अवधि के लिए आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

भारत में बजट

भारत में फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री सरकार का वार्षिक आम बजट संसद में प्रस्तुत करते हैं। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, नीति-निर्माता, वित्तीय मामलों के जानकार, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी आदि उस दिन दूरदर्शन (टेलीविजन) के सामने यह जानने के लिए बैठ जाते हैं, कि (i) पिछले वर्ष में सरकार का वित्तीय निष्पादन (Financial Performance) कैसा रहा है और (ii) आगामी वर्ष के लिए सरकार की क्या नीतियाँ तथा क्या कार्यक्रम हैं।

बजट सरकार की अनुमानित (expected) आय तथा अनुमानित व्यय का ऐसा ब्योरा है जो एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अनुमानों को प्रकट करता है। इसमें बीते वर्ष की उपलब्धियों तथा कमियों से संबंधित रिपोर्ट भी सम्मिलित होती है। परंतु बजट के इस भाग पर, जिसमें पिछली घटनाओं का वर्णन मात्र होता है, विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। अधिकतर बजट के उस भाग पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिसमें आने वाले वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों (आय) तथा व्यय का वर्णन होता है।

सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार के आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है।

राज्य सरकार का बजट

संविधान के अनुच्छेद-202 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का 'वार्षिक वित्तीय विवरण' तैयार करती है। इसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है।

राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रतिवर्ष राज्य सरकार को बजट रखना आवश्यक है।

बजट के अवयव अथवा बजट की संरचना / सरकार के आय एवं व्यय :

आइये अब हमलोग बजट की संरचना या बजट के अवयव को जानने का प्रयास करते हैं। चूंकि बजट में सरकार के आय और व्यय का विवरण होता है। इसलिए बजट की संरचना सरकार के आय और व्यय से बनती है।

बजट के दो विस्तृत घटक हैं :

1. बजट प्राप्तियाँ (Budget Receipts)

2. बजट व्यय (Budget Expenditure)

1. **बजट प्राप्तियाँ** : बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है, जिसे हम सार्वजनिक आय भी कहते हैं।

बजट प्राप्तियों को दो भागों में बांटा जाता है।

(क) राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipts)

(ख) पूंजीगत प्राप्तियाँ (Capital Receipts)

(क) **राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipts)** : इसके अंतर्गत उस आय को रखा जाता है जिसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है। इसे चालू खाता नाम से भी जाना जाता है।

राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत करों (Taxes) तथा गैर-करों से प्राप्त आय को दिखलाया जाता है।

इस प्रकार राजस्व प्राप्तियों को कर-राजस्व प्राप्तियों तथा गैर-कर (करेतर) राजस्व प्राप्तियों में बांटा जा सकता है।

कर-राजस्व प्राप्तियाँ या कर प्राप्तियाँ (Tax Receipts):

इसके अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित करों से प्राप्त आय को दिखलाया जाता है:

- (i) आयकर (Income Tax)
- (ii) निगम-कर (Corporation Tax) (कम्पनियों की आय पर कर)
- (iii) आयात-निर्यात कर अथवा तटकर (Custom Duty)
- (iv) उत्पाद कर (Excise Duty)
- (v) सम्पत्ति कर (Wealth Tax)
- (vi) सेवा कर (Service Tax)
- (vii) अन्य कर आदि

कर (TAX)

कर एक अनिवार्य भुगतान है जो एक व्यक्ति, गृहस्थ या फर्म द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल की आशा से दिया जाता है। कर सरकार को किये जाने वाला एक पक्षीय एवं अनिवार्य भुगतान है।

उपरोक्त करों में से आयकर, निगम-कर, तथा सम्पत्ति कर प्रत्यक्ष कर है क्योंकि यह उसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या सीधे दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष करों का भार दूसरों पर टाला (Shift) नहीं जा सकता है।

दूसरी ओर आयात-निर्यात कर एवं उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो लगाये तो किसी एक व्यक्ति पर जाते हैं किंतु इसका आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करना पड़ता है।

गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ

यह वे प्राप्तियाँ हैं जो करों को छोड़कर अन्य स्रोतों से प्राप्त होती हैं। कुछ गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ निम्नलिखित हैं -

- (i) शुल्क-जैसे-भूमि का निबंधन शुल्क, पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस आदि
- (ii) जुर्माना
- (iii) सरकारी उद्यमों से आय : जैसे-रेलवे, इंडियन ऑयल, भिलाई का इस्पात कारखाना आदि के लाभ सरकार के लिए आय का स्रोत है।
- (iv) ब्याज प्राप्तियाँ
- (v) केन्द्र-शासित प्रदेशों की गैर-कर प्राप्तियाँ
- (vi) अनुदान / दान आदि,

(ख) पूंजीगत प्राप्तियाँ (Capital Receipts) : पूंजीगत प्राप्तियाँ वे मौद्रिक प्राप्तियाँ हैं जिनसे या तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है या परिसंपत्तियाँ कम होती हैं।

इसके अंतर्गत निम्नलिखित मदें आती हैं :

- (i) आन्तरिक एवं बाह्य ऋण
- (ii) ऋणों तथा उधारों की दसूली
- (iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश
- (iv) लघु बचतें
- (v) सार्वजनिक भविष्य निधि
- (vi) विशेष जमा
- (vii) अन्य मदें।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार को कई तरह की प्राप्तियाँ या आय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है।

बजट-व्यय (Budget Expenditure)

सरकार के व्यय को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया गया है :

1. राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय
2. योजना व्यय एवं गैर-योजना व्यय या योजनेत्तर व्यय
3. विकास व्यय एवं गैर-विकास व्यय या विकासेत्तर व्यय

1. राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय :

राजस्व व्यय : राजस्व व्यय से अनिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और न ही देयता में कमी होती है।

इसके महत्वपूर्ण मदें निम्नलिखित हैं :

- (i) ब्याज का भुगतान
- (ii) आर्थिक सहायता पर व्यय
- (iii) प्रतिरक्षा पर व्यय

यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि परंपरा के अनुसार केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों (तथा केन्द्रशासित प्रदेशों) को दिये जाने वाले सभी अनुदानों को राजस्व व्यय माना जाता है, यद्यपि कुछ अनुदानों के फलस्वरूप परिसंपत्तियों का निर्माण होता है।

पूँजीगत व्यय : पूँजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो या तो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है या देयता को कम करता है।

पूँजीगत व्यय की महत्वपूर्ण मदें निम्नलिखित हैं :

- (i) भूमि और भवनों पर व्यय
- (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा राज्य निगमों को दिये जाने वाले ऋण।
- (iii) मशीनरी तथा उपकरणों पर व्यय
- (iv) शौचों का क्रय आदि।

2. योजना व्यय एवं गैर-योजना व्यय (Plan and Non Plan Expenditure) :

योजना व्यय : योजना व्यय से अभिप्राय सरकार के उस व्यय से है जो योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किया जाता है। इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं - कृषि, ऊर्जा, संचार, उद्योग, यातायात, सार्वजनिक सेवाएँ जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर किया गया व्यय।

गैर-योजना व्यय : गैर-योजना व्यय से अभिप्राय सरकार के उस व्यय से है जो योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किया जाता है। जैसे- सुखा, बाढ़ एवं भूकम्प पीड़ितों को अनाज अथवा गृह निर्माण के लिए दी गई राहत आदि।

3. विकास व्यय तथा गैर-विकास व्यय (Development and Non Development Expenditure) :

विकास व्यय : विकास व्यय वह व्यय है जो सरकार द्वारा संचालित विकास क्रियाओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, कृषि, यातायात, ग्रामीण विकास, जल बिजली, सड़कों, नहरों आदि के विकास पर खर्च की जाने वाली धन राशि को शामिल किया जाता है। इसमें सरकार द्वारा उद्यमों को विकास के लिए दिये जाने वाले ऋण भी सम्मिलित होते हैं जैसे एयर-इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस को दिये गये ऋण।

गैर-विकास व्यय : यह वह व्यय है जो सरकार के विकासेतर क्रियाओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्रशासन, पुलिस, सेना, कानून तथा व्यवस्था, करों के एकत्रीकरण, ऋणों पर ब्याज, वृद्धावस्था पेंशन आदि पर किये गये व्यय को शामिल किया जाता है।

विकास व्यय देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि लाता है (जिससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है) जबकि गैर-विकास व्यय ऐसा नहीं करता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार के आय (प्राप्तियों) तथा व्यय के कई स्रोत हैं। जब सरकार का बजट व्यय सरकार के बजट प्राप्तियों से अधिक होता है तो वह बजट घाटे की स्थिति होती है। यह सरकार के कुल व्यय की कुल प्राप्तियों पर अधिकता है।

संतुलित बजट : प्राप्तियों = व्यय

घाटे का बजट : प्राप्तियों < व्यय

बचत का बजट : प्राप्तियों > व्यय

आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका :

- अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका मुख्यतः राज्य द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों पर निर्भर करती है। यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि देश में प्रमुख आर्थिक निर्णय कौन लेता है- सरकार अथवा निजी व्यक्तिगत क्रेता और विक्रेता। किसी देश के आर्थिक विकास में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्याणकारी राज्य का विकास, समाजवाद का उदय, महान आर्थिक मंदी तथा नव स्वतंत्र देशों के उदय ने राज्य की भूमिका को और बढ़ा दिया है।

भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। सौभाग्य से हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ उद्देश्य हमारे लिखित संविधान में ही शामिल कर लिये गये हैं। ये राज्य को अर्थव्यवस्था के कार्य के संबंध में कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश देते हैं। ये दिशा निर्देश भारतीय अर्थव्यवस्था के संचालन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के उत्तरदायित्व की सीमा को निर्धारित करते हैं। भारत के आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है -

1. आर्थिक असमानता को दूर करना

राज्य के सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का समान रूप से विकास हो, लोगों की आर्थिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके लिए राज्य सुविधाओं एवं संसाधनों की अनुपलब्धता के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना या अन्य कई उपाय जैसे पिछड़े क्षेत्र के लिए अनुदान या विशेष आर्थिक सहायता की व्यवस्था करता है जिससे सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो सके। बिहार पिछड़ा राज्य होने के कारण विशेष राज्य का दर्जा की मांग केन्द्र सरकार से कर रहा है ताकि यह भी देश के आर्थिक विकास में अधिकाधिक योगदान दे सके एवं आर्थिक विकास के मामले में देश की मुख्य धारा से जुड़ सके।

2. राज्य नीतियों के माध्यम से

राज्य समय-समय पर अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करती है तथा नीति में इस बात का ध्यान रखती है कि यदि कोई क्षेत्र आर्थिक विकास के दौड़ में पिछड़ रहा है तो उसके लिए अपनी नीतियों के माध्यम से उसे मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है। राज्य समय-समय पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों की घोषणा करती है। इसके अंतर्गत औद्योगिक नीति, व्यापार नीति आदि शामिल है। भारत सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की है जिसका आधार उदासीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण है। इसे LPG नीति भी कहा जाता है।

3. कृषि के विकास में योगदान

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि की सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 15% है। राज्य द्वारा कृषि के उत्थान के लिए ऋण, सिंचाई सुविधाओं का निर्माण, बीज वितरण एवं अन्य कई सहायता उपलब्ध कराया जाता है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो।

4. सार्वजनिक नियंत्रण

कम से कम उत्पादन एवं वितरण के दो क्षेत्रों में तो सरकार भी भौतिक हस्तक्षेप के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास करती है।

- (i) उत्पादन के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का प्रथम क्षेत्र औद्योगिक लाइसेंस रहा है। नई औद्योगिक नीति-1991 में उद्योगों के लिए लाइसेंस को काफी सीमित कर दिया गया है।

पुरानी व्यवस्था में लाइसेंसिंग नियमों को निम्न उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था।

- (a) उद्योगों का संतुलित क्षेत्रीय विकास
- (b) नए उद्योगों का संरक्षण
- (c) लघु पैमाने उद्योगों के लिए कुछ क्षेत्रों को रिजर्व करना आदि।

(iii) सार्वजनिक वितरण एवं राशनिंग :

हमने देखा है कि मांग एवं पूर्ति की शक्तियाँ अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण के सवालों का हमेशा ही सामाजिक दृष्टि से वांछनीय हल प्रस्तुत नहीं कर पाती है। हमारी अर्थव्यवस्था में इस अपर्याप्तता का एक जीता-जागता उदाहरण भोजन, ईंधन और कपड़े जैसी अनिवार्य वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति के मामले में मिल सकता है।

- सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राशनिंग के माध्यम से इस समस्या को हल करने का प्रयास करती है एवं आर्थिक विकास में भूमिका निभाती है।

5. राजकोषीय नीति

राज्य अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजकोषीय नीति के उपकरण के रूप में करों का महत्व आसानी से दिखाई पड़ता है। एक विकासशील देश में आवश्यक नहीं कि कराधान का उद्देश्य केवल आय की असमानताओं को कम करना ही हो। एक विकासशील अर्थ व्यवस्था में कराधान का एक मुख्य उद्देश्य विकास की दृष्टि से आवश्यक निवेशों के लिए साधन जुटाना भी है। यदि ठीक से समन्वय किया जाय तो प्रत्यक्ष करों एवं अप्रत्यक्ष करों का समुच्चय इस काम के लिए राज्य के हाथों में एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह आय उगाहने के माध्यम से अर्थव्यवस्था के निजी व सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में उचित प्रकार के उद्यमों की वित्त व्यवस्था के लिए बचत की काफी बड़ी मात्राओं को उपलब्ध कराता है। इससे भी अधिक यह संघार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सेवाओं जैसी उन सामाजिक व आर्थिक अधिसंरचनाओं को भी सहायता प्रदान कर सकता है जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से सार्वजनिक निवेशों पर ही निर्भर करती है।

मौद्रिक नीति

सरकार अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा भी राज्य की आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में संपूर्ण मौद्रिक नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के हाथों में है। यह बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है केन्द्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण जैसे-बैंक दर, खुले बाजार की क्रियायें, नकद आरक्षित अनुपात आदि के द्वारा अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा पूर्ति/साख के प्रवाह को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण जैसे-सीमांत आदर्यकता, साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही आदि के द्वारा साख के प्रवाह को आर्थिक क्रिया के विशेष क्षेत्र की ओर मोड़ते या सीमित करते हैं।

आर्थिक उदारीकरण के बाद से राज्य की भूमिका में बदलाव आने लगा है, कई ऐसे कार्य जो पहले राज्य के नियंत्रण में था वह बाजार को सौंपा जा रहा है, जिसकी आलोचना भी हो रही है। राज्य अब कल्याणकारी स्वरूप में बदलाव ला रहा है क्योंकि बढ़ते वित्तीय बोझ एवं राजकोषीय घाटा को पाटने के लिए राज्य को बाजार की ओर गतिमान होना अपरिहार्य हो गया है। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में राज्य की भूमिका अब भी महत्वपूर्ण बनी हुई है।

लोक/सार्वजनिक उपक्रम, निजी उपक्रम एवं संयुक्त उपक्रम

आप अपने दैनिक जीवन में सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठनों को देखते हैं। आपके घर के अगल-बगल में एकल स्वामित्व की कई प्रकार की दुकानें हैं। बड़े खुदरा व्यापार संगठन हैं जिनका संचालन कोई कंपनी करती है। जैसे-बिग-बाजार, रिलायन्स फ्रेश आदि। इसके साथ ही आपको कानूनी सेवा, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सेवाएँ प्रदान करने वाली इकाइयाँ हैं जिनके स्वामी एक या एक से अधिक व्यक्ति हैं। ये सभी निजी स्वामित्व के संगठन हैं। इसी प्रकार से अन्य कार्यालय अथवा व्यवसाय हैं जिस पर सरकार का स्वामित्व है। उदाहरण स्वरूप - रेलवे एक ऐसा संगठन है जिसका स्वामित्व एवं प्रबन्धन पूर्णतया सरकार करती है आपके घर के आस-पास का डाकघर केन्द्र सरकार के डाक एवं तार विभाग के स्वामित्व में है। इसके अलावा कुछ व्यावसायिक इकाइयाँ एक से अधिक देशों में अपना व्यवसाय चला रहे हैं। इन्हें भूमंडलीय/वैश्विक उद्यम कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि देश में सभी प्रकार के संगठन व्यवसाय कर रहे हैं चाहे वे सार्वजनिक, निजी, वैश्विक या संयुक्त उपक्रम हों। ये संगठन हमारे रोजमर्रा के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं इसलिए ये हमारी अर्थव्यवस्था के अंग हैं।

सार्वजनिक उपक्रम :

सार्वजनिक उद्यम/उपक्रम वैसे उपक्रम होते हैं जो सरकार द्वारा स्थापित किये जाते हैं और जिनका स्वामित्व व प्रबन्ध सरकार के हाथ में होता है। ऐसे उपक्रम सार्वजनिक हित में कार्य करते हैं। इन उपक्रमों में सरकार या तो स्वयं उनकी एकमात्र स्वामी होती है अथवा इनका अधिकतर स्वामित्व सरकार के पास होता है, चूँकि इन उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित या सेवा अर्थात् जनता को उचित मूल्य पर वस्तुएँ एवं सेवाएँ प्रदान करना होता है लेकिन लाभ कमाने के उद्देश्य को अलग नहीं किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि ये उपक्रम सार्वजनिक हित में काम करते हुये लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किये जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट होना जरूरी है कि सभी सरकारी संस्थाएँ सार्वजनिक या सरकारी उपक्रमों में सम्मिलित नहीं होती। केवल उन सरकारी संस्थाओं को ही सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है जो आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाएँ करती हैं। इस तरह सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज आदि सार्वजनिक उपक्रम नहीं हैं।



सार्वजनिक उपक्रम को राजकीय उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सरकारी उद्योग आदि नामों से पुकारा जाता है।

सार्वजनिक उपक्रमों के सबसे सरल एवं स्पष्ट उदाहरण है राष्ट्रीयकृत बैंक, जिनकी शाखाएँ हमारे गाँवों एवं शहरों में स्थापित किये गये हैं। यदि हम किसी बैंक की शाखा के बाहर लगे साईन बोर्ड को ध्यान से देखें तो उस पर बैंक के नाम के निचे 'भारत सरकार का उपक्रम' भी लिखा होगा।

यह इस बात का द्योतक है कि यह एक सार्वजनिक उपक्रम है। सार्वजनिक उपक्रम के कुछ अन्य उदाहरण हैं - SAIL (Steel Authority of India Limited), GAIL (Gas Authority of India Limited), BHEL (Bharat Heavy Electricals Limited), यूको बैंक (UCO Bank), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) आदि।

सार्वजनिक उपक्रमों की विशेषताएँ :

उपरोक्त विवेचना के आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों की निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं :

1. सरकारी स्वामित्व

सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामित्व पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से केंद्रीय सरकार, राज्य या स्थानीय सरकार के पास या इनके पास संयुक्त रूप से होता है। सार्वजनिक उपक्रमों में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी हो सकती है, लेकिन सरकार के पास कुल अंशपूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग होना चाहिए। यहाँ यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि राजकीय का अर्थ राज्य से नहीं बल्कि सरकार से है जिसमें सभी सरकारें सम्मिलित होती हैं।

2. राजकीय नियंत्रण

सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबन्ध एवं नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है।

3. सेवा उद्देश्य

सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित या समाज सेवा करना अर्थात् जनता को उचित मूल्य पर वस्तुएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध कराना होता है। जबकि निजी उपक्रमों की स्थापना का एक मात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है।

4. जनता के प्रति उत्तरदेयता

राजकीय उपक्रम न केवल सरकार के प्रति, बल्कि जनता के प्रति भी उत्तरदायी होती है। जनता के चुने हुये प्रतिनिधि इन उपक्रमों की सफलता एवं असफलता के बारे में संसद एवं विधान मंडल में टीका-टिप्पणी करते हैं।

5. प्रबन्ध में नौकरशाही

चूँकि सार्वजनिक उपक्रम सरकार द्वारा स्थापित किये जाते हैं इसलिए इनका प्रबन्धन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सरकार के द्वारा बनाये गये नियमों एवं उपनियमों को ध्यान में रखते हुये किया जाता है।

6. सभी वर्गों के लिए उपयोगी

सार्वजनिक उपक्रम समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। जैसे-सार्वजनिक क्षेत्र का डाक एवं तार विभाग समाज के सभी लोगों की एक समान सेवा करता है।

7. कुछ क्षेत्रों में एकाधिकार

सार्वजनिक उपक्रमों का कुछ क्षेत्र में एकाधिकार है। जैसे-रेलवे, परमाणु ऊर्जा आदि की सेवाएँ। समाज सेवा के लिए ऐसा जरूरी भी है क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिक लाभ न होने के कारण निजी क्षेत्र के उद्योगी इनमें कोई रुचि नहीं रखते हैं।

8. वित्तीय स्वतंत्रता

सरकार द्वारा पूंजी विनियोग के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रमों की लगभग सभी वित्तीय आवश्यकताएँ पूरी की जाती रही है। परंतु आजकल उदार आर्थिक नीतियों के कारण सरकारी उपक्रमों को अपनी वित्तीय आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए जनता से वित्त प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। जो इन उपक्रमों की वित्तीय स्वतंत्रता का संकेत है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संगठनों के स्वरूप

देश के व्यावसायिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सरकार की भागीदारी के लिए किसी प्रकार के संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता होती है। एक सार्वजनिक उपक्रम, व्यावसायिक संगठन के किसी भी स्वरूप को अपना सकता है लेकिन यह उसके कार्यों की प्रकृति एवं सरकार से इसके संबंधों पर निर्भर करता है। व्यावसायिक संगठन का कौन-सा स्वरूप इसके लिए उपयुक्त रहेगा यह इसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

सार्वजनिक उद्यमों के विभिन्न स्वरूप निम्नलिखित हैं :

1. विभागीय उपक्रम (Departmental Undertaking)
2. वैधानिक / सार्वजनिक निगम (Public Corporation)
3. सरकारी कंपनी (Govt. Companies)

1. विभागीय उपक्रम

यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सबसे पुराना एवं परंपरागत स्वरूप है। विभागीय उपक्रम की स्थापना किसी मंत्रालय के एक विभाग के रूप में की जाती है। यह मंत्रालय का ही एक भाग या फिर उसका विस्तार माना जाता है। इनका प्रबन्ध उपक्रम से संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।



ये सरकार की गतिविधियों के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इनका गठन स्वायत्त एवं स्वतंत्र संस्था के रूप में नहीं किया जाता एवं इनका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। ये उपक्रम केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन हो सकते हैं तथा इसमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के नियम लागू होते हैं। ये उपक्रम संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों के माध्यम से कार्य करते हैं तथा इनके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं। इस प्रकार के उपक्रम की स्थापना सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं के लिए की जाती है। इन उपक्रमों के उदाहरण हैं डाक एवं तार विभाग, भारतीय रेल आदि।

2. वैधानिक / सार्वजनिक निगम

वैधानिक निगम वे सार्वजनिक उद्यम हैं जिसकी स्थापना संसद / विधान मंडल के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। यह अधिनियम इस प्रकार के उद्यमों के अधिकार एवं कार्य, इनके कर्मचारियों से संबंधित नियम एवं कानून तथा अन्य सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों के साथ इनके संबंधों को स्पष्ट करता है।

यह पूर्णतया सरकार के स्वामित्व में होती है। साधारणतः अपनी वित्त की आवश्यकता को यह स्वयं पूरा करती है। यह सरकार से ऋण लेकर अथवा जनता से वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री द्वारा आय अर्जित कर धन जुटाती है। इसके लाभ का विनियोजन सरकार करती है तथा यदि कोई हानि होती है तो उसे भी सरकार वहन करती है।

इस प्रकार वैधानिक निगमों के पास जहाँ एक ओर सरकारी अधिकार होता है वहीं दूसरी ओर निजी उद्यम के समान परिचालन में पर्याप्त लचीलापन भी होता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं - भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), भारतीय खाद्य निगम (FCI), केन्द्रीय भण्डार निगम, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस आदि।



3. सरकारी कंपनी

सरकारी कंपनियों की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की जाती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसकी कम से कम 51 प्रतिशत चुकता अंश पूँजी (Paid up share capital) या तो केन्द्र सरकार के पास है, या कि राज्य सरकारों के पास है या फिर कुछ केन्द्र सरकार के पास और शेष एक या एक अधिक राज्य सरकारों के पास है।

सरकार का ऐसी कंपनी की चुकता अंश पूँजी पर नियंत्रण होता है। इन कंपनियों में सरकार ही बड़ा अंशधारक है तथा प्रबंध पर उसी का नियंत्रण है इसलिए इसे सरकारी कंपनी कहा जाता है।

सरकारी कंपनी की स्थापना विशुद्ध रूप से व्यवसाय करने के लिए किया जाता है। ये कंपनियाँ निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। भारत में सरकारी कंपनियों के उदाहरण हैं : कोल इण्डिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि, गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि।



निजी उपक्रम : निजी उपक्रमों की स्थापना निजी स्वामित्व (Private Ownership) के रूप में होती है। निजी उपक्रमों का अभिप्राय यह है कि इन पर स्वामित्व पूर्णतः निजी लोगों का होता है और किसी भी राज्य या केन्द्रीय सरकार का स्वामित्व के दृष्टिकोण से कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इस तरह के उपक्रमों का संचालन निजी लाभ की प्रेरणा से किया जाता है। निजी उपक्रम के उदाहरण हैं : टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्री, सैंगुरी, ग्रासिम इंडस्ट्री आदि।



निजी उपक्रमों की विशेषताएँ

1. निजी स्वामित्व : इस प्रकार के उपक्रमों पर पूर्णतः निजी लोगों का स्वामित्व होता है और किसी भी राज्य या केन्द्रीय सरकार का स्वामित्व के दृष्टिकोण से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।
2. निजी लाभ का उद्देश्य : इस प्रकार के उपक्रमों का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना है। परंतु वर्तमान में इसको द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व को समझा जाने लगा है।
3. निजी प्रबन्ध : इस प्रकार के उपक्रमों का प्रबन्ध व्यवसाय के स्वामियों द्वारा किया जाता है। कम्पनी की दशा में, अंशधारियों द्वारा मनोनीत संचालक मण्डल उपक्रम की देख-रेख करता है।
4. कम राजनैतिक हस्तक्षेप : इस प्रकार के उपक्रमों में राजनैतिक हस्तक्षेप प्रायः कम होती है।

संयुक्त उपक्रम अर्थ

व्यापक में संयुक्त उपक्रम का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यावसायिक इकाइयों के द्वारा एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने-अपने संसाधनों एवं विशेषज्ञता को एक साथ मिला लेना।

संयुक्त उपक्रम में दो या दो से अधिक कंपनियों (निजी, सरकारी या विदेशी कंपनी) एक नई इकाई (उपक्रम) का गठन करते हैं जिसमें उन सभी का नियंत्रण होता है। इसके लिए वे कंपनियों पूंजी, तकनीकी, मानव संसाधन, जोखिम एवं प्रतिफल में हिस्सा बांटने के लिए सहमत होते

इस प्रकार जब दो या दो से अधिक इकाइयों (कंपनियों) समान उद्देश्य एवं पारस्परिक लाभ के लिए इकट्ठा होना तय करती है तो इससे संयुक्त उपक्रम का उदय होता है। संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय का विस्तार, नये उत्पादों का विकास या नये बाजारों मुख्यतः अन्य देशों के बाजारों में व्यवसाय करना होता है। भारत में संयुक्त उपक्रम कंपनियों व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम है। इनके लिए कोई अलग से कानून नहीं है। संयुक्त उपक्रमों को भारत में चरने आंतरिक कंपनी के समकक्ष रखा जाता है। परंतु भारत में यदि किसी संयुक्त उपक्रम में कोई विदेशी अथवा अप्रवासी भारतीय भागीदार है तो उसे सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। भारत में संयुक्त उपक्रम के उदाहरण हैं - भारती एयरटेल, मारुती सुजुकी आदि।

निवेश (Investment) : निवेश के अर्थ को समझने से पहले हमें पूंजी के अर्थ को समझना होगा।

पूंजी (Capital)

हम जानते हैं कि पूंजी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। पूंजी से आशय मनुष्य द्वारा निर्मित उन सभी वस्तुओं के स्टॉक से है जिनका प्रयोग और अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। ये उत्पादन क्रिया में समाप्त नहीं हो जाती है उत्पादन की प्रक्रिया में इनका कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है और इनका उच्च मूल्य होता है। ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियाँ हैं। जैसे-मशीन, प्लांट, भवन आदि।

निवेश (Investment)

उत्पादकों का सदैव यह प्रयत्न रहता है कि उनके पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती रहे, जिससे उनकी उत्पादन करने की क्षमता में समय के साथ-साथ वृद्धि जारी रहे।

एक वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को उस वर्ष का निवेश कहा जाता है।

अतः $I = \Delta K$ (यहाँ $I =$ निवेश, $K =$ पूंजी का स्टॉक, $\Delta K =$ वर्ष के दौरान पूंजी स्टॉक में परिवर्तन)

पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन को पूंजी-निर्माण भी कहा जाता है। इस प्रकार पूंजी निर्माण एवं निवेश शब्दों का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है।

अतः निवेश, पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है या पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की एक प्रक्रिया है।

विनिवेश (Disinvestment)

संपत्ति का सृजन, पूंजी स्टॉक में वृद्धि या किसी उद्यम में सरकारी धारिता (Holding) में वृद्धि निवेश कहलाता है जबकि सम्पत्ति का बेचना, पूंजी स्टॉक में कमी या किसी उद्यम में धारिता में कमी को विनिवेश कहते हैं।

सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की अंशधारिता (स्वामित्व धारिता) में कमी लाना विनिवेश कहलाता है। विनिवेश सार्वजनिक उद्यम को निजीकरण की ओर ले जायेगा। इस प्रकार विनिवेश निजीकरण का माध्यम है।

भारत में अस्सी के दशक से ही सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम लगातार घाटे में चल रहे थे। अतः भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन घाटों की पूर्ति करदाताओं द्वारा दी गई रकम से पूरी नहीं की जायेगी, क्योंकि इससे करदाताओं पर बोझ बढ़ेगा। इसलिए सरकार ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत विनिवेश की नीति को अपनाया। सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की प्रक्रिया 1991-92 में प्रारंभ की गई जब डॉ० मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment) (F.D.I.)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आशय विदेशी कंपनियों द्वारा एक देशी कंपनी में भौतिक पूंजी संपत्तियों; प्लान्ट मशीनरी, भूमि, भवन आदि में निवेश से है। इसके अंतर्गत विदेशी कंपनी घरेलू देश में नयी कंपनी विकसित करती है या अपनी सहायक कंपनी को खोलती है जिसमें दोनों-नियंत्रण तथा प्रबन्ध बना रहता है। यह व्यवसाय को स्वामित्व और नियंत्रण को सूचित करता है। इसमें निवेश किये गये पूंजी के प्रयोग पर निवेशक का नियंत्रण बना रहता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से घरेलू देश में भौतिक पूंजी निर्माण होगा जिसका अनुकूल प्रभाव उत्पादन, आय तथा रोजगार पर होंगे। यह अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी भी लाती है। यह केवल पूंजीगत और तकनीकी जानकारी ही नहीं लाता है बल्कि अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा तथा कुशलता को भी बढ़ाता है। अधिकांशतः इस प्रकार के निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किये जाते हैं।

भारत में LPG नीतियों को अपनाने के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ने का अधिक अवसर मिला। भारत में 2008-09 में लगभग 27 अरब डालर का एफ.डी.आई. में इंकविटी का अंतर्प्रवाह हुआ। UNCTAD (United Nation Conference on trade and Development) की विश्व विकास रिपोर्ट-2011 में बताया गया है कि 2009 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अन्तर्प्रवाह लगभग 36 अरब डालर था, जो घटकर 2010 में लगभग 25 अरब डालर ही रहा है। इसके अनुसार 2010 में FDI हासिल करने वाले देशों में शीर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा है।

अब तक भारत में किये गये कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश मॉरिशस देश के रास्ते हुआ है। दूसरे स्थान पर सं. रा. अमेरिका से हुआ है।

2011 में सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 51 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान की है। सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में एफ.डी.आई. की अधिकतम सीमा को 51 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र में हुआ है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

सही उत्तर का संकेताक्षर (क, ख, ग या घ) लिखें -

1. आर्थिक संवृद्धि संबंधित है -
(क) गुणात्मक परिवर्तन से। (ख) परिमाणात्मक परिवर्तन से।
(ग) उपरोक्त दोनों से। (घ) इनमें से कोई नहीं।
2. आर्थिक विकास संबंधित है -
(क) परिमाणात्मक परिवर्तन से। (ख) गुणात्मक परिवर्तन से।
(ग) उपरोक्त दोनों से। (घ) इनमें से कोई नहीं।
3. भारत का वित्तीय वर्ष है -
(क) 1 जनवरी से 31 दिसम्बर (ख) 1 अप्रैल से 31 मार्च
(ग) 15 फरवरी से 30 अक्टूबर (घ) इनमें से कोई नहीं।
4. प्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है ?
(क) आयकर (ख) उत्पाद कर
(ग) बिक्री कर (घ) इनमें से कोई नहीं।
5. बजट के दो विस्तृत घटक है -
(क) बजट प्राप्तिर्था (ख) बजट व्यय
(ग) उपरोक्त दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं।
6. सार्वजनिक उपक्रम को नाम से भी जाना जाता है ?
(क) राजकीय उपक्रम (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग
(ग) सरकारी उद्योग (घ) उपरोक्त सभी
7. भारतीय रेलवे सार्वजनिक उपक्रम के किस स्वरूप का उदाहरण है -
(क) विभागीय उपक्रम का (ख) वैधानिक/सार्वजनिक निगम का
(ग) सरकारी कंपनी का (घ) इनमें से कोई नहीं।
8. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश का अभिप्राय है -
(क) सरकार की स्वामित्व धारिता में कमी लाना।
(ख) सरकार की स्वामित्व धारिता में वृद्धि करना।
(ग) नये क्षेत्र में विनियोग करना।
(घ) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर : 1. ख, 2. ग, 3. ख, 4. क, 5. ग, 6. घ, 7. क, 8. क

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक संवृद्धि की धारणा से अधिक _____ है।
2. सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के _____ एवं _____ के अनुमानों का विवरण होता है।
3. निजी उपक्रमों का संचालन _____ की प्रेरणा से किया जाता है।
4. निवेश _____ निर्माण की एक प्रक्रिया है।
5. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश _____ में सबसे ज्यादा हुआ है।
6. भारतीय जीवन बीमा निगम एक _____ है।

उत्तर : 1. व्यापक, 2. व्यय, आय, 3. लाभ, 4. पूँजी, 5. सेवा क्षेत्र, 6. वैधानिक/सार्वजनिक निगम

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं ?
2. राजस्व व्यय से आप क्या समझते हैं ? इसके दो महत्वपूर्ण मनों को बतायें।
3. पूँजीगत प्राप्तियों से आप क्या समझते हैं ? इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण मनों क्या हैं ?
4. सार्वजनिक उद्यमों के विभिन्न स्वरूप कौन-कौन हैं ?
5. संयुक्त उपक्रम से आप क्या समझते हैं ?
6. नियेश से आप क्या समझते हैं ?
7. सरकारी कंपनी से आपका क्या अभिप्राय है। सरकारी कंपनी के दो उदाहरण बतायें।
8. निम्नलिखित उपक्रम सार्वजनिक उपक्रमों के किस स्वरूप/प्रारूप से संबंधित हैं।
(क) डाक एवं तार विभाग
(ख) भारतीय खाद्य निगम (FCI)
(ग) भारत हेवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड
9. विनिवेश से आप क्या समझते हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास में क्या अंतर है ? स्पष्ट करें।
2. आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका की व्याख्या करें।
3. बजट से आप क्या समझते हैं ? सरकार के व्यय को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है ? व्याख्या करें।
4. निजी उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम एवं संयुक्त उपक्रम में अन्तर बतायें।
5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं ? व्याख्या करें।

परियोजना कार्य :

1. अध्यापक की सहायता से बिहार सरकार के उपक्रमों की एक सूची बनायें।

पंचवर्षीय योजना (Five Year Planning)

आर्थिक नियोजन

आर्थिक नियोजन का अर्थ है, तय समय-सीमा के अंदर उपलब्ध सीमित संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग किया जाना कि राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों का संतुलित आर्थिक विकास हो सके। दूसरे शब्दों में, आर्थिक विकास के लिए देश में उपलब्ध करते हुए एक निश्चित समय में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन कहते हैं।

आर्थिक नियोजन में चार प्रमुख बातें शामिल हैं -

- एक केन्द्रीय नियोजन सत्ता (भारतीय योजना आयोग)
- निश्चित समय अवधि
- निश्चित लक्ष्य
- साधनों की उपलब्धता

वर्तमान समय में विश्व के प्रत्येक देश में, चाहे वह पूँजीवादी व्यवस्था का राष्ट्र हो या समाजवादी व्यवस्था का राष्ट्र या फिर स्वतंत्र अर्थ व्यवस्था वाला राष्ट्र हो, विश्व में सभी जगह आर्थिक नियोजन को अपेक्षित महत्व दिया जा रहा है।

भारत में आर्थिक नियोजन (Economic Planning in India)

15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के बाद भारत में कई मोर्चों पर समस्याएँ थीं। गरीबी, बेरोज़गारी, अशिक्षा, निम्न विकास-दर, उद्योगों का अभाव आदि समस्याएँ चुनौति के रूप में खड़ी थीं। ऐसी परिस्थिति में 'पूर्व सोवियत संघ' का अनुसरण करते हुए 'योजना मॉडल' को विकास के लिए अपनाया गया जिसे भारत में आर्थिक नियोजन कहा जाता है। इनके पाँच वर्षीय कार्यकाल के कारण ये लोकप्रिय रूप से पंचवर्षीय योजना के रूप में जानी जाती है।

भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं -

- संवृद्धि
- आत्म निर्भरता
- आधुनिकीकरण तथा
- समानता

योजना आयोग (Planning Commission)

भारत में नियोजित विकास का प्रारंभ योजना आयोग के गठन के साथ ही प्रारंभ होता है।

योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ। योजना आयोग भारत के नीति-निर्माताओं को संसाधनों के बँटवारे, उसके समुचित उपयोग के बारे में सलाह देने का काम करता है।

भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं जबकि उपाध्यक्ष उसके मुख्य कार्यकारी होते हैं। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। इसके निगमन एवं प्रशासन के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कुछ प्रमुख विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या और उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है।

योजना आयोग द्वारा अभी तक बारह पंचवर्षीय योजनाएँ लागू की गयी हैं। पहली योजना 1 अप्रैल 1951 की प्रारंभ हुई तथा वर्तमान में चल रही 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है - 2012 से 2017 तक।

योजना आयोग का वर्तमान गठन

अध्यक्ष - डॉ. मनमोहन सिंह (प्रधानमंत्री)

उपाध्यक्ष - मोटेक सिंह अहलुवालिया

- सदस्य -**
1. बी. के. चतुर्वेदी
 2. सौमित्र चौधरी
 3. डॉ. साइदा हमीद
 4. डॉ. नरेन्द्र यादव
 5. प्रो. अभिजीत सेन
 6. डॉ. मिहिर शाह
 7. डॉ. के. कस्तुरी रंजन
 8. डॉ. अरुण माहरा

योजना आयोग के कार्य

योजना आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं

1. देश की भौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना तथा देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके संवर्धन की संभावनाओं का पता लगाना।
2. संसाधनों के अधिक संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना।
3. योजना के विभिन्न चरणों का निर्धारण करना।
4. उन सभी तत्वों को जो कि आर्थिक विकास में बाधक है, सरकार को इंगित करवाना एवं उन परिस्थितियों का निर्धारण करना जो कि वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।
5. 'योजना आयोग' को सौंपे गए कार्य से संबंधित आवश्यक सुझाव देना तथा समय-समय पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा विशेष समस्या पर मांगी गई राय पर सलाह देना।

उपरोक्त कार्यों को क्रियान्वयन करते हुए योजना आयोग द्वारा बनायी विभिन्न योजनाओं को देखेंगे-

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956)

भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 1956 तक चली। यह योजना द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति, देश विभाजन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के फलस्वरूप जनता की आकांक्षाओं की पृष्ठभूमि में तैयार हुई। इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे।

1. द्वितीय विश्वयुद्ध तथा देश के विभाजन के फलस्वरूप हुई क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण एवं संतुलित विकास करना ताकि भविष्य में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सके।

प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक व्यय 1980 करोड़ रुपये हुआ जबकि निजी क्षेत्र में 1800 करोड़ रुपये। योजना में राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 2.1% का लक्ष्य रखा गया जबकि प्रतिव्यक्ति आय में 0.9% वृद्धि का लक्ष्य था।

प्रथम योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कृषि एवं सामुदायिक विकास पर 290 करोड़ रुपये तथा सिंचाई एवं शक्ति पर 285 करोड़ रुपये व्यय किये गये जो कुल व्यय का क्रमशः 14.9 प्रतिशत तथा 29.8 प्रतिशत भाग था।

इस प्रकार प्रथम योजना में कृषि सिंचाई शक्ति, औद्योगिक उत्पादन परिवहन आदि क्षेत्रों में पर्याप्त सफलता मिली है।

अतः पंचवर्षीय योजना की प्रगति को काफी संतोषजनक कहा जा सकता है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-1961)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1956 से लेकर मार्च 1961 तक थी। इस योजना का उद्देश्य देश में औद्योगिककरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना था जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार पर सर्वांगीण विकास किया जा सके। इसके अतिरिक्त 1956 में घोषित की गयी औद्योगिक नीति में समाजवादी व्यवस्था को स्वीकार किया गया।

द्वितीय योजना के निम्नलिखित लक्ष्य रखे गये

- राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि
- तीव्र औद्योगिक विकास जिसमें आधारभूत और भारी उद्योग के विकास पर बल दिया गया।
- रोजगार के अवसरों में तेजी से विस्तार।
- असमानता में कमी लाना तथा आर्थिक शक्ति का समान वितरण।

इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक परिव्यय 4600 करोड़ था। प्रतिव्यक्ति आय 3.3% तथा राष्ट्रीय आय में 4.5% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि-दर 4% का हासिल किया गया तथा प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि-दर 2% वार्षिक-दर से हुई।

प्रथम तथा द्वितीय योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में परिव्यय का वितरण (करोड़ रुपये)

नद	प्रथम योजना		द्वितीय योजना	
	परिव्यय	प्रतिशत	परिव्यय	प्रतिशत
1. कृषि तथा सामुदायिक विकास	291	15	530	11
2. बृहद तथा मध्यम सिंचाई	310	16	420	09
3. शक्ति	260	13	445	10
4. ग्राम तथा लघु उद्योग	43	02	175	04
5. उद्योग एवं खनिज	74	04	900	20
6. परिवहन एवं संचार	523	27	1200	28
7. सामाजिक सेवाएँ एवं विविध	459	23	830	18
कुल	1960	100	4500	100

तालिका में स्पष्ट है कि द्वितीय योजना में कृषि को कम महत्व दिया गया जबकि उद्योग एवं खनिज पर व्यय प्रथम योजना (4%) से बढ़ाकर (20%) रखा गया।

इस तरह हम पाते हैं कि द्वितीय योजना में कृषि क्षेत्र में विकास संतोषप्रद नहीं हुआ जबकि औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में प्रगति अच्छी हुई।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-1966)

तृतीय योजना पहले के दो योजनाओं के अनुभव के आधार पर निर्मित की गयी थी तथा पूर्व के खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इस योजना की अवधि है 1961-1966 है।

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं -

- 5% की दर से राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना।
- खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भरता लाना।
- इस्पात, रसायन, ऊर्जा एवं शक्ति जैसे आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना तथा मशीन-निर्माण की क्षमता स्थापित करना।
- तीसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल परिव्यय 7500 करोड़ रुपये प्रस्तावित था किंतु वास्तविक 8577 करोड़ रु. हुआ।

तृतीय योजना के काल में अनेक भीषण समस्याएँ सामने आयी थीं जिससे निपटना संभव नहीं था। जैसे सूखा, विदेशी आक्रमण (चीन, पाकिस्तान)। अतः कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ा।

इस प्रकार तृतीय योजना में उपलब्ध लक्ष्य से कम थी साथ ही पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को छोड़ना पड़ा तथा परिस्थितियों से बाध्य होकर 1966-1969 के लिए तीन वार्षिक योजनाओं का सहारा लेना पड़ा।

वार्षिक योजनाएँ

तृतीय पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1968 ई० को समाप्त हुई लेकिन कुछ कारणों से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं की जा सकी बल्कि इस अवधि में 1966-67, 1967-68, तथा 1968-69 के लिए वार्षिक योजनाएँ (Annual Plan) कार्यान्वित की गयी। तीनों वार्षिक योजनाओं पर कुल वास्तविक व्यय 6135 करोड़ रुपये का हुआ जबकि कुल मिलाकर 6535 करोड़ के व्यय करने का आयोजन था।

मद	परिव्यय	प्रतिशत
1. कृषि सामुदायिक विकास एवं सहकारिता	476	14.6
2. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	471	7.1
3. शक्ति	1213	18.3
4. संगठित उद्योग	1511	22.8
5. ग्राम एवं लघु उद्योग	126	1.9
6. परिवहन एवं संचार	1222	18.5
7. सामाजिक सेवाएँ	976	14.7
8. खाद्यान्नों के बफर स्टॉक	140	2.1
कुल	6135	100

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)

वार्षिक योजना की समाप्ति के बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गयी जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक थी। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य थे -

- अर्थव्यवस्था में 5.5% की वार्षिक दर से आर्थिक विकास।
- कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना। कृषि उत्पादन में 5% की वार्षिक दर से तथा औद्योगिक उत्पादन में 8% से 10% की वार्षिक दर से वृद्धि करना।
- खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की कीमत में स्थायित्व लाना।
- 7% वार्षिक दर से निर्यात में वृद्धि करना।

इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक परिव्यय 15092 करोड़ रुपये के हुए लेकिन इस अवधि में उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका यह योजना असफल योजना थी।

पाँचवीं योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन के साथ विकास को केन्द्र बनाया गया। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1974 हुआ लेकिन राजनीतिक कारणों से इसे 1979 के एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया।

इस योजना के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे -

1. गरीबी उन्मूलन
2. आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति

पाँचवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 39,300 करोड़ रुपये व्यय करने का आयोजन था लेकिन बाद में योजना के अंतिम वर्ष में बढ़ाकर 39426 करोड़ रुपये कर दिया गया।

1974-75 से 1978-79 के दौरान योजना के वास्तविक सार्वजनिक परिव्यय का क्षेत्रानुसार वितरण

मद	परिव्यय	प्रतिशत
1. कृषि तथा संबंधित क्षेत्र	4865	12.3
2. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3877	9.8
3. संचालन शक्ति	7400	18.8
4. संगठित उद्योग	9581	24.3
5. परिवहन एवं संचार	6870	17.4
6. सामाजिक तथा समुदायिक सेवाएँ	6833	17.4
कुल	39426	100

इस योजना में पहली बार विकास-दर 3.5% से ज्यादा हुआ यानि 5.2% प्राप्त की गयी। प्रति व्यक्ति आय में भी लगभग 2.9% की वृद्धि दर्ज की गयी। कृषि उत्पादन 4.5% की दर से वृद्धि। औद्योगिक उत्पादन 6% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा यानि पाँचवीं योजना में उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त किये गए लेकिन विदेशी व्यापार के स्तर पर हमारी स्थिति अच्छी नहीं रही।

छठी पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1980 - 31 मार्च 1985)

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को चार वर्षों में ही समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से एक नई योजना प्रारंभ कर दी गई। इस योजना को अनवरत योजना (Rolling Plan) का नाम दिया गया। 1980 में सरकार परिवर्तित होने पर पाँचवीं योजना समाप्त कर छठी योजना (1980-85) प्रारंभ की गयी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न थे।

- आर्थिक विकास की दर में पर्याप्त वृद्धि। संसाधनों के प्रयोग के क्षेत्र में कार्यकुशलता में सुधार तथा उत्पादकता को बढ़ाना।
- आर्थिक और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना।

गरीबी, बेरोजगारी में कमी लाने के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विकास दर का लक्ष्य 5.2% वार्षिक, प्रति व्यक्ति आय 3.3% की वार्षिक वृद्धि, कृषि में 3.8% का विकास लक्ष्य खनिज तथा विनिर्माण में 6-9% का विकास-दर तथा सेवा क्षेत्र में 5.5% वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया।

इस योजना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय 97500 करोड़ रुपये रखा गया था जबकि वास्तविक व्यय 109292 करोड़ रुपये हुआ। इस योजना में भी गरीबी उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया साथ ही कृषि और सिंचाई कार्यक्रमों पर ध्यान दिया गया जिससे बाद में कई स्तर पर सफलता भी मिली।

इस प्रकार छठी योजना एक सफल योजना कही जा सकती है लेकिन गरीबी तथा बेकारी की समस्याओं के सामाधान में हम असफल रहे थे।

सातवीं योजना (1985-90)

छठी योजना की समाप्ति के बाद 1985-90 की अवधि के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य लोगों को न्याय दिलाना, शोषण को दूर करना, समाज के कमजोर वर्गों का समाज कल्याण तथा सामाजिक उपभोग के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि करना था इसके लिए योजना के मुख्यतः तीन उद्देश्य रखे गये थे -

- खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना
- उत्पादकता में वृद्धि करना

इस योजना में कुल परिव्यय 3,48,148 करोड़ रुपये रखा गया था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय था - 1,80,000 करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र का 1,68,148 रुपये।

योजना में विकास दर 5% वार्षिक का लक्ष्य रखा गया था। कृषि उत्पादन में 4% वार्षिक तथा औद्योगिक उत्पादन में 8% वार्षिक विकास का लक्ष्य रखा गया।

इस योजना की मुख्य विशेषताओं को हम बिंदुवार देखेंगे -

- उत्पादक रोजगार का सृजन
- कृषि व उद्योग उत्पादन में वृद्धि
- गरीबी निवारण
- आवास, सफाई, पोषाहार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के उच्च स्तर को प्राप्त करना
- ऊर्जा संरक्षण और गैर परम्परागत साधनों का विकास

जहाँ तक उपलब्धि की बात है तो उत्पादन एवं लक्ष्य प्राप्ति की दृष्टि से यह योजना एक सफल योजना थी क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति में काफी सफलता मिली लेकिन सामाजिक समस्याओं (गरीबी, बेरोजगारी) का समाधान नहीं हो सका।

आठवीं योजना 1990-95 के लिए शुरू की गई लेकिन सरकार परिवर्तित होने के बाद 1990-91 एवं 1991-92 को वार्षिक योजना में बदल दिया गया तथा नए तरीके से अप्रैल 1992 में आठवीं योजना को प्रारंभ किया गया।

इस योजना में कृषि, ग्रामीण विकास तथा रोजगार सृजन पर अधिक बल दिया गया। 5.6% वार्षिक विकास-दर का लक्ष्य रखा गया। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए कुल परिव्यय का 50% निर्धारित किया गया।

इस योजना को देश में 1991 में लागू की गई नई आर्थिक एवं औद्योगिक नीति के अनुरूप निर्मित किया गया।

आठवीं योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे -

- पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसरों का सृजन।
- शिक्षा विशेषतः प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाना। साथ ही 15-35 वर्ष की आयु के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना।
- कृषि का विकास एवं विविधिकरण तथा खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके।
- आधारित संरचना, जैसे-ऊर्जा, यातायात, संचार, सिंचाई को सुदृढ़ बनाना।

आठवीं योजना 1991-92 के मूल्य पर सार्वजनिक क्षेत्र में 434100 करोड़ रुपये खर्च करने का आयोजन था जबकि निजी क्षेत्र में 437000 करोड़ रुपये खर्च प्रावधान रखा गया था। योजना में कृषि, ग्रामीण विकास एवं उससे संबंधित कार्यक्रमों पर कुल व्यय का 22% शक्ति पर 26.6% उद्योग एवं खनिज पर लगभग 11% परिवहन एवं संचार पर 18.7% सामाजिक सेवाओं पर 18.2% व्यय का प्रावधान था।

छठी, सातवीं एवं आठवीं योजना में क्षेत्रवार वितरण (प्रतिशत में)

मद	छठी योजना	सातवीं योजना	आठवीं योजना
1. कृषि	15.24	11.23	18.65
2. खनन	71.97	6.70	4.96
3. विनिर्माण	23.60	26.00	23.21
4. विद्युत, गैस एवं जल	12.7	13.65	12.80
5. निर्माण	2.73	1.86	2.57
6. परिवहन	9.42	9.93	11.02
7. संचार	1.50	2.03	3.26
8. सेवाएँ	29.38	28.60	23.13
कुल	100.00	100.00	100.00

आठवीं योजना में अन्य योजनाओं की तरह सफलता की मिश्रित परिदृश्य रहा। कुछ मायनों में यह योजना सफल रही तो कुछ सामाजिक समस्याओं के समाधान में असफल रही विकास दर 6.8% वार्षिक दर्ज किया गया जो लक्ष्य से अधिक रहा।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)

देश की नौवीं पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1997 में प्रारंभ की गयी जो 2002 तक चली। जीवन की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादक रोजगार का सृजन क्षेत्रीय संतुलन तथा आत्म निर्भरता जैसी बातों पर बल दिया गया। समता के साथ विकास की प्राप्ति को प्रधान उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था।

नौवीं योजना के निम्न उद्देश्य रखे गये थे -

- उत्पादक रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण विकास को प्राथमिकता प्रदान करना।
- मूल्य स्थायित्व के साथ अर्थ व्यवस्था में आर्थिक विकास की दर को तीव्र करना।
- सभी वर्गों विशेषतः कमजोर वर्गों के लिए खाद्यान्न एवं पीष्टिकता को सुनिश्चित करना।
- जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना।
- आत्म निर्भरता स्थापित करने से संबंधित प्रयासों को मजबूत करना।

इस योजना में आर्थिक विकास दर 6.5% प्रति वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसकी प्राप्ति के लिए निवेश लक्ष्य को नीचे देख सकते हैं -

सार्वजनिक क्षेत्र में	-	726 हजार करोड़ रुपये
निजी निगमित क्षेत्र में	-	699 हजार करोड़ रुपये
परिवार क्षेत्र में	-	746 हजार करोड़ रुपये
कुल जोड़	-	2171 हजार करोड़ रुपये

इस योजना में विकास दर के लक्ष्य इस प्रकार रखे गये :-

G.D.P. विकास दर - 6.5% वार्षिक

कृषि उत्पादन में विकास दर - 4.5% वार्षिक

औद्योगिक उत्पादन में विकास दर - 8.2% वार्षिक

इस योजना में उपलब्धि लक्ष्य से कम रही वार्षिक विकास दर 5.5% रही। कृषि, उद्योग तथा अर्थ संरचना के क्षेत्र में प्रगति अच्छी नहीं रही रोजगार सृजन की स्थिति भी नकारात्मक रही। यानि कुल मिलाकर योजना की सफलता लक्ष्य से नीचे रही।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07)

दसवीं पंचवर्षीय योजना औपचारिक रूप में 1 अप्रैल 2002 को शुरू हुई जो 31 मार्च 2007 अवधि तक चली। दसवीं योजना में संवृद्धि का लक्ष्य 8% प्रतिवर्ष रखा गया जबकि उपलब्धि 7.8% प्रतिवर्ष रही।

इस योजना के निम्न उद्देश्य रखे गये

- 2007 तक गरीबी अनुपात में 5% तथा 2012 तक 15% की कमी करना।
- 2003 तक बच्चों के लिए स्कूल का लक्ष्य 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की स्कूल शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं।
- योजना अवधि में साक्षरता-दर को 75% तक पहुँचाना।
- योजना अवधि में गाँवों में पानी पहुँचाना।

उपरोक्त उद्देश्यों के साथ शुरू हुई योजना की परिणति मिली-जुली रही।

कृषि और सिंचाई में 4% प्रतिवर्ष संवृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया जबकि उपलब्धि मात्र 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। इसी प्रकार उद्योग में 10% प्रतिवर्ष संवृद्धि का लक्ष्य रखा गया जबकि उपलब्धि 8.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। 10वीं योजना में 41110 M.W. विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया जो 21080 M.W. पैदा की जा सकी।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 2007-2012)

इस योजना में आधारभूत संरचना, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास पर ज्यादा जोर दिया गया। इस योजना के तहत कुल 36.44 लाख करोड़ रुपये विभिन्न मंदां पर खर्च किये गये। बजट-राशि का 50 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा कृषि सिंचाई, शिक्षा पर खर्च किया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी-निजी भागीदारी पर जोर दिया गया जिससे निजी क्षेत्र की पूँजी उद्यमशीलता और तकनीकी कुशलता का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जा सके। 2011-12 में 10 प्रतिशत कर दिया गया था, जिसकी प्राप्ति के लिए 2007-12 के दौरान कृषि में 4 प्रतिशत उद्योगों व सेवाओं में 9 से 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि का लक्ष्य इस योजना में थे।

योजना का कुल आवंटन 3644718 करोड़ रुपये का है। योजना का लक्ष्य समाज के उन वर्गों को उठाकर साथ करना है जो अभी तक आर्थिक प्रगति और बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी शामिल हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बाद समाप्त हुई। इस दौरान आर्थिक विकास की दर 7.9 प्रतिशत रही जो कि शुरुआती दौर के लक्ष्य 9 प्रतिशत से कुछ कम है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के तुलना में इस योजना में कृषि विकास-दर 3 प्रतिशत थी जिसमें काफी वृद्धि दर्ज की गयी थी लेकिन यह योजना भी आर्थिक विकास के फायदों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लक्ष्य में असफल रही बावजूद कि 1990 के बाद से भारत में आर्थिक विकास की दर तेजी से बढ़ी थी।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017)

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेजी और निरंतरता के साथ अधिक से अधिक समावेशी विकास अर्थात् पिछड़े, कमजोर और ऐसे वर्गों तक आर्थिक विकास का लाभ पहुँचाना जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सके हैं। इनमें महिलाएँ, दलित, जनजातियाँ और अल्पसंख्यक इत्यादि। इस योजना में वृद्धि-दर का लक्ष्य 8.2 प्रतिशत से घटाकर राष्ट्रीय विकास परिषद ने 8 प्रतिशत कर दिया। गरीबी की दर को 10 प्रतिशत तक लाना इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में भी पिछली योजनाओं (11वीं) के मुकाबले विकास-दर को 4 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए इस योजना में पिछली योजना के मुकाबले आवंटित राशि को बढ़ाकर दुगुना कर दिया गया है, यह राशि सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के बराबर है किंतु विश्व के अन्य महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अभी भी काफी कम है। आधारभूत संरचनाओं जो कि औद्योगिकी और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है, का विकास करने के लिए सार्वजनिक निवेश पर जोर दिया जा रहा है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों को इस प्रकार देखा जा सकता है -

- वार्षिक विकास-दर का लक्ष्य 8.0 प्रतिशत
- शिशु मृत्यु-दर 25 तथा मातृत्व मृत्यु-दर को 1 प्रति हजार जीवित शिशु जन्म तक लाना।
- योजना के अंत तक सभी गाँवों में विद्युतीकरण
- योजना के अंत तक सभी गाँवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना।
- आधारिक-संरचना क्षेत्र में व्यय को बढ़ाकर जी.डी.पी. (GDP) के 9% तक लाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीडेसिटी को बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक लाना।

साथ ही साथ निजी क्षेत्र को भी इसमें जोड़ने की कोशिश का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा की आवश्यकता तय की गयी। विकास-दर (8%) को प्राप्त करने के लिए वर्तमान समय में अपर्याप्त है इसलिए ऊर्जा की धरेलू-आपूर्ति में वृद्धि के लिए कोयला, खनन, नए बिजली घरों का निर्माण और आपाधिक ऊर्जा के विकास पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय विकास परिषद्

हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य के बीच कई शक्तियाँ और कार्यों का बँटवारा है जिसमें केन्द्रीय विधान सर्वोच्च होता है जिसे भारतीय संविधान मान्यता देता है। सरल शब्दों में कहें तो आर्थिक और सामाजिक योजना के बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा केन्द्र दोनों को है। इसी प्रकार राज्य और केन्द्र के बीच संबंधों के मामले में संसद को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। चूँकि योजना आयोग द्वारा बनायी गयी योजना के दृष्टिपत्र की स्वीकृति तथा क्रियान्वयन के लिए राजनैतिक नेताओं का होना अधिक महत्वपूर्ण है साथ ही विशेषज्ञ भी उतने ही जरूरी हैं। अतः राज्यों और केन्द्र की शक्तियों के विभाजन को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करने में राज्यों की भागीदारी भी अनिवार्य है। इसलिए 'राष्ट्रीय विकास परिषद्' की स्थापना करनी पड़ी जो संवैधानिक निकाय नहीं है मुख्यमंत्री जिसके पदेन सदस्य होते हैं। चूँकि ये संस्था योजना के दृष्टिपत्र को अनुमोदित करती है इसलिए केन्द्र तथा राज्यों के बीच समायोजन को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थापना की गयी।

राष्ट्रीय विकास परिषद् के स्थापना के मुख्य उद्देश्य

1. योजना आयोग की सहायता के लिए देश के विभिन्न स्रोतों को सुदृढ़ करना।
2. समस्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों के अपनाने को प्रोत्साहित करना।
3. देश के सभी भागों के तीव्र तथा संतुलित विकास के लिए प्रयास करना।

राष्ट्रीय विकास परिषद् का संगठन

अध्यक्ष -	प्रधानमंत्री
सदस्य -	राज्यों के मुख्यमंत्री
	केन्द्रीय मंत्री परिषद् के सदस्य
	केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक

राष्ट्रीय विकास परिषद् के मुख्य कार्य

1. राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय-समय पर विचार करना।
2. राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करनेवाली आर्थिक सामाजिक नीतियों की समीक्षा करना।
3. राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना।
4. योजना आयोग द्वारा तैयार की गयी योजना का अध्ययन और विचार-विमर्श कर उसे अंतिम स्वीकृति प्रदान करना।

अर्थव्यवस्था के विकास में पंचवर्षीय योजना का योगदान

आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में देश की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया फलतः देश में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती गयी।

आजादी के बाद उस समय देश के नेताओं ने गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी मिटाने के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लेना आवश्यक समझा। इसी संदर्भ में देश में आर्थिक विकास हेतु पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया।

1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। तब से लेकर आजतक ग्यारह पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्तमान में संचालित है। योजना अवधि में देश का आर्थिक विकास हुआ है तथा कई आर्थिक समस्याओं का समाधान करते हुए देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है।

योजनावधि में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा आर्थिक विकास में योगदान का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है।

हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 1951-52 से 1955-56 की अवधि की थी तथा विगत 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) समाप्त हो चुकी है। इन साठ वर्षों की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई स्तर पर प्रगति की है, इस प्रगति का एक बहुत बड़ा भाग योजनाओं के बिना संभव ही नहीं हो सकता था।

हमारा पहला संकेतक है, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) जो पहली पंचवर्षीय योजना में 3.7% थी जो 9वीं योजना में 5.5 प्रतिशत रही पुनः 10वीं योजना काल में यह 7.8 प्रतिशत तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गयी। देश की अर्थव्यवस्था का पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास 'सकल घरेलू उत्पाद' के तीन घटकों कृषि, सेवा और विनिर्माण तथा उद्योग की गति-प्रगति पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू कृषि है जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना से ही विकास का आधार मानते हुए केन्द्र में रखा गया जो उत्तरोत्तर विकास करते हुए 9वीं योजना में 2.5 प्रतिशत तक बढ़ी। पुनः ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 3.5 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर को 4 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे अत्यधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश में कृषि क्षेत्र में कार्यकुशलता विशेषतः खाद्यान्न उत्पादन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि विकास की रफ्तार की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। वर्ष 1950-51 में खाद्यान्न उत्पादन में 51 मिलियन टन था जो 1985-86 में 150 मिलियन टन हो गया तथा 2010-11 (11वीं योजनाकाल) में यह बढ़कर 24 करोड़ 16 लाख टन के शिखर तक पहुँच गया।

'पंचवर्षीय योजना और अर्थव्यवस्था के विकास' को मात्र आर्थिक विकास के उपरोक्त संकेतों से नहीं आंका जा सकता बल्कि इसे समानता एवं सामाजिक न्याय की उद्देश्यों की दिशा में अर्थव्यवस्था की प्रगति द्वारा भी देखा जाना चाहिए ताकि 'समावेशी विकास' संभव हो। इन उद्देश्यों के लिए संस्थात्मक संकेत को बताना कठिन है तथापि इसमें हुई मिश्रित प्रगति की दरें तथ्यों से स्पष्ट किया जा सकता है। प्रथमतः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में हुई वृद्धि से दृष्टिगत होता है 1950 की भारतीय स्वास्थ्य सेवा

की 81 प्रतिशत सुविधाएँ शहरों तक सीमित थी। 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के मुताबिक 27000 लोगों पर औसतन एक चिकित्सक उपलब्ध था। कालान्तर में विभिन्न योजनाओं में स्वास्थ्य सुविधा पर कई कदम उठाये गए 1991 में सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्वास्थ्य संबंधी नीतियों को सीधे लागू कर आम आदमी के जीवन स्तर पर सुधार किये।

11वीं योजना में जनस्वास्थ्य एवं जैव-चिकित्सा अनुसंधान को महत्व दिया गया। 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' के नाम पर देश के 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान' (एम्स) की तर्ज पर छः नए एम्स (पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, रायपुर, ऋषिकेश) खोलने की योजना रखी गयी। इस योजना में स्पष्ट संकल्प लिया गया कि टेली मेडिसीन, डायबिटीज-नियंत्रण, कोर्डियो वैस्कुलर रोगों के निदान हेतु राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाये जाएँगे।

वर्तमान 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) स्वास्थ्य को समर्पित की गयी है

अर्थव्यवस्था के विकास में आधारभूत संरचना का विकास महत्वपूर्ण है। पंचवर्षीय योजना में इस पर विशेष बल दिया जाने लगा है। 11वीं योजना के प्रथम वर्ष 2006-07 के सकल घरेलू उत्पाद के 2.6 प्रतिशत की जगह पूँजी-निवेश को बढ़ाकर योजनावधि के अंतिम वर्ष में 2011-12 में इसे बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने की बात कही गयी। दुनियादी सुविधाओं पूँजी निवेश का लक्ष्य 11वीं योजना में 50 अरब डालर रखा गया था जो 12वीं योजनावधि में बढ़ाकर एक खरब डालर किया जाना है।

किंतु वर्तमान समय में गरीबी के प्रत्यक्ष उन्मूलन से संबंधित मूलभूत प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इस क्षेत्र में प्रारंभिक योजना में बहुत कम प्रगति हुई बाद में 1972-73 के वर्ष में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जनसंख्या का अनुमान 51.5 प्रतिशत (41.2 प्रतिशत शहरी क्षेत्र और 54.1 ग्रामीण क्षेत्र) था। 1984-85 में यह अनुमान क्रमशः 36.9 (27 प्रतिशत शहरी 39.3 प्रतिशत ग्रामीण)। वर्तमान समय में भी गरीबी की स्थिति अच्छी नहीं है, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं। इनकी संख्या लगभग 61 करोड़ है जो देश की आधी जनसंख्या से ज्यादा है जिसमें 42 करोड़ लोग सिर्फ बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पं बंगाल में रहते हैं।

देश में सर्वाधिक गरीब राज्य

राज्य	प्रतिशत	
	2009-10	2011-12
बिहार	53.5	33.7
ओडिसा	37.0	32.6
उत्तर प्रदेश	37.7	29.4
मध्य प्रदेश	36.7	31.7
पं. बंगाल	26.7	20.0
राजस्थान	24.8	14.7

भारत में वर्तमान में गरीबी की जो स्थिति है वह सही अर्थों में समावेशी विकास और 9 प्रतिशत की विकासदर प्राप्त करने पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है जिसे पंचवर्षीय योजना में गंभीरता से विचार करना होगा।

अतः हमने देखा कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के मोर्चे पर अच्छी प्रगति की है लेकिन समावेशी विकास के अर्थों में हमारा निष्पादन उतना अच्छा नहीं है। वर्तमान 12वीं पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के विकास में चार

महत्वपूर्ण दुर्नीतियाँ आ सकती हैं -

- ऊर्जा स्थिति का प्रबंधन
- जल अर्थव्यवस्था का प्रबंधन
- शहरीकरण से उत्पन्न समस्याओं का सुधार
- पर्यावरण संरक्षण

प्रत्येक क्षेत्र में गंभीर नीति बनाकर सरकार को तेज विकास हेतु कठोर फंसले लेने होंगे।

विगत पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रवार विकासदर और बारहवीं योजना के लक्ष्य

		9वीं	10वीं	11वीं	12वीं योजना	
		योजना	योजना	योजना	9.0% लक्ष्य	9.5% लक्ष्य
1.	कृषि, बानिकी एवं मत्स्यपालन	2.5	2.3	3.2*	4.0	4.2
2.	खनन	4.0	6.0	4.7	8.0	8.5
3.	उत्पादन	3.3	9.3	7.7	9.8	11.5
4.	बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति	4.8	6.8	6.4	8.5	9.0
5.	निर्माण	7.1	11.8	7.8	10.0	11.0
6.	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	7.5	9.6	7.0		
7.	परिवहन, भंडारण एवं संचार	8.9	13.8	12.5		
6-7	व्यापार, होटल आदि + परिवहन, संचार व भंडारण	8.0	11.2	9.9	11.0	11.2
8.	वित्त, बीमा, भवन निर्माण एवं व्यावसायिक क्षेत्र	8.0	9.9	10.7	10.0	10.5
9.	सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवाएँ	7.7	5.3	9.4	8.0	8.0
	सकल जीडीपी	5.5	7.8	8.2	9.0	9.5
	उद्योग	4.3	9.4	7.4	9.6	10.9
	सेवाएँ	7.9	9.3	10.0	10.0	10.0

स्रोत : 12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टि-पत्र, योजना आयोग, भारत सरकार

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (बिहार के परिप्रेक्ष्य में)

बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार की आम जनता गरीबी, बेकारी तथा आर्थिक असमानताओं से जूझ रही है, जिसके समाधान हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अथक प्रयास किये गये थे और वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास जारी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति को प्राथमिकता दी गयी है -

- आर्थिक विकास की दर को 12-13 प्रतिशत तक बढ़ाना ताकि बिहार की प्रतिव्यक्ति आय (P.C.I.) राष्ट्रीय प्रतिव्यक्ति आय के नजदीक पहुँच सके।

- कृषि में 'इन्द्रधनुषी क्रांति' के द्वारा 7 प्रतिशत की विकास-दर को प्राप्त करना।
- आधार-भूत संरचना और औद्योगिकीकरण पर बल देना
- सामाजिक-क्षेत्र विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास पर जोर देना
- समान क्षेत्रीय विकास का प्रयास करना
- समाज के सबसे निचले स्तर पर रह रहे लोगों की आय में पर्याप्त वृद्धि करना।

बिहार योजना आयोग के अनुसार 11-13 प्रतिशत की आर्थिक विकास-दर को प्राप्त करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के मुकामले 30 से 45 प्रतिशत अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ेगी जिसको 8.602 लाख करोड़ से लेकर 10.359 लाख करोड़ के बीच आंका गया है।

अभ्यास

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सही है ?

1. भारत में नियोजन (योजना) का मूल उद्देश्य है -
(क) तीव्र आर्थिक विकास (ख) सामाजिक सेवाओं का विस्तार
(ग) औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि (घ) न्याय के साथ आर्थिक विकास
2. भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ ?
(क) 10 दिसम्बर 1951 (ख) 15 मार्च 1950 (ग) 13 अप्रैल 1952 (घ) 16 सितम्बर 1951
3. भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई ?
(क) अप्रैल 1948 में (ख) अप्रैल 1950 में (ग) अप्रैल 1951 में (घ) अप्रैल 1956 में
4. बिहार की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है ?
(क) विकसित (ख) औद्योगिक (ग) पिछड़ी (घ) शुद्ध पूँजीवादी
5. वर्तमान वर्ष में भारत में कौन-सी पंचवर्षीय योजना संचालित है ?
(क) पहली पंचवर्षीय योजना (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना
(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना
6. योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है ?
(क) वित्तमंत्री (ख) प्रधानमंत्री (ग) गृहमंत्री (घ) रेलमंत्री
7. 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है ?
(क) 2012-17 (ख) 2002-07 (ग) 1997-2002 (घ) 2010-2015

उत्तर : 1. घ, 2. ख, 3. ग, 4. ग, 5. घ, 6. ख, 7. क

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. आर्थिक-नियोजन से आप क्या समझते हैं ?
2. भारत में पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों को बताएँ।
3. भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है। किन्हीं पाँच की अवधि बताएँ।
4. आर्थिक नियोजन के चार तत्वों को बताएँ।
5. राष्ट्रीय विकास परिषद के मुख्य कार्यों को बताएँ।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. योजना आयोग के गठन और उसके कार्यों का वर्णन करें।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का वर्णन करें।
3. बिहार में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आर्थिक विकास हेतु किन-किन बातों पर जोर दिया गया है ? उल्लेख करें।
4. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के प्रमुख लक्ष्यों को बताएँ।
5. पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका को बताएँ।

भारतीय जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या 1,21,01,93,422 (एक अरब इक्कीस करोड़ एक लाख तिरानवे हजार चार सौ बाइस) हो चुकी है। इनमें पुरुषों की संख्या 62.37 करोड़ तथा महिलाओं की संख्या 58.64 करोड़ है। भारत की जनसंख्या अमेरिका, इन्डोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बंगलादेश की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। देश में पिछले एक दशक में 18.3 करोड़ नई आबादी जुड़ गयी है। दुनिया की कुल आबादी में भारत की हिस्सेदारी 17.5 फीसदी है जबकि कुल वैश्विक क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत हिस्सा ही भारत के पास है। जनसंख्या के मामले में भारत 134 करोड़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन के करीब पहुँचता जा रहा है।

अमेरिकी एजेन्सी पोपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के अनुसार 2060 में भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक 162.8 करोड़ के आसपास हो जाएगी। यद्यपि नई जनगणना में देश की जनसंख्या वृद्धि में कमी देखी गई है फिर भी तेजी से बढ़ती जनसंख्या देश की आर्थिक, सामाजिक समस्याओं की जननी बन विकास के लिए खतरे की घंटी बन गई है।

उपरोक्त आँकड़े यह बताने के लिए काफी हैं कि हमारा देश जनसंख्या विस्फोट के चपेट में आ चुका है।

जनसंख्या विस्फोट का अर्थ



जनसंख्या विस्फोट का अर्थ समझने के पहले हमें जनसांख्यिकी परिवर्तन सिद्धांत (Theory of Demographic transition) को भी जानना होगा। इसके अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या को तीन अवस्थाओं से गुजरना होता है और सिर्फ दूसरी अवस्था में जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ती है।

पहली अवस्था में जन्मदर और मृत्युदर दोनों ऊँची होती है, इसलिए जनसंख्या स्थिर रहती है। ऐसी स्थिति अल्प विकसित देशों में पाया जाता है। अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम होता है और जीवन स्तर निम्न होता है। असंतुलित और अपर्याप्त भोजन, आवास की अस्वास्थ्यकर व्यवस्था, शिक्षा, अंधविश्वास और चिकित्सा की सुविधाएँ नहीं होने के कारण मृत्यु दर

ऊँची होती है, वहीं सामाजिक और आर्थिक कारणों से जन्म दर ऊँची होती है। कृषि क्षेत्र में बड़े किसानों के लिए बड़े परिवार का पालन कोई समस्या नहीं होती है इसलिए वह बड़े परिवार की इच्छा रखता है। छोटे किसानों का जीवन स्तर निम्न होता है और उनके परिवारों में मृत्यु दर अधिक होता है। अतः वे अधिक बच्चों की इच्छा रखते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि व्यवसाय में बच्चों को कम आयु में ही काम पर लगाया जा सकता है। परिवार में लड़कों का होना सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक होता है। लोगों को परिवार नियोजन के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। ये सभी कारण सामूहिक रूप से ऊँची जन्म दर के लिए जिम्मेदार होते हैं लेकिन इस अवस्था में ऊँची मृत्यु दर और जन्म दर के बीच संतुलन रहता है जिससे जनसंख्या स्थिर रहती है।

दूसरी अवस्था में मृत्यु दर नीचे आने लगती है लेकिन जन्म दर ऊँची बनी रहती है। हमारा देश अभी इसी अवस्था से गुजर रहा है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया आरंभ होते ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने लगता है। जनांकिकी परिवर्तन की इस दूसरी अवस्था में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। अकाल और भुखमरी की समस्या दूर हो जाती है। चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि हो जाती है। इन सभी कारणों से मृत्यु दर में कमी होती है। जबकि जन्म दर पहले की तरह ऊँची रहती है क्योंकि जन्म दर को प्रभावित करने वाले तत्वों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। रीति-रिवाज, धार्मिक विश्वास, शिक्षा, परिवार के बारे में दृष्टिकोण आदि जो जन्म दर को प्रभावित करते हैं, इनमें परिवर्तन तभी होता है जब औद्योगिकरण के साथ-साथ शहरीकरण होता है। जाहिर है कि इस प्रक्रिया में समय लगता है। अतः जन्म दर तथा मृत्युदर का अन्तर काफी बढ़ जाता है और जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या में 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष या उससे भी अधिक दर से वृद्धि होने लगती है। इसी स्थिति को अर्थशास्त्र की भाषा में जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। भारत इस वर्तमान समय में इसी अवस्था से गुजर रहा है।




तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नीची हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि की दर भी नीची रहती है। यह अवस्था तब आती है जब देश में औद्योगिकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया साथ-साथ चलती है। जहाँ औद्योगिकरण के साथ-साथ शहरीकरण नहीं होता है वहाँ जन्म दर नीचे आने में समय लगता है। चूंकि औद्योगिकरण और शहरीकरण के साथ शिक्षा बढ़ती है, जिससे धार्मिक अन्धविश्वास में कमी होती है और लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। उनमें परिवार नियोजन के बारे में जानकारी बढ़ती है। फलस्वरूप जन्म दर गिरने लगती है। औद्योगिकरण और शहरीकरण के साथ जैसे-जैसे आर्थिक विकास की गति तेज होने लगती है। स्त्रियाँ भी घर से बाहर निकलकर उत्पादक कार्यों में संलग्न हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में वे परिवार नियोजन के प्रति जागरूक हैं। आर्थिक विकास के साथ सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तन जन्म दर को नीचे गिराते हैं। इस प्रकार जनसंख्या विस्फोट की स्थिति खत्म हो जाती है और जनसंख्या की समस्या का समाधान हो जाता है।

निम्न आँकड़ों में हम देख सकते हैं कि आबादी बेलगाम, बेतहासा एवं अनियंत्रित रूप से बढ़ती जा रही है।

1901 से 2011 तक भारत की जनसंख्या

जनगणना वर्ष	जनसंख्या करोड़ में	दशक में परिवर्तन करोड़ में (प्रतिशत में)	दशक में वृद्धि की दर
1901	23.84	+ 0.24	-
1911	25.21	+ 1.37	+ 5.75
1921	25.13	- 0.08	- 0.31
1931	27.90	+ 2.77	+ 11.00
1941	31.87	+ 3.97	+ 14.22
1951	36.11	+ 4.24	+ 13.31
1961	43.11	+ 7.81	+ 21.64
1971	54.82	+ 10.90	+ 24.80
1981	68.33	+ 13.51	+ 24.66
1991	84.63	+ 16.30	+ 23.86
2001	102.70	+ 18.30	+ 21.30
2011	121.02	+ 18.32	+ 17.64

उपर्युक्त सारणी के दर्शाए गए दशकीय जनसंख्या वृद्धि को बार चार्ट द्वारा भी दिखाया जा सकता है।



जनसंख्या की वर्तमान स्थिति

देश की 15वीं जनगणना (2011) के प्रारंभिक आँकड़ों के अनुसार देश की कुल आबादी 1,21,01,93,422 हो गई है। 2001 की जनगणना के बाद से अभी तक भारत की आबादी लगभग 18 करोड़ बढ़ी है। जो पिछली जनगणना के मुकाबले 17.64 प्रतिशत ज्यादा है।

जनगणना वर्ष 2001 से जनगणना वर्ष 2011 के बीच जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर को निम्न आँकड़ों में देखा जा सकता है।

जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राज्यों के जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर

भारत/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	दशकीय वृद्धि दर
भारत	17.64
जम्मू कश्मीर	23.71
हिमाचल प्रदेश	12.81
पंजाब	13.73
चंडीगढ़	17.10
उत्तराखण्ड	19.17
हरियाणा	19.90
दिल्ली	20.96
राजस्थान	21.44
उत्तर प्रदेश	20.09
बिहार	25.07
सिक्किम	12.36
अरुणाचल प्रदेश	25.92
नागालैन्ड	-0.47
मणिपुर	18.65
मिजोरम	22.78
त्रिपुरा	14.75
मेघालय	27.82

भारत/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	दशकीय वृद्धि दर
आसाम	16.93
पश्चिम बंगाल	13.93
झारखण्ड	22.34
उडिसा	13.97
छत्तीसगढ़	22.59
मध्य प्रदेश	20.30
गुजरात	19.17
दमन दीव	53.54
दादर एवं नगर हवेली	55.50
महाराष्ट्र	15.99
आन्ध्र प्रदेश	11.10
कर्नाटक	15.67
गोआ	8.17
लक्षद्वीप	6.23
केरल	4.86
तमिलनाडु	15.60
पुडुचेरी	22.72
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6.68

यह वृद्धि गाँवों में 12.18 और शहरी क्षेत्रों में 31.80 प्रतिशत की रही है। ग्रामीण आबादी में सबसे अधिक बढ़ोतरी की दर बिहार में 23.90 प्रतिशत रही है। 2011 की जनगणना के तदर्थ आँकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में 83 करोड़ 31 लाख ग्रामीण और 37 करोड़ 71 लाख शहरी आबादी है। पिछले एक दशक में ग्रामीण आबादी में 9 करोड़ 4 लाख 70 हजार तथा शहरी आबादी के 9 करोड़ 10 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अनुसार देश की आबादी का 68.84 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण और 31.16 प्रतिशत हिस्सा शहरी है। सर्वाधिक 89.96 प्रतिशत ग्रामीण आबादी हिमाचल प्रदेश और सबसे ज्यादा 97.50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या दिल्ली में है।

2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या के राज्यवार वितरण को निम्न आँकड़ों से समझा जा सकता है।

2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का राज्यवार वितरण

भारत/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	जनसंख्या
भारत	1,21,01,93,422
जम्मू कश्मीर	1,25,48,926
हिमाचल प्रदेश	68,56,509
पंजाब	2,77,04,236
चंडीगढ़	10,54,686
उत्तराखण्ड	1,01,16,752
हरियाणा	2,53,53,081
दिल्ली	1,67,53,235
राजस्थान	6,86,21,012
उत्तर प्रदेश	19,95,81,477
बिहार	10,38,04,637
सिक्किम	6,07,688
अरुणाचल प्रदेश	13,82,611
नागालैन्ड	19,80,602
मणिपुर	27,21,756
मिजोरम	10,91,014
त्रिपुरा	38,71,032
मेघालय	29,64,007

भारत/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	जनसंख्या
आसाम	3,11,69,272
पश्चिम बंगाल	9,13,47,736
झारखण्ड	3,29,66,238
उडिसा	4,19,47,358
छत्तीसगढ़	2,55,40,196
मध्य प्रदेश	7,25,97,565
गुजरात	6,03,83,628
दमन दीव	2,42,911
दादर एवं नगर हवेली	3,42,853
महाराष्ट्र	11,23,82,972
आन्ध्र प्रदेश	8,46,65,533
कर्नाटक	6,11,30,704
गोआ	11,57,723
लक्षद्वीप	64,429
केरल	3,33,87,677
तमिलनाडु	7,21,38,958
पुदुचेरी	12,44,464
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3,79,944

इस बार के प्रारंभिक आँकड़ों उम्मीद की हल्की सी किरण जगाते हैं। इस बार की जनसंख्या रिपोर्ट में महिला शिक्षा की दर बढ़ती दिख रही है और महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर (स्त्री पुरुष अनुपात) पिछली जनसंख्या के मुकाबले थोड़ा बेहतर हुआ है। लेकिन बच्चों के मामले में लिंगानुपात की दर में थोड़ी कमी एक खतरनाक संकेत है, जो बालिका भ्रूण हत्या बढ़ने की ओर संकेत करता है। छः साल तक की आबादी में इस समय एक हजार लड़कों के मुकाबले सिर्फ 914 लड़कियाँ ही हैं।

भारत की जनगणना 2011 के औपबधिक जनसंख्या आँकड़े

जनसंख्या	कुल	1,21,01,93,422	
	पुरुष	62,37,24,248	
	स्त्री	58,64,69,174	
दशकीय जनसंख्या वृद्धि	कुल		प्रतिशत
	व्यक्ति	18,14,55,986	17.64
	पुरुष	9,15,01,158	17.19
	स्त्री	8,99,54,828	18.12
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर)		382	
लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या		940	
0-6 आयु के बच्चों की संख्या	कुल		कुल जनसंख्या का प्रतिशत
	व्यक्ति	15,87,89,287	
	पुरुष	8,29,52,135	
	स्त्री	7,58,37,152	
(शिक्षित) साक्षरता	कुल		साक्षरता दर
	व्यक्ति	77,84,54,120	74.04
	पुरुष	44,42,03,762	82.14
	स्त्री	33,42,50,358	65.46

2011 की जनगणना के अनुसार

पाँच सर्वाधिक और पाँच सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य

सर्वाधिक जनसंख्या वाले पाँच राज्य	
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	जनसंख्या
उत्तर प्रदेश	19,95,81,477
महाराष्ट्र	11,23,82,972
बिहार	10,38,04,637
पश्चिम बंगाल	9,13,47,736
आन्ध्र प्रदेश	8,46,65,533


कम जनसंख्या वाले पाँच राज्य	
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	जनसंख्या
लक्ष्यद्वीप	64,429
दमन एवं दिव	2,42,911
दादर एवं नगर हवेली	3,42,853
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3,79,944
सिक्किम	6,07,688

पाँच सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर और पाँच सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य

पाँच सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य	
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	वृद्धि दर
मेघालय	27.82
अरुणाचल प्रदेश	25.92
बिहार	25.07
जम्मू कश्मीर	23.71
मिजोरम	22.78

पाँच सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य	
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	वृद्धि दर
नागालैंड	-0.47
केरल	4.86
लक्षद्वीप	6.23
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6.68
गोआ	8.17

भारत में साक्षरता (लैंगिक आधार पर)




वर्ष	साक्षरता दर		
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1981	43.57	56.38	29.76
1991	52.21	64.13	39.29
2001	64.83	75.26	53.67
2011	74.04	82.14	65.46

भारत में साक्षरता दर (राज्यवार)

भारत/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	साक्षरता दर (प्रतिशत)			भारत/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	दशकीय वृद्धि दर		
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	1	2	3	4
भारत	74.04	82.14	65.46	आसाम	73.18	78.81	67.27
जम्मू कश्मीर	68.74	78.26	58.01	पश्चिम बंगाल	77.08	82.67	71.16
हिमाचल प्रदेश	83.78	90.83	78.60	झारखण्ड	67.63	78.45	56.21
पंजाब	76.68	81.48	71.34	उत्तिसा	73.45	82.40	64.36

चंडीगढ़	86.43	90.54	81.38	छत्तीसगढ़	71.04	81.45	60.59
उत्तराखण्ड	79.63	88.33	70.70	मध्य प्रदेश	70.63	80.53	60.02
हरियाणा	76.64	85.38	66.77	गुजरात	79.31	87.23	70.73
दिल्ली	86.34	91.03	80.93	दमन दीव	87.07	91.48	79.59
राजस्थान	67.06	80.51	52.66	दादर एवं नगर हवेली	77.65	86.46	65.93
उत्तर प्रदेश	69.72	79.24	59.26	महाराष्ट्र	82.91	89.82	75.48
बिहार	63.82	73.39	53.33	आन्ध्र प्रदेश	67.66	75.56	59.74
सिक्किम	82.20	87.29	78.43	कर्नाटक	75.60	82.85	68.13
अरुणाचल प्रदेश	66.95	73.69	59.57	गोआ	87.40	92.81	81.84
नागालैन्ड	80.11	83.29	76.69	लक्ष्यद्वीप	92.28	96.11	88.25
मणिपुर	79.85	86.49	73.17	केरल	93.91	96.02	91.98
मिज़ोरम	91.58	93.72	89.40	तमिलनाडु	80.33	86.81	73.66
त्रिपुरा	87.75	92.18	83.15	पुद्दुचेरी	86.55	82.12	81.22
मेघालय	75.48	77.17	73.78	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	86.27	90.11	81.84

सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल और
सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार से संबंधित चार्ट



निम्न चार्ट के माध्यम से देश में लिंगानुपात की स्थिति को जाना जा सकता है।

लिंग अनुपात

भारत/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	लिंग अनुपात (स्त्री 1000 प्रति पुरुष)	
	2001	2011
1	2	3
भारत	933	940
जम्मू कश्मीर	892	883
हिमाचल प्रदेश	968	974
पंजाब	876	893
चंडीगढ़	777	818
उत्तराखण्ड	962	963
हरियाणा	861	877
दिल्ली	821	866
राजस्थान	921	926
उत्तर प्रदेश	898	908
बिहार	919	916
सिक्किम	875	889
अरुणाचल प्रदेश	893	920
नागालैन्ड	900	931
मणिपुर	974	987
मिजोरम	935	975
त्रिपुरा	948	961
मेघालय	972	986

भारत/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	लिंग अनुपात (स्त्री 1000 प्रति पुरुष)	
	2001	2011
1	2	3
आसाम	935	954
पश्चिम बंगाल	934	947
झारखण्ड	941	947
उडिसा	972	978
छत्तीसगढ़	989	991
मध्य प्रदेश	919	930
गुजरात	920	918
दमन दीव	710	618
दादर एवं नगर हवेली	812	775
महाराष्ट्र	822	925
आन्ध्र प्रदेश	978	992
कर्नाटक	965	968
गोआ	961	968
लक्षद्वीप	948	946
केरल	1058	1084
तमिलनाडु	987	995
पुडुचेरी	1001	1038
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	846	878

भारत, विश्व व अन्य देशों में लिंगानुपात की स्थिति

भारत एवं अन्य देश	
देश	लिंगानुपात
विश्व	984
रशियन फेडरेशन	1165
जापान	1054
युनाइटेड किंगडम	1037
ब्राजील	1031
दक्षिण अफ्रिका	1028
संयुक्त राज्य अमेरिका	1026
रिपब्लिक ऑफ कोरिया	1020
ऑस्ट्रेलिया	1011
ईरान	968
भारत	940
चीन	927
म्यानमार	1048
श्रीलंका	1032
नेपाल	1014
बांग्लादेश	978


- भारत में लिंगानुपात चीन जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है से थोड़ा अच्छा है।
- जबकि यूरॉपियन, अफ्रिका एवं अमेरिकी देशों में लिंगानुपात भारत की तुलना में अच्छा है।
- श्रीलंका, नेपाल एवं म्यानमार का लिंगानुपात भारत से अच्छा है।

भारत में शिशु लिंग अनुपात

भारत/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	लिंग अनुपात (0-6 वर्ष वाले बच्चों की जनसंख्या)	
	2001	2011
	1	2
भारत	927	914
जम्मू कश्मीर	941	859
हिमाचल प्रदेश	896	906
पंजाब	798	846
चंडीगढ़	845	867
उत्तराखण्ड	908	886
हरियाणा	819	830
दिल्ली	868	866
राजस्थान	909	883
उत्तर प्रदेश	916	899
बिहार	942	933
सिक्किम	963	944
अरुणाचल प्रदेश	964	960
नागालैन्ड	964	944
मणिपुर	957	934
मिजोरम	964	971
त्रिपुरा	966	953
मेघालय	973	970

भारत/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	लिंग अनुपात (स्त्री 1000 प्रति पुरुष)	
	2001	2011
	1	2
आसाम	965	957
पश्चिम बंगाल	960	950
झारखण्ड	965	943
उडिसा	953	934
छत्तीसगढ़	975	964
मध्य प्रदेश	932	912
गुजरात	883	886
दमन दीव	926	909
दादर एवं नगर हवेली	979	924
महाराष्ट्र	913	883
आन्ध्र प्रदेश	961	943
कर्नाटक	946	943
गोआ	938	920
लक्ष्यद्वीप	959	908
केरल	960	959
तमिलनाडु	942	946
पुडुचेरी	967	965
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	957	966

भारत में शिशु लिंगानुपात को दर्शाता आरेख



पाँच सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश तथा पाँच सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश

पाँच सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले	
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	घनत्व
दिल्ली	11,297
घण्डीगढ़	9,252
पुडुचेरी	2,598
बिहार	1,102
पश्चिम बंगाल	1,029

पाँच सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले	
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	घनत्व
अरुणाचल प्रदेश	17
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	46
मिजोरम	52
सिक्किम	86
नागालैण्ड	119

जनगणना 2011 के अनुसार बिहार

जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 1,03,804,637 है जिसमें महिलाओं की संख्या 39,754,714 तथा पुरुषों की संख्या 43,243,795 है। कुल आबादी की 11.30 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है। बिहार की जनसंख्या में पिछली जनगणना के बाद से 8.30 करोड़ की वृद्धि हुई है। बिहार की जनसंख्या में 1991 से 2001 के बीच दशकीय वृद्धि जहाँ 28.43 प्रतिशत था वही 2001-11 के बीच 25.07 प्रतिशत रहा है।

लिंगानुपात की स्थिति 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष संख्या के अनुपात में महिलाओं की संख्या 916 है जो कि राष्ट्रीय औसत 940 से काफी कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के प्रति 1000 में स्त्रियों की संख्या 921 थी।

जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या के आँकड़

शहरी जनसंख्या का प्रतिशत		2001	2011				
		10.46	10.30				
जनसंख्या	कुल	103,804,637	92,075,028	11,729,609			
	पुरुष	54,185,347	47,983,851	6,201,496			
	स्त्री	49,619,290	44,091,177	5,528,113			
दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001-2011		कुल			प्रतिशत		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
	व्यक्ति	20,806,128	11,758,319	3,047,809	25.07	23.90	35.11
	पुरुष	10,941,552	9,388,855	1,552,697	25.30	24.33	33.40
	स्त्री	9,864,576	8,369,464	1,495,112	24.81	23.43	37.07
लिंग अनुपाती (प्रति 1000 पुरुष पर महिला)		916	919	891			
0-6 आयु वर्ग वाले की जनसंख्या		कुल			कुल का प्रतिशत		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
	व्यक्ति	18,582,229	16,899,426	1,682,803	17.90	18.35	14.35
	पुरुष	9,615,280	8,732,235	883,045	17.75	18.20	14.24
	स्त्री	8,966,949	8,167,191	799,758	18.07	18.52	14.47
शिशु लिंग अनुपाती (0-6 आयु वर्ग) (प्रति 1000 पुरुष पर महिला)		933	935	906			
		कुल			साक्षरता दर		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
	व्यक्ति	54,390,254	46,478,818	7,911,436	63.82	61.83	78.75
	पुरुष	32,711,975	28,221,885	4,490,090	73.39	71.90	84.42
	स्त्री	21,678,279	18,256,933	3,421,346	53.33	50.82	72.36

बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.58 प्रतिशत है जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार 8.07 प्रतिशत थी।

इसे नीचे दिए गए वृत्त चित्र में देखा जा सकता है।

देश की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत हिस्सा



बिहार की जिलावार जनसंख्या

जिला	जनसंख्या	Population	Male	Female
पटना	5,772,804	5,772,804	3,051,117	2,721,687
पूर्वी चम्पारण	5,082,868	5,082,868	2,674,037	2,408,831
मुजफ्फरपुर	4,778,610	4,778,610	2,517,500	2,261,110
गया	4,379,383	4,379,383	2,266,865	2,112,518
समस्तीपुर	4,254,782	4,254,782	2,228,432	2,026,350
सारण	3,943,098	3,943,098	2,023,476	1,919,622
पश्चिम चम्पारण	3,922,780	3,922,780	2,057,669	1,865,111
दरभंगा	3,921,971	3,921,971	2,053,043	1,868,928
वैशाली	3,495,249	3,495,249	1,847,058	1,648,191
सीतामढ़ी	3,419,622	3,419,622	1,800,441	1,619,181
सीवान	3,318,176	3,318,176	1,672,121	1,646,055
पूर्णिया	3,273,127	3,273,127	1,695,829	1,577,298
कटिहार	3,068,149	3,068,149	1,601,158	1,466,991
भागलपुर	3,032,226	3,032,226	1,614,014	1,418,212
रोहतास	2,962,593	2,962,593	1,547,856	1,414,737
बेगुसराय	2,954,367	2,954,367	1,560,203	1,394,164
नालन्दा	2,872,523	2,872,523	1,495,577	1,376,946
अररिया	2,806,200	2,806,200	1,460,878	1,345,322
भोजपुर	2,720,155	2,720,155	1,431,722	1,288,433
गोपालगंज	2,558,037	2,558,037	1,269,677	1,288,360
औरंगाबाद	2,511,243	2,511,243	1,310,867	1,200,376
सुपौल	2,228,397	2,228,397	1,157,815	1,070,582
नवादा	2,216,653	2,216,653	1,145,123	1,071,530

बांका	2029339	1064307	965032
मधेपुरा	1994618	1042373	952245
सहरसा	1897102	995502	901600
जमुई	1756078	914368	841710
बक्सर	1707643	888356	819287
किशनगंज	1690948	868845	822103
खगरिया	1657599	880065	777534
कैमूर	1626900	847784	779116
मुंगेर	1359054	723280	635774
जहानाबाद	1124176	586202	537974
लखीसराय	1000717	526651	474066

बिहार की जनसंख्या घनत्व

बिहार का कुल क्षेत्रफल 94.163 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1102 व्यक्ति रहते हैं जो कि राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से काफी अधिक है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या घनत्व 881 प्रति वर्ग किलोमीटर था जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था।

जनसंख्या वृद्धि के कारण

जैसा कि हमने पाठ के शुरुआत में जनसंख्या विस्फोट के अध्ययन के क्रम में जाना कि जनांकिकी परिवर्तन सिद्धांत के दूसरी अवस्था में जब मृत्यु दर नीचे आने लगती है लेकिन जन्म दर ऊँची बनी रहती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर जितनी अधिक होगी जनसंख्या उतनी ही तेजी से बढ़ती है। इसके अतिरिक्त किसी स्थान विशेष की जनसंख्या की वृद्धि का एक और कारण हो सकता है प्रवाजन (Migration)। इसके बड़ी संख्या में लोग किसी विशेष स्थान पर आकर बस जाते हैं। हमारे देश में शहरों की आबादी बढ़ने का एक प्रमुख कारण प्रवाजन है, जहाँ गाँवों से बड़ी संख्या में लोग रोजगार या बेहतर जीवन की तलाश में शहरों में आकर बस जाते हैं। हाल के वर्षों में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में वहाँ के नागरिक अवैध रूप से भारत आकर बस गए जिससे सीमावर्ती राज्यों में जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन देश में जनसंख्या वृद्धि के मुख्यतः दो ही कारण हैं; मृत्यु दर में अत्यधिक कमी तथा जन्म दर का ऊँचा रहना।

जनसंख्या वृद्धि के कारणों को समझने के लिए हमें मृत्यु दर में गिरावट और ऊँची जन्म दर के कारणों को जानना होगा।

मृत्यु दर में गिरावट के कारण

1. अकालों में कमी

आजादी के पूर्व देश को बार-बार अकाल का सामना करना पड़ता था जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती थी। स्वतंत्रता के बाद स्थिति में काफी सुधार हुआ। अकाल तथा उसके प्रभाव को रोकने के लिए कई उपाय किए गए। बाढ़ या सूखा के कारण वाली क्षति की स्थिति में राहत कार्य अब जितनी तेजी से होती है उससे अब ज्यादा लोगों की जाने नहीं जाती है। यदि किसी स्थान पर अकाल की स्थिति आती है तो सरकार अपने खाद्यान्न भंडार का प्रयोग कर या दूसरे जगहों से अनाज लाकर लोगों को

उपलब्ध कराती है। सरकार इसके अलाये भी लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रकार से प्रयास करती रहती है। सरकार के इन प्रयासों से मृत्यु दर में कमी हुई है।

2. महामारियों पर नियंत्रण

आजादी से पहले हमारे देश में हैजा, प्लेग और चेचक का प्रकोप अक्सर होता रहता था। इन महामारियों से भी काफी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती थी। ये बीमारियाँ संक्रामक होती थी और किसी गाँव में इसके फैलने से उस गाँव के अधिकांश लोगों की मौत हो जाती थी। समय के साथ-साथ इन महामारियों पर नियंत्रण होता गया जिससे मृत्यु दर में कमी हुई।

3. जीवन की औसत आयु में निरंतर सुधार

भारत में लोगों के जीवन की औसत आयु पहले काफी कम थी। 1971 की जनगणना के अनुसार जीवन की औसत आयु सिर्फ 46 वर्ष थी जो 2001 ई. में बढ़कर लगभग 65 वर्ष हो गयी। इसका अर्थ है कि अब लोग अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं। इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार/उपलब्धता तथा जीवन स्तर में सुधार है।

जन्म दर ऊँची होने के कारण

1. कृषि की व्यापकता एवं निर्भरता

भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि है। आजादी के 66 वर्षों के बाद भी भारत की आबादी का 2/3 हिस्सा कृषि कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगा है। खेती कार्यों में लगे हुए लोग अपने आवश्यकतानुसार बच्चों का भी सहयोग लेते हैं। छोटी आयु में ही वे पशुओं की चराने, खेतों की रखवाली करने, निराई-कटाई करने आदि में पिता का हाथ बटाते लगते हैं। इसलिए किसान अधिक सन्तान को बुरा नहीं समझते। भारत में जहाँ खेती के तकनीकी पिछड़े हैं और जहाँ कृषि कार्य में जुलाई और फसलों की कटाई, निराई आदि के लिए ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है वहाँ बाल श्रम की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता।

2. शहरीकरण का नीचा स्तर

पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में शहरों की संख्या और उनमें रहने वाली जनसंख्या का अनुपात बहुत कम है। भारत में करीब 27 प्रतिशत ही शहरी जनसंख्या है, जहाँ इंग्लैंड में 92 प्रतिशत और जर्मनी में 86 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करता है। शहरों में आवास की समस्या, बच्चों का महंगा लालन-पालन, संयुक्त परिवार का टूटना, साक्षरता दर में वृद्धि आदि वे सारे कारण हैं जिनमें जन्म दर में कमी होती है। विद्वानों का विचार है कि भारत में जैसे-जैसे औद्योगीकरण बढ़ेगा शहरीकरण का विस्तार होगा साथ ही जन्म दर में कमी होगी।

3. गरीबी की व्यापकता

गरीबी तथा उससे संबंधित अनेक कारणों के फलस्वरूप अर्द्धविकसित देशों में जन्म-दर बहुत अधिक होती है। उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक संगठन में सुधार, लोगों के स्वास्थ्य को प्रोत्साहन और औद्योगीकरण की दिशा में प्रगति चाहे जितनी क्यों न हो, जनसाधारण का जीवन-स्तर एक संतोषजनक स्तर पर तब तक न पहुँचेंगा जब तक कि जनसंख्या का आकार आर्थिक संसाधनों के साथ ठीक ढंग से सामंजित (Adjusted) नहीं होता।

महमूद ममदानी ने लिखा है, "लोग इसलिए गरीब नहीं हैं कि उनके परिवार बड़े हैं। इसके विपरीत, उनके परिवार इसलिए बड़े होते हैं, क्योंकि वे गरीब हैं।"

विश्व बैंक के प्रकाशन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1984 के अनुसार भी - "गरीब माता-पिताओं के लिए बच्चों की परवरिश की लागत नीची होने के ठोस कारण है। बच्चों से आर्थिक लाभ ज्यादा है, और इसलिए ज्यादा बच्चे होना आर्थिक दृष्टि से विवेकपूर्ण है।"

अन्य कारण

1. विवाह के समय कम उम्र होना
2. धार्मिक और सामाजिक अन्धविश्वास
3. संयुक्त परिवार प्रथा
4. शिक्षा का अभाव
5. सतति निरोधक उपायों का सीमित प्रयोग

जनसंख्या नीति (Population Policy)

भारत के लिए अनुकूलतम जनसंख्या क्या है, यह तो निश्चित रूप से बता सकना कठिन है, लेकिन इसमें सन्देह नहीं है कि देश में जनसंख्या का जो भी आकार है और जिसका कारण जनसंख्या बढ़ रही है यह आर्थिक विकास में निरधर ही बाधक है। भारत में इस समय 'जनसंख्या विस्फोट' की स्थिति है। जनसंख्या नीति का अभिप्राय उस सरकारी मान्यता से है जिसके अनुसार देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा सके। परन्तु भारत में जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए कोई आर्थिक व सामाजिक उपाय नहीं किए गए हैं। सरकार का पूरा जोर परिवार नियोजन कार्यक्रम पर रहा है। भारत सरकार आरंभ से ही परिवार-नियोजन के लिए प्रयत्नशील है। सरकारी कार्यक्रम के रूप में परिवार-नियोजन को सर्वप्रथम सन् 1952 ई० में अपनाया गया। परिवार-नियोजन की सफलता के लिए लोगों में चेतना की आवश्यकता है। धर्म के आधार पर भारत में परिवार नियोजन का विरोध नहीं है। इसलिए शिक्षा के प्रसार और अनुकूल आर्थिक दशाओं को उत्पन्न कर परिवार नियोजन के लिए अनुकूल वातावरण को तैयार किया जा सकता है। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में सरकार द्वारा परिवार नियोजन के प्रति जनसाधारण की प्रतिक्रिया जानने के लिए कुछ अध्ययन किए गए थे, जिनसे मालूम हुआ कि भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यद्यपि इसका व्यापक स्तर पर विरोध नहीं है फिर भी आम लोग परिवार को सीमित करने के लिए अधिक प्रेरित नहीं हैं। शहरों में अब भी सामान्यतः तीन बच्चों का होना और ग्रामीण क्षेत्रों में चार बच्चों का होना ठीक समझा जाता है।

गाँवों में यद्यपि परिवार के वृद्ध सदस्य परिवार नियोजन का विरोध नहीं करते, लेकिन संकोच के कारण युवा दम्पति बटुलकर रुचि नहीं दिखाते। परिवार नियोजन को सबसे अधिक सफलता शिक्षित और सम्पन्न वर्गों में मिली है। मजदूर तथा किसान वर्ग के लोग कृत्रिम निरोधों को मुफ्त प्राप्त करना चाहते हैं।

16 अप्रैल 1976 को भारत सरकार ने जनसंख्या संबंधी अपनी नीति की घोषणा की। इसमें जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि को रोकना आर्थिक एवं मानवीय दोनों ही दृष्टियों से आवश्यक माना गया। 1976 के जनसंख्या नीति के अंतर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया गया था। इस नीति में लड़कियों की शादी की उम्र 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष तथा लड़कों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर देने का सुझाव दिया गया था, जिसे 1 अक्टूबर 1978 से वैधानिक रूप दे दिया गया है।

इन कार्यक्रमों के बाद भी परिवार नियोजन एवं इससे संबंधित कार्यक्रमों को विशेष सफलता नहीं मिली है। अतएव, जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को प्राथमिकता प्रदान करने में लिए भारत सरकार ने 15 फरवरी 2000 को अपनी राष्ट्रीय जनसंख्या-नीति की घोषणा की। यह भारत की दूसरी जनसंख्या-नीति है। इस नीति में अंतर्गत छोटे परिवार में सिद्धान्तों का पालन करने वालों के

लिए 16 प्रोत्साहक एवं प्रेरक उपायों पर बल दिया गया है। वर्तमान जनसंख्या-नीति का एक महत्वपूर्ण कदम 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा एवं विधानसभा के सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का निर्णय है।

सरकार की वर्तमान जनसंख्या-नीति को तीन भागों में बाँटा गया है - तात्कालिक, मध्यावधि एवं दीर्घावधि। इस तीन सूत्री नीति में 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर रखने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में तात्कालिक उद्देश्यों में गर्भनिरोध की जरूरतों को पूरा करना, स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारित ढाँचा और स्वास्थ्य कर्मचारियों को व्यवस्था करना तथा पुनरूत्पादनीय एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एकीकृत सेवा प्रदान करना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मध्यावधि उद्देश्य है 2010 तक जनन क्षमता दर (Fertility rate) को प्रतिस्थापन स्तर तक लाना। दीर्घकालिक उद्देश्य है 2045 तक स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करना। साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सहित भारत की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या वाले 12 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना की घोषणा की गई है।

भारत सरकार की जनसंख्या नीति

- भारत में जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए आर्थिक व सामाजिक कदमों का सहारा न लेकर सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम का सहारा लिया है।
- प्रवीण विसारिया के अनुसार, यदि परिवार नियोजन पर जोर न दिया गया होता तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जितनी अफ्रीका के कई देशों में बढ़ी है।
- आर्थिक आयोजन के आरंभिक काल में भारत सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम की आवश्यकता केवल 1961 की जनगणना के परिणामों के प्रकाशन के बाद महसूस हुई जब यह पता लगा कि जनसंख्या वृद्धि की दर, अनुमानित दर से काफी अधिक है।
- सरकार ने परिवार नियोजन के अंतर्गत पहले 'क्लीनिक दृष्टिकोण' को अपनाया और फिर 'प्रसार दृष्टिकोण' को।
- जब इस नीति से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए तो सरकार ने 1976 में एक दृढ़ व सुस्पष्ट जनसंख्या नीति अपनाने का संकल्प लिया।
- इस 'दृढ़ नीति' के अंतर्गत 'कैम्प दृष्टिकोण' अपनाया गया जिसके अन्तर्गत लोगों को तरह-तरह से प्रलोभन देकर कैम्पों में बंध्याकरण के लिए लाया जाता था।
- 1976 में आपातकाल के दौरान बंध्याकरण के इस कार्यक्रम में भ्रष्ट प्रशासन ने अपनी शक्तियों का भरपूर दुरुपयोग किया।
- बाध्यकर (coercive) उपायों की वजह से यह कार्यक्रम बहुत बदनाम हुआ और लोगों ने इसका भारी विरोध किया। अंत-धोड़े समय में जन्म दर नीची करने के सरकारी प्रयोग का अन्त घोर विफलता के रूप में हुआ।
- आठवीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना एक मुख्य उद्देश्य था।
- आठवीं योजना में जनसंख्या नीति में विकेंद्रित आयोजन तथा कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।
- राष्ट्रीय रोजगार नीति 2000 में तात्कालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक उद्देश्यों की चर्चा की गई है।
- तात्कालिक उद्देश्य है स्वास्थ्य आधारिक संरचना तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करना।
- मध्यावधि उद्देश्य है जनन क्षमता दर को कम करना तथा 2010 तक प्रतिस्थापन दर तक लाना।
- दीर्घकालिक उद्देश्य है 2045 तक स्थिर जनसंख्या की स्थिति प्राप्त करना।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:-

सही उत्तर का संकेताक्षर (क, ख, ग या घ) लिखें।

1. दुनिया का दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है -
(क) चीन (ख) भारत (ग) सं. रा. अमेरिका (घ) इनमें से कोई नहीं
2. भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है -
(क) बिहार (ख) महाराष्ट्र (ग) पश्चिम बंगाल (घ) उत्तर प्रदेश
3. भारत का सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है -
(क) मेघालय (ख) बिहार (ग) उत्तर प्रदेश (घ) जम्मू एवं कश्मीर
4. बिहार में साक्षरता दर है -
(क) 63.82 प्रतिशत (ख) 73.39 प्रतिशत (ग) 53.33 प्रतिशत (घ) इनमें से कोई नहीं
5. बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है -
(क) 940 (ख) 916 (ग) 1084 (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: 1. ख, 2. घ, 3. क, 4. क, 5. ख

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।

1. जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति एक वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं।
2. भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है।
3. भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण मृत्युदर में है।
4. भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या है।
5. 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है।

उत्तर: 1. 1102, 2. केरल, 3. कमी, 4. 940, 5. 1,21,01,93,422

लघु उत्तरीय

1. जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं ?
2. लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं ?
3. 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात का वर्णन करें।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं ? व्याख्या करें।
2. 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का संक्षेप में विवेचना करें।
3. भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों की व्याख्या करें।
4. भारत की जनसंख्या नीति का संक्षेप में वर्णन करें।

वर्तमान आर्थिक समस्याएँ

भारत एक विकासशील राष्ट्र है। स्वतंत्रता के बाद हमने काफी प्रगति की है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत ने कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गयी जिसने देश को प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में पहचान दी है। क्रयशक्ति क्षमता के आधार पर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।

इन उपलब्धियों के बावजूद भारत के सामने कई तरह की आर्थिक समस्याएँ हैं जिनके शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता है। इन समस्याओं में प्रमुख हैं- गरीबी, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि और मुद्रा स्फीति, भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या।

इन समस्याओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ उपस्थित की हैं। उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भारत में गरीबी और बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। प्रस्तुत अध्याय में हम इन समस्याओं के स्वरूप, उनके कारणों और प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सरकार द्वारा इस समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा भी इस अध्याय में की गयी है।

निर्धनता / गरीबी (Poverty)

परिचय : निर्धनता या गरीबी मूलतः आर्थिक समस्या है क्योंकि आर्थिक अभाव ही निर्धनता को जन्म देता है। गरीबी से उत्पन्न स्थितियाँ सामाजिक जीवन को सर्वाधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। आर्थिक अभाव के कारण जब व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तब वह 'गरीब' के रूप में पहचाना जाता है।

दूसरे शब्दों में, जब बड़ी संख्या में लोगों को रहने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, खाने के लिए पौष्टिक आहार न मिले, पहने के लिए कपड़ों का अभाव हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ अपर्याप्त हों तो ऐसी स्थिति को 'गरीबी' कहा जाता है।

निर्धन कौन है?

गरीब या निर्धन वह व्यक्ति है जो असाहाय है, शोषण या भेदभाव का शिकार है। निर्धनतम परिवार का शाश्वत सत्य भूख और भूखमरी है। कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, मजदूर आदि निर्धन व्यक्ति के उदाहरण हैं। इनका जीवन जोखिम भरा होता है। इनकी परिसम्पत्तियाँ (Assets) बहुत कम होती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। दो बार का खाना भी गरीबों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, फलतः कुपोषण, अस्वस्थता, अपंगता और गंभीर बीमारियाँ इन्हें अपने चपेट में ले लेती हैं। गरीब व्यक्ति बुनियादी कौशल तथा साक्षरता से भी वंचित रह जाते हैं जिससे उनके लिए आर्थिक अवसर अत्यन्त सीमित रह जाते हैं।

गरीबी की धारणा

निर्धनता / गरीबी को व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने में असमर्थता की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका आधार न्यूनतम या अच्छे जीवन स्तर की कल्पना है। उदाहरण के लिए अमेरिका में निर्धनता की धारणा (Concept) भारत से बिल्कुल ही अलग होगी क्योंकि साधारण अमेरिकी नागरिक कहीं अधिक ऊँचे जीवन स्तर पर रह रहा है। वहाँ 23050 \$ (डॉलर) वार्षिक आय गरीबी का पैमाना है। दूसरी तरफ भारत में गरीबी की सामान्यतः स्वीकृत परिभाषा अच्छे या उचित जीवन स्तर की अपेक्षा न्यूनतम जीवन स्तर पर बल देती है। गरीबी को दो प्रारूपों में भी देखा जाता है, ये हैं-

1. सापेक्षिक गरीबी (Relative Poverty)

यह व्यक्ति के जीवन की यह स्थिति है जिसमें वह अपने को अमीर लोगों की तुलना में निर्धन पाता है। इस स्थिति में गरीबी का पता तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में लगाया जाता है। अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा अन्य पश्चिमी देशों (विकसित देशों) में गरीब उन्हें कहा जाता है जिनकी हालत भारतीय उपमहाद्वीप (भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश आदि) तथा अफ्रीकी देशों के गरीबों से कई गुणा अच्छी है। गरीबी का यह प्रकार (सापेक्ष गरीबी) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय और जीवन-स्तर की विषमता की ओर संकेत करता है।

2. निरपेक्ष या पूर्ण गरीबी (Absolute Poverty)

इससे तात्पर्य है- जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु न्यूनतम साधनों का पूर्णतया अभाव। इस प्रकार के व्यक्ति गरीब या दरिद्र कहे जाते हैं। ये लोग निर्धारित गरीबी के मापदंड से नीचे का जीवन-स्तर जीते हैं। इनकी गरीबी वास्तविक मानी जाती है।

भारतीय योजना आयोग के अनुसार, 'निर्धनता एक विस्तृत धारणा है। इसके अन्तर्गत केवल वे लोग नहीं आते जो बेरोजगार एवं गरीब हैं वरन् वे भी आते हैं जो पूर्णतः या आंशिक रूप से रोजगार में तो हैं किन्तु जो निम्न उत्पादकता एवं अल्प मजदूरी के कारण बहुत ही कम अर्जन कर पाते हैं।'

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि गरीबी मुख्यतः रोजगार एवं धन के अभाव की स्थिति है, रोजगार के अवसर होते हुए भी उत्पादकता एवं मजदूरी की निम्न दर के कारण कम आय प्राप्त करना है। इस तरह गरीबी से तात्पर्य मानव की आधारभूत आवश्यकताओं- भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूर्ति/उपलब्धता में असमर्थता है।

भारत में गरीबी

भारत में व्यापक स्तर पर गरीबी (Mass Poverty) व्याप्त है। विश्व में गरीबों की कुल संख्या के पाँचवें हिस्से से अधिक गरीब केवल भारत में रहते हैं। यहाँ लगभग 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी मूलभूत जरूरतों को भी ढंग से पूरा नहीं कर पाते।

भारतीय योजना आयोग के अनुसार निर्धनता अनुपात (प्रतिशत में)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	योग
1973-74	56.4	49.2	54.9
1987-88	39.1	40.1	39.3
1993-94	37.3	32.4	36.0
1999-2000	27.1	23.6	26.8
2004-05	42.0	25.5	37.2
2009-10	33.8	20.9	29.8

स्रोत-योजना आयोग, भारत सरकार

गरीबी के उपर्युक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि भारत में गरीबी का अनुपात घट रहा है। 1973 में 55 प्रतिशत गरीबी थी जो 2009-10 में 29.8 प्रतिशत तक आ गयी है। योजना आयोग द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार 2011-12 में यह 21.9 प्रतिशत रह गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत गरीबी में कमी के सहरत्राब्दी विकास लक्ष्य **Millennium Development Goals** (एम.डी.जी.) को 2015 तक हासिल कर लेगा।

गरीबी के आँकड़ों के कमी के बावजूद गरीबों की संख्या में वृद्धि विरोधाभास भी उत्पन्न करता है। योजना आयोग के सदस्य अभिजीत सेन के अनुसार ग्रामीण इलाकों में 24.8 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। नवीनतम अनुमान के अनुसार भारत में गरीबों की संख्या लगभग 20 से 25 करोड़ मानी जा रही है।

गरीबी रेखा

गरीबी की माप की कई विधियाँ प्रचलित हैं। भारत में मुख्यतः दो विधियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं। इसकी एक विधि न्यूनतम कैलोरी उपयोग का मौद्रिक मान का निर्धारण करने की विधि है, तो दूसरी विधि मासिक प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय (**MPCE : Monthly Per capita Consumption Expenditure**) को परिवार की आय के द्योतक के रूप में प्रयोग करती है। आइए देखें इनका निर्धारण कैसे होता है?

भारत में अनेक अर्थशास्त्रियों या संस्थाओं ने गरीबी निर्धारण के लिए अपने-अपने मापदंड बनाए हैं। इन सभी अध्ययनों का आधार 2250 कैलोरी के बराबर खाद्य का मूल्य है।


योजना आयोग के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से भी जिन्हें भोजन नहीं प्राप्त होता उसे गरीबी रेखा से नीचे माना गया है।

दूसरी विधि जिसमें गरीबी रेखा का निर्धारण तँदूलकर फॉर्मूले पर किया जाता है उसके तहत योजना में कैलोरी की मात्रा के बजाए प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग व्यय (**MPCE**) के आधार पर किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग व्यय अलग-अलग निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2004-05 से सरकार इसी आधार पर गरीबी के आँकड़े जारी कर रही है। 672.8 रुपये प्रतिमाह ग्रामीण तथा 869.6 रुपये प्रतिमाह शहरी क्षेत्रों के लिए उपयोग व्यय को 2009-10 में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए मानक माना गया है। 2011-12 के लिए इसके संशोधित करते हुए इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में 27.20 रुपये ग्रामीण क्षेत्र और 33.30 रुपये शहरी क्षेत्र में खर्च करने वाला आदमी गरीब नहीं है। योजना आयोग द्वारा निर्धारित इस आधार पर विवाद बना हुआ है।

गरीबी का दुष्चक्र

एक अल्प बिकसित देश पूंजी के अभाव में प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं कर पाता है। जिससे कुल उत्पादन कम रह जाता है। इस स्थिति में आय कम होने के कारण बचत दर कम होती है। फलतः निवेश और पूंजी निर्माण की दर भी नीची होती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री 'नर्क्स' (Nurkse) ने इस स्थिति को 'गरीबी के दुष्चक्र' (**Vicious circle of poverty**) के रूप में व्यक्त किया है जिसमें गरीब देश सदैव गरीब बना रहता है। इसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है :-



उपर्युक्त चित्रों से यह स्पष्ट है कि जब देश में निवेश और पूँजी निर्माण की दर नीची होगी तो आय और वृद्धि की दर कम होने से मांग में कमी आती है और फिर पूँजी निर्माण भी कम होता है। यही घड़ीय प्रवाह 'गरीबी का दुश्चक्र' कहलाता है।

भारत में गरीबी के कारण

प्रायः यह कहा जाता है कि 'भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन हैं।' संसाधनों की प्रचुरता, विशाल जनशक्ति, और पर्याप्त कुशलता के बावजूद यहाँ व्यक्तियों का जीवन स्तर निम्न है। वस्तुतः भारत में गरीबी के कई कारण हैं जिनका वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है-

1. कृषि का पिछड़ापन

भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी कृषि ही ग्रामीण जनता की जीविका का मुख्य आधार है। यहाँ की आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है किन्तु कृषि क्षेत्र की उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। किसानों को उत्तम खाद्य, बीज और सिंचाई उपलब्ध नहीं होता और कृषि का परंपरागत तरीका उन्हें लाभ से वंचित करता है। पूँजी के अभाव और तकनीकों की कमी के कारण किसान व्यस्ततायिक फसलों का उत्पादन नहीं कर पाते और वे जीवन निर्वाह कृषि अपनाते हैं। कृषि में रोजगार सृजन 3-4 महीने ही होता है फलतः गरीबी बनी रहती है।

2. असंतुलित विकास

भारत में आर्थिक विकास का स्तर अन्य विकसित देशों की तुलना में कम है। हमारा आर्थिक विकास का मॉडल गरीब को और गरीब तथा अमीर को और अमीर बना रहा है। किसी देश के रहन-सहन का स्तर यहाँ की आर्थिक सम्पन्नता पर निर्भर करता है। भारत में अपर्याप्त और असंतुलित विकास के कारण यहाँ जीवन स्तर निम्न है। यह गरीबी का परिचायक है।

3. उद्योगों का अभाव

यह विदित तथ्य है कि जिस देश में उद्योगों की प्रचुरता है वह देश विकसित या अमीर देशों की श्रेणी में है। इसके विपरीत जहाँ उद्योगों का अभाव है वह देश गरीब है। भारत इसका सटीक उदाहरण है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों के रूप में खनिज की पर्याप्त उपलब्धता है किन्तु उद्योगों का अभाव है। भारत में अधिकतम औद्योगिक विकास दर 8 प्रतिशत रही है। यहाँ उद्योगों का विकास नहीं होने से पूँजी और रोजगार का अभाव बना रहता है जो गरीबी का कारण बनता है।

4. बचत एवं निवेश का अभाव

हमारे देश में प्रतिव्यक्ति आय कम होने के कारण पूंजी का संघय बहुत कम हो पाता है। अगर लोग कुछ पूंजी संचित करते भी हैं तो इसका समुचित निवेश करना नहीं जानते। धन की गोपनीयता (जेवर आदि के रूप में) व्यापार और उद्योग में इसके प्रयोग को हतोत्साहित करती है।

5. प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रयोग का अभाव

भारत प्राकृतिक साधनों के दृष्टिकोण से धनी देश है किन्तु इसका समुचित प्रयोग न होना गरीबी का प्रमुख कारण है। गंगा-यमुना के विशाल और उपजाऊ मैदानी भाग पर खेती की निम्न उत्पादकता, बनोत्पाद, खनिज उत्पादन और जनशक्ति का भी अपेक्षित उपयोग नहीं हो पा रहा है जिससे यहाँ व्यक्तियों की आय में वृद्धि नहीं हो रही है फलतः गरीबी कायम है।

6. तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या

गरीबी का एक प्रमुख कारण भारत की विशाल जनसंख्या भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है। हालांकि जनसंख्या की वृद्धि दर कम हुई है फिर भी यह अत्यधिक है। जनाधिक्य के कारण लोगों का जीवन स्तर निम्न है और गरीबी बढ़ रही है।

7. बेरोजगारी

गरीबी का सीधा संबंध बेरोजगारी से है। शहरों में और गाँवों में व्याप्त बेरोजगारी मजदूरों को ऋण-जाल में उलझा देती है। जिससे उनकी गरीबी और बढ़ जाती है। ऋण-ग्रस्तता गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारक है।

8. रोजगारमुखी शिक्षा का अभाव

भारत की दोषपूर्ण शिक्षा नीति सिर्फ साक्षर बनाने पर जोर देती है। देश में रोजगारोन्मुखी शिक्षा का अभाव है। आज भी स्कूलों, कॉलेजों में परंपरागत शिक्षा प्रदान की जा रही है जो युवकों को रोजगार प्रदान करने में अक्षम है। रोजगार का अभाव गरीबी की संख्या में वृद्धि कर रहा है।

9. भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या

स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति के पथ पर अग्रसर है किन्तु विकास का लाभ सामान्य लोगों तक नहीं पहुँच पाया है। बहुत मुश्किल से जुटाए गये विकास के संसाधन भ्रष्टाचार के कारण विकास कार्यों में नहीं लग पाते हैं। काले धन के रूप में देश की बहुत बड़ी धन राशि बाहर चली जाती है। सरकार उसका उपयोग करने से बंथित रह जाती है। ऐसी समस्याएँ देश में गरीबी और असमानता बढ़ाती हैं।

गरीबी दूर करने के उपाय

भारत में गरीबी एक गंभीर समस्या है। यह कई कारकों का सामूहिक परिणाम है। अतः इसके स्थायी उन्मूलन के लिए कई क्षेत्रों में एक साथ और संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। गरीबी दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं-

1. तीव्र गति से आर्थिक विकास

गरीबी उन्मूलन तभी हो सकता है जब देश में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया जाए। चीन, जापान आदि देश इसके उदाहरण

हैं। आर्थिक विकास दर को तेजी से बढ़ाकर हम अपने प्राकृतिक एवं माननीय संसाधनों का समुचित प्रयोग कर सकते हैं। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जिससे गरीबी की समस्या का समाधान संभव है।

2. ग्रामीण विकास को प्राथमिकता

भारत में गरीबी की बढ़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारित संरचना का विकास, कृषि क्षेत्र में, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, उत्तम खाद-बीज तथा उपकरणों के माध्यम से सुधार कर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में सुधार के लिए 'भारत निर्माण' कार्यक्रम संचालित है। ग्रामीण भारत के विकास होने से आधी गरीबी रवतः समाप्त हो जाएगी।

3. आर्थिक विषमता में कमी

हमारे देश में व्यापक आर्थिक असमानता है। यहाँ राष्ट्रीय आय का लगभग 30 प्रतिशत भाग एक प्रतिशत लोगों के पास केंद्रित होता है जबकि 70 प्रतिशत व्यक्ति कठिनाई पूर्वक अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। देश में धन और आय का समान वितरण करने की आवश्यकता है तभी गरीबी दूर हो सकती है।

4. रोजगार के अवसरों का सृजन

बेरोजगारी और गरीबी एक दूसरे से संबंधित है। यदि बेरोजगारी दूर करने के सार्थक उपाय किए जाते हैं तो निर्धनता कम होती है। गाँवों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना तथा शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देकर गरीबी दूर की जा सकती है।

5. जनसंख्या वृद्धि पर रोक

जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण से गरीबी दूर की जा सकती है। इससे प्रतिव्यक्ति आय तथा रहन-सहन के स्तर में सुधार होगा। 'जनसंख्या नीति-2000' के कुछ सकारात्मक परिणाम मिले हैं फिर भी जनसंख्या नियंत्रण के व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। शिक्षा एवं परिवार नियोजन के साधनों का प्रचार-प्रसार इस दिशा में प्रभावी उपाय हो सकता है।

6. रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर बल

शिक्षा में समग्र सुधार की आवश्यकता है। इसे रोजगारपरक बनाना होगा। देश में व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। स्कूल-कॉलेजों को अपनी शैली और स्वरूप में बदलाव लाने की जरूरत है ताकि शिक्षा गरीबी मिटाने का हथियार बने न कि बेरोजगारी का कारण।

समावेशी विकास

भारत में विकास का स्वरूप समावेशी नहीं है। कुछ राज्य अधिक विकसित हैं तो कुछ अत्यंत गरीब। इस अंतर को कम करना होगा। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड आदि राज्य पिछड़े हैं। यहाँ गरीबों की संख्या अत्यधिक है और यहाँ से भारी संख्या में मजदूरों का पलायन होता है। इन राज्यों में भारी मात्रा में निवेश और विशेष सहायता के द्वारा विकास किया जा सकता है जिससे इन राज्यों में गरीबी उन्मूलन संभव हो सके।

इस तरह आधारभूत संरचना का विकास अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना, कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन एवं काम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर गरीबी की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी प्रयास

सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए त्रि-आयामी नीति अपना रही है। पहली-सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि। दूसरी- अतिरिक्त परिसम्पत्तियों और कार्य सृजन द्वारा निर्धनों के लिए आय और रोजगार को बढ़ाना तथा तीसरी- लोगों को न्यूनतम आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) से लेकर अब तक (जबकि बारहवीं योजना (2012-17) कार्यान्वित है) सरकार ने गरीबी निवारण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं-

1. काम के बदले अनाज योजना

इस योजना को भारत सरकार द्वारा 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह योजना उस सभी गरीबों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है। इसमें भारत सरकार द्वारा गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

2. मनरेगा

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 द्वारा इसकी शुरुआत की गयी। भूख, गरीबी और बेरोजगारी निवारण की इस महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय योजना में आवेदक को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

3. मध्याह्न भोजन योजना (Mid Day Meal Scheme)

गरीबों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण योजना है। इसकी औपचारिक शुरुआत 1996 में हुई। इसके अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को दोपहर का मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

4. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 2009

यह स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया प्रारूप है। इसके अन्तर्गत 2014-2015 तक ग्रामीण गरीबी निवारण का लक्ष्य है। इस योजना में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

5. भारत निर्माण योजना (2005)

इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना है। इस योजना के अन्तर्गत 6 मुख्य क्षेत्रों सिंचाई, जलापूर्ति, विद्युत, संचार, आवास और सड़क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार द्वारा चलाए गये अन्य प्रमुख कार्यक्रमों की सूची इस प्रकार है -

योजना	वर्ष
काम के बदले अनाज योजना	- 1977-78
अन्वयोदय अन्न योजना	- 1977-78
TRYSEM	- 1979
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	- 1980

जवाहर रोजगार योजना	-	1989
दस लाख कुओं की योजना	-	1989
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	-	1993
प्रधानमंत्री रोजगार योजना	-	1993
रोजगार आश्वासन योजना	-	1993
स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	-	1997
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्तरी रोजगार योजना	-	1999
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	-	2001

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश (5 जुलाई 2013)

इसको कानूनी जामा पहनाए जाने के बाद देश की कुल 121 करोड़ आबादी के 67 प्रतिशत लोगों को सस्ते दामों पर अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना के दायरे में 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को शामिल किया है। योजना के तहत हर माह राशन की दुकानों पर प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज- चावल, गेहूँ और मोटा अनाज क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये मिल सकेगा।

करीब 2.3 करोड़ अत्यन्त गरीब परिवारों को भी अन्तोदय अन्न योजना के तहत जन वितरण प्रणाली के माध्यम से इसका लाभ मिल सकेगा। अन्तोदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह दिया जाएगा।

बेरोजगारी (Unemployment)

बेरोजगारी भारत के लिए एक गंभीर समस्या है। इसका हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वैसे तो बेरोजगारी प्रायः दुनिया के प्रत्येक हिस्से में पायी जाती है किन्तु विकसित और विकासशील तथा अदिकसित राष्ट्रों में पायी जाने वाली बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर होता है।

भारत में बेरोजगारी निर्धनता एवं निम्न जीवन स्तर का प्रमुख कारण है। आर्थिक दृष्टि से बेरोजगारी अमिश्रण है। इससे पूरे देश को आर्थिक क्षति होती है क्योंकि इसमें मानव संसाधन का उपयोग नहीं हो पाता है। बेरोजगारी के कारण श्रमिकों की कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी आय कम हो जाती है, जीवन स्तर निम्न हो जाता है एवं कार्य क्षमता घट जाती है। इससे अनेक तरह की समाजिक समस्याएँ भी उत्पन्न होने लगती हैं।

बेरोजगारी का अर्थ एवं परिभाषा

'बेरोजगारी' शब्द से तात्पर्य व्यक्ति से है जिसमें व्यक्ति के काम करने की इच्छा एवं सामर्थ्य रहते हुए भी उचित वेतन दर पर कार्य नहीं मिल पाता है। दूसरे शब्दों में, काम चाहने वाले व्यक्तियों को इच्छा और योग्यता के बावजूद प्रयत्नित मजदूरी पर काम मिलने की स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। इस श्रेणी में कार्यशील जनसंख्या (15-59 आयु वर्ग) को ही शामिल किया जाता है।

बेरोजगारी के प्रकार

वर्तमान परिदृश्य में बेरोजगारी दुनिया के अधिकांश देशों में व्याप्त है। भारत में यह जटिल समस्या के रूप में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः मौसमी और छिपी बेरोजगारी पाई जाती है तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी। बेरोजगारी के विभिन्न प्रारूपों का वर्णन इस प्रकार है-

1. संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment)

अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण जब रोजगार के अवसर कम होते हैं तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह देश के पिछड़े आर्थिक ढाँचे के साथ संबंधित है, इस कारण इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। मूलतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप इसी प्रकार का है।

2. प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी (Disguised Unemployment)

इसके अन्तर्गत किसी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हैं, अर्थात् बाहर से तो सभी श्रमिक काम में लगे प्रतीत होते हैं किन्तु वास्तव में उन श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है। यदि इन श्रमिकों को इस व्यवसाय से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में इनकी सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। विकासशील देशों में इसका प्रभाव ज्यादा है।

3. अल्प रोजगार या अर्द्ध बेरोजगारी (Under Unemployment)

इसके अन्तर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जिनको थोड़ा बहुत काम मिलता है किन्तु अपनी क्षमता या योग्यतानुसार काम नहीं मिलता या पूरे समय काम नहीं मिलता है। जब कोई व्यक्ति प्रचलित दर से कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाए तो इसे अर्द्ध बेरोजगारी कहते हैं।

4. मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)

इसके अन्तर्गत किसी विशेष मौसम या अवधि में प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कृषि क्षेत्र एवं बर्फ के कारखानों मुख्यतः 7-8 माह काम चलता है तथा शेष अवधि में व्यक्तियों को बेकार बैठना पड़ता है।

5. खुली बेरोजगारी (Open Unemployment)

इससे तात्पर्य ऐसी बेरोजगारी से है जिसमें श्रमिकों को बिना किसी काम के रहना पड़ता है। इस प्रकार की बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पायी जाती है। इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में आए वे लोग शामिल होते हैं जो काम न मिलने के कारण बेरोजगार पड़े रहते हैं।

6. शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment)

शिक्षित बेरोजगार ऐसे श्रमिक हैं जिन्हें कार्य कुशलता एवं क्षमता के बावजूद अपेक्षित रोजगार नहीं मिलता है। विकसित एवं विकासशील देशों में इस प्रकार की बेरोजगारी पायी जाती है।

7. तकनीकी बेरोजगारी (Technological Unemployment)

इस प्रकार की बेरोजगारी नए-नए प्रौद्योगिकी आविष्कारों जैसे- स्वचालित मशीनों एवं कम्प्यूटरों के प्रयोग से होता है। उन्नत

तकनीक के कारण उद्योगों या व्यवसायों से श्रमिकों को विस्थापित कर दिया जाता है जिससे वे बेकार हो जाते हैं। यह विकसित देशों में पायी जाती है, हाल में भारत में भी इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिल रही है।

8. चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment)

व्यापार चक्र के कारण आर्थिक क्रियाकलापों में गिरावट या मंदी के परिणामस्वरूप जब रोजगार के अवसरों में कमी आती है तो उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। यह अस्थायी प्रकृति की होती है और अर्थव्यवस्था के मंदी से बाहर आने पर समाप्त होने लगती है।

9. घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment)

बाजार की शक्तियों मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं।

10. शहरी बेरोजगारी (Urban Unemployment)

शहरी क्षेत्रों में प्रायः खुले किस्म की बेरोजगारी पायी जाती है इसमें औद्योगिक बेरोजगारी तथा शिक्षित बेरोजगारी को भी शामिल किया जाता है।

11. ग्रामीण बेरोजगारी (Rural Unemployment)

इसे कृषिगत बेरोजगारी भी कहा जाता है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। इस प्रकार की बेरोजगारी के प्रमाणिक आँकड़े भी उपलब्ध नहीं होते हैं।

भारत में बेरोजगारी की स्थिति

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर

(श्रमशक्ति के प्रतिशत के रूप में)

अवधि	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1993-1994	5.6	7.4
1999-2000	7.2	7.7
2004-2005	8.28	8.28
2009-2010	6.8	8.2

स्रोत (NSSO)

भारत में बेरोजगारी की स्थिति

श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में भारत की बेरोजगारी दर 3.8 प्रतिशत है। देश एवं प्रमुख राज्यों में बेरोजगारी की दर निम्नलिखित है-

राज्य	बेरोजगारी की दर (2011-12)
भारत	3.8
मिजोरम	0.3
गुजरात	0.9
हिमाचल प्रदेश	1.3
राजस्थान	1.4
मध्य प्रदेश	2.1
उत्तर प्रदेश	2.2
उड़िसा	2.4
बिहार	2.7

NSSO द्वारा उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के दौरान रोजगार में वृद्धि हुई है, किन्तु वर्ष 1999-2000 से 2004-05 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 से 2005-10 के दौरान 18 मिलियन कार्य अवसरों का सृजन हुआ। बेरोजगारी की दर में गिरावट दर्ज की गयी है।

रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार है। कुल रोजगार में कृषि का प्रतिशत 48.2 है, और लगातार घट रहा है। विनिर्माण या उद्योग क्षेत्र में मामूली वृद्धि के साथ यह 20 प्रतिशत के आस-पास है। तृतीयक या सेवा क्षेत्र जिसमें होटल और रेस्तरां भी शामिल हैं, में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है और इस क्षेत्र में लगभग एक तिहाई 31.8 प्रतिशत रोजगार की उपलब्धता है। 11 वीं (2007-12) योजना में 58 मिलियन अवसरों के सृजन का लक्ष्य था। बारहवीं योजना (2012-17) में 5 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य है। स्पष्टतः भारत में प्राथमिक क्षेत्र पर रोजगार की निर्भरता घटती जा रही और तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, वहीं द्वितीयक क्षेत्र स्थिर है।

बेरोजगारी के कारण

बेरोजगारी भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की एक प्रमुख बाधा है। यहाँ लगभग 68 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इनकी आजीविका का मुख्य आधार कृषि और उससे संबंधित कार्य है। इसके अतिरिक्त बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिसकी उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता और देश की विशाल श्रम शक्ति अनुत्पादक रह जाती है। बेरोजगारी कई अन्य कारणों से भी उत्पन्न होती है, उसका विवरण निम्न प्रकार है-

1. **जनसंख्या में तीव्र वृद्धि** : भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती हुई सन् 2011 में 1 अरब 21 करोड़ तक जा पहुँची है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। इससे कृषि पर बोझ बढ़ रहा है और छिपी बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या के कारण नगरों का निरंतर विस्तार हो रहा है और ग्रामीणों का पलायन शहरों की ओर हो रहा है। इस प्रकार गाँवों के साथ-साथ शहरों में भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।

- 2. कृषि का पिछड़ापन :** कृषि प्रधान देश होने एवं रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत होने के बावजूद भारत में कृषि पिछड़ी हुई है। भारतीय कृषि पूर्णतः मॉनसून पर आधारित है, जो प्रायः अनिश्चिता की प्रकृति रखता है। खेती में सिंचाई का अभाव और परंपरागत तरीकों का उपयोग भी इसके पिछड़े होने को बाध्य करता है। कृषि का पिछड़ापन बेरोजगारी का मुख्य कारण है।
- 3. पूंजी का अभाव :** रोजगार में वृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकता पड़ती है। भारत में प्रति व्यक्ति आय की नीची दर के कारण पूंजी निर्माण की दर भी काफी नीची है। फलतः कृषि तथा अन्य क्षेत्रों के अपेक्षित पूंजी निवेश नहीं है। जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है।
- 4. आर्थिक विकास की धीमी गति :** आर्थिक प्रगति के तमाम दावों के बीच भारत के आर्थिक विकास दर धीमी बनी हुई है। वैश्विक मंदी के असर, गलत नीतियों और ऋष्टाचार जैसी समस्याओं ने आर्थिक विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। विकास की धीमी दर रोजगार सृजन को हतोत्साहित करती है। कंपनियों छँटनी करने लगती हैं और नये रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते इस तरह बेरोजगारी की समस्या और विकराल होने लगती है।
- 5. उद्योगों का अभाव :** जिस देश में उद्योगों का अधिकाधिक विकास होता है वह विकसित देश की श्रेणी में आ जाता है। उदाहरणार्थ- अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस आदि। भारत में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता होने के कारण उद्योगों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया खनिज संसाधन के प्रचुरता के बाद भी ऊर्जा और पूंजी के अभाव ने उद्योगों के प्रगति सीमित कर दिया है। शिक्षित/प्रशिक्षित आबादी इसी कारण बेरोजगार है। दूसरी ओर, मशीनीकृत/कम्प्यूटीकृत उद्योगों में छटनी भी बेरोजगारी का कारण बनती है।
- 6. दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली :** भारतीय शिक्षा नीति दोषपूर्ण है। अभी भी भारत की एक चौथाई आबादी निरक्षर है। स्कूल-कॉलेजों में दी जा रही शिक्षा रोजगारोन्मुख नहीं है। व्यवसायिक और रोजगारपरक शिक्षा के अभाव ने बेरोजगारी बढ़ाने का ही कार्य किया है। शिक्षा और प्रशिक्षण के अभाव में भारतीय श्रमिक तकनीकी कुशलता वाले रोजगार यथा- कम्प्यूटर, प्रबंधक और भारी मशीन संचालन आदि क्षेत्रों के भागीदारी से वंचित रहते हैं, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि होती है।

बेरोजगारी का प्रभाव

बेरोजगारी की समस्या समाज में अनेक तरह की विकृतियाँ उत्पन्न करता है। इसका सीधा असर व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक स्तर पर पड़ता है जिसे निम्न प्रकार देखा जा सकता है।

- 1. सामाजिक प्रभाव :** बेरोजगारी का समाज पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे मानव संसाधन का श्रम शक्ति के रूप में उपयोग नहीं हो पाता है। श्रमिक कम मजदूरी तथा अलाभप्रद स्थितियों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें उनका शोषण बढ़ता है। श्रमिकों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। कृषि आदि क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक लोग संलग्न हो जाते हैं और उनकी शीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। अपने मेहनत के अनुरूप प्रतिफल नहीं मिलने से निराश किसान आत्म हत्या तक करने लगते हैं। बेरोजगारी पारिवारिक विघटन का भी कारण बनता है और रोजगार के अभाव में व्यक्ति अपराध और अनैतिक कार्यों की ओर मुड़ जाता है। जिससे सामाजिक विघटन का खतरा उत्पन्न होने लगता है।
- 2. आर्थिक प्रभाव :** बेरोजगारी के कारण व्यक्ति की आय कम हो जाती है और उसका जीवन स्तर निम्न हो जाता है। इससे गरीबी बढ़ने लगती है और मानव संसाधन नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाता है। पूंजी की कमी और अन्य संसाधनों के अभाव में विकास की गति धीमी पड़ती है और अर्थव्यवस्था 'मंदी' का शिकार हो जाती है। ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों का वांछित उपयोग न होने से बेरोजगारी में इजाफा होने लगता है।

बेरोजगारी दूर करने के सरकारी उपाय

बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या के निराकरण के लिए सरकार प्रारंभ से ही प्रयत्नशील है। इसे दूर करने के लिए सरकारी उपायों के साथ-साथ गैर सरकारी उपायों की भी आवश्यकता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों का निम्न प्रकार अध्ययन किया जा सकता है-

1. **सरकारी प्रयास** : सरकार बेरोजगारी दूर करने की दिशा में सतत प्रयत्नशील है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, ग्राम निर्माण कार्यक्रम, काम के बदले अनाज योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए। छठी योजना में भी निर्धनता और रोजगार संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, जिनमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) आदि प्रमुख हैं।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल, 1999 से प्रारंभ की गयी थी इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना था। अब इसका नाम बदलकर आजीविका कर दिया गया है। इस योजना में पूर्व से चल रही 6 योजनाओं का विलय कर दिया गया है-

(क) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम	-	Integrated Rural Development Programme (IRDP)
(ख) स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण	-	Training of Youths for self Employment (TRYSEM)
(ग) ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम	-	DWACRA
(घ) ग्रामीण दस्तकारी उन्नयन कार्यक्रम	-	SITARA
(ङ) गंगा कल्याण योजना	-	GKY
(च) दस लाख कुओं की योजना	-	MWS

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे उद्योगों की स्थापना करना है। इसमें सहायता प्राप्त व्यक्ति 'स्वरोजगारी' कहे जाते हैं लाभार्थी नहीं।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, (MNREGA) :

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा 2 फरवरी 2006 को आंध्रप्रदेश के अन्नतपुर जिले से किया गया। पहले चरण में इसे देश के 27 राज्यों के 200 जिलों के 80,000 ग्राम पंचायतों में लागू किया गया जिसमें बिहार के सर्वाधिक 23 जिले शामिल थे। 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। 2009 से इसका नाम बदलकर 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (MNREGA) कर दिया गया है।

छास बातें (विशेषताएँ मनरेगा की)

1. गरीबों को काम की गारंटी देने वाला दुनिया का पहला कार्यक्रम।
2. प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी।
3. न्यूनतम मजदूरी प्रति व्यक्ति 139 रुपये निर्धारित।

4. आवेदन करने के 15 दिन के भीतर रोजगार अन्यथा बेरोजगारी भत्ता।
5. इस योजना में 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी।
6. केन्द्र सरकार इस योजना का 90 प्रतिशत खर्च वहन करेगी लेकिन 10 प्रतिशत खर्च के साथ योजना के अमल की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होगी।

निष्पादन

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'मनरेगा' के तहत 2011-12 के दौरान 19 जनवरी 2012 तक 3.80 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2013-14 के बजट में 33,000 करोड़ रुपये का आवंटन इस योजना के लिए किया गया है।

स्पष्टतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाली यह योजना सफलता की ओर बढ़ रही है और समाज के पिछड़े लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्फीति (Price Rise and Inflation)

भूमिका

'मूल्य वृद्धि' का सामान्य अर्थ है वस्तुओं की कीमतों का बढ़ जाना। इसे अक्सर 'मंहगाई' कहा जाता है। 'मंहगाई' की मार भारतीय अर्थव्यवस्था की गंभीर परेशानी है। आम तौर पर 'मंहगाई' से सारे लोग प्रभावित होते हैं किन्तु गरीबों के लिए यह ज्यादा मारक बन जाती है। 'मूल्य वृद्धि' को नियंत्रित करने के तमाम प्रयासों के बावजूद सरकार को इसमें सफलता नहीं मिली है। आज, फल-सब्जियों की बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने सरकार और आम आदमी दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। थोक और खुदरा कीमतों में असंतुलन भी मंहगाई को बढ़ावा देता है। मूल्य वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं- मसलन, आर्थिक नीतियाँ, कालाबाजारी, उत्पादन में गिरावट, मांग में वृद्धि, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि आदि।

मुद्रा स्फीति (Inflation) क्या है?

वस्तुओं की कीमत में निरंतर होने वाली वृद्धि मुद्रा स्फीति के रूप में पहचानी जाती है। दूसरे शब्दों में मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है तथा मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है अर्थात् उसकी क्रय क्षमता घट जाती है। जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा के प्रचलन (Supply of Money) में अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि होती है तो मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। मुद्रा स्फीति दो तरह से उत्पन्न होती है-

1. **मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति (Demand Pull Inflation)**: जब किसी वस्तु के सामान्य कीमतों पर वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मांगी गयी मात्रा कुल पूर्ति से अधिक हो जाती है तो इससे उत्पन्न स्फीति मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति कहलाती है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा का प्रवाह तो बढ़ जाता है किन्तु उस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी।
2. **लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति (Cost Push Inflation)**: जब किसी वस्तु के उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाने के कारण मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति कहते हैं।

मुद्रा स्फीति की माप (Measurement of Inflation)

मुद्रा स्फीति की माप सामान्य कीमत निर्देशकों (Price Index) द्वारा की जाती है। यह कीमत निर्देशक वस्तुओं के औसत मूल्यों में होने वाले परिवर्तन की माप करता है। इसकी गणना के लिए आधार वर्ष को 100 मान लिया जाता है तथा उसकी तुलना में चालू

वर्ष के निर्देशांक की गणना की जाती है। यदि चालू वर्ष का निर्देशांक 100 से ज्यादा है तो यह कीमतों में वृद्धि को प्रदर्शित करता है और यदि चालू वर्ष का निर्देशांक 100 से कम है तो यह कीमतों में कमी को प्रदर्शित करता है। भारत में मुद्रा स्फीति की माप मुख्यतः दो सूचकांकों पर आधारित है-

1. थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index : WPI)
2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumers Price Index : CPI)

WPI-C.P.I. तुलनात्मक स्वरूप

क्र. सं.		W.P.I.	C.P.I.
1.	आधार वर्ष	2004-05	2010, (2012-प्रस्तावित)
2.	आधार	मासिक	मासिक
3.	आधार कीमत	फैक्ट्री कीमत	फैक्ट्री कीमत के साथ कर और परिवहन व्यय शामिल
4.	मदों की प्रकृति	रोजमर्रा के जीवन से संबंधित नहीं, सेवा मद शामिल नहीं	मुख्य रूप से रोजमर्रा की जीवन से संबंधित वस्तुएँ और सेवा मद शामिल।
5.	प्रभाव	मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों पर प्रभाव	लोगों के जीवन पर मुद्रा स्फीति के सार्वजनिक प्रभाव को दर्शाता है।

मुद्रा स्फीति का प्रभाव

विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए हल्की सी मुद्रास्फीति (3-4 प्रतिशत) टॉनिक का कार्य करती है, क्योंकि थोड़ी-बहुत मूल्य वृद्धि से उत्पादक अधिक लाभ की उम्मीद में अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित होते हैं जिससे रोजगार और विकास दर में वृद्धि होती है। किन्तु अनियंत्रित या अत्यधिक मुद्रा स्फीति अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डालती है। अति उत्पादन की स्थिति तथा मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी के कारण बाजार में मंदी आ जाती है। जिससे उद्योग-धंधों पर प्रतिकूल असर पड़ता है और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। इसका सबसे अधिक भार उन व्यक्तियों पर पड़ता है जिनकी आय स्थिर है। जो देतनभोगी, पेंशनभोगी या मजदूरी से गुजारा करने वाले होते हैं, वे मुद्रा स्फीति के दबाव को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं।

मुद्रा स्फीति से बचत की प्रवृत्ति हतोत्साहित होती है क्योंकि :

1. उपभोग व्यय बढ़ जाता है।
2. वास्तविक ब्याज दर कम हो जाती है।

यह निवेश को भी दो स्तरों पर प्रभावित करता है। उपभोग व्यय बढ़ने के कारण निवेश हेतु उपलब्ध बचत की मात्रा में कमी आती है। बचत को प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India : RBI) को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती है। इस वृद्धि के कारण निवेश महंगा हो जाता है।

स्पष्टतः मुद्रा स्फीति का आर्थिक संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है, वस्तुओं की लागत और कीमत बढ़ने से निर्यात महंगा होता है और व्यापार संतुलन पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है।

भारत में मुद्रा स्फीति

थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 20-04-06) आधारित मुद्रा स्फीति की दर दिसम्बर 12 तक में 7.18 रही है। दिसंबर 11 में यह 7.24 थी। अक्टूबर 2012 में 9.75, नवम्बर 12 में 9.90 तथा दिसंबर 2012 में मुद्रा स्फीति की दर 10.56 थी। स्पष्टतः मुद्रा स्फीति में काफी उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई देती है। वर्तमान में मुद्रास्फीति की दर में पुनः वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा रही है।

मुद्रा स्फीति की समस्या का समाधान

अत्यधिक मुद्रास्फीति के कारण दैनिक वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगती है। मध्यम और निम्न आय वर्ग को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस प्रमुख समस्या के समाधान के लिए मुख्यतः तीन उपायों का प्रयोग सरकार द्वारा किया जाता है। ये उपाय हैं-

(1) मौद्रिक उपाय (2) राजकोषीय उपाय और (3) अन्य उपाय

- 1. मौद्रिक उपाय (Monetary Measures):** देश में मुद्रा पूर्ति अथवा साख नियंत्रण से संबंधित उपायों को मौद्रिक उपाय कहा जाता है। इनका संचालन भारत का केंद्रीय बैंक- भारतीय रिजर्व बैंक (R.B.I.) करता है। इन उपायों में प्रमुख है- बैंक दर (Bank rate) में वृद्धि, नकद कोष अनुपात (Cash Reserve Ratio : CRR) में वृद्धि, वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio : SLR) में वृद्धि तथा खुले बाजार में प्रतिभूतियों के बेचना। दूसरे शब्दों में रिजर्व बैंक मांग को संतुलित करने के लिए 'मंहंगी मुद्रा नीति' को अपनाता है।
- 2. राजकोषीय उपाय (Fiscal Measures):** सार्वजनिक व्यय, कराधान और सार्वजनिक ऋण से संबंधित उपाय राजकोषीय उपाय के अन्तर्गत आते हैं। सरकार मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए सार्वजनिक व्यय में कमी के प्रयास करती है तथा सार्वजनिक ऋण की मात्रा बढ़ा देती है, जिससे फिजुलखर्जी पर रोक लगती है। इस तरह वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता है।
- 3. अन्य उपाय (Other measures):** मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए मौद्रिक और राजकोषीय उपायों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपायों का भी सहारा लिया जाता है। इनके अन्तर्गत मूल्य नियंत्रण, राशनिंग, आयात में वृद्धि और निर्यात पर प्रतिबंध जैसे उपाय शामिल होते हैं।

कालाधन (BLACK MONEY)

कालाधन आर्थिक समस्या के साथ-साथ सामाजिक समस्या के रूप में भी देखा जाता है। यह सामाजिक असमानता और अनैतिकता को बढ़ावा देने के साथ ही समानान्तर अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित करता है।

सामान्य अर्थ में, काला धन वैसे धन को कहा जाता है जिसका लेखा-जोखा (विवरण) सरकार के पास नहीं होता है। कर सुधार के लिए गठित राजा चेलैया समिति ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि- किसी अर्थव्यवस्था में काला धन वह रकम है जिसका लेन-देन कारोबारियों द्वारा जानबूझ कर खाता-बहियों से दूर रखा जाता है जिससे सरकार को राजस्व का भारी-भरकम चुना लगता है।


भारत में काला धन

भारत में स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले 1955-56 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रो. निकोलस कॉल्डोर (Nicholas Kaldor) ने इस दिशा में ध्यान खींचा था। उन्होंने अपने आकलन में तत्कालीन काले धन को देश के सकल घरेलू उत्पाद (G.D.P.) का 4-5 प्रतिशत बताया था। धीरे-धीरे समस्या विकराल होती गयी और विगत पाँच-छः दशकों में काले धन के अर्थशास्त्र ने समानान्तर अर्थव्यवस्था के रूप में आकार ग्रहण कर लिया है।

वर्तमान में काले धन का भारतीय अर्थव्यवस्था में निश्चित आँकड़ा तो उपलब्ध नहीं है लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि यह कुल जी.डी.पी. का 40-50 प्रतिशत तक हो सकता है। वाशिंगटन (U.S.A.) स्थित (Global Financial Intelligence : G.F.I.) के अनुसार भारत से 436 अरब डॉलर की राशि का काले धन के रूप में प्रवाह होता है। जबकि स्विस बैंक एशोसिएशन के अनुसार भारत के 65,550 अरब रुपये स्विस बैंक (Swiss Bank) में जमा है। देश में 11.5 प्रतिशत काले धन की सालाना वृद्धि हो रही है। काले धन से संबंधित 150 देशों की सूची में भारत का स्थान 8वाँ है। मोटे तौर पर यह राशि देश पर कुल विदेशी कर्ज से 13 गुना अधिक है। अगर यह राशि वापस आ जाए, तो सरकार वित्तीय संकट से उबर सकती है और देश में विकास की गंगा बहायी जा सकती है।

काले धन का स्रोत

देश में काले धन के कई स्रोत हैं। कंपनियों कॉरपोरेट टैक्स की चोरी कर काला धन अर्जित करती है। आयकर, उत्पाद शुल्क, एवं सीमा शुल्क की चोरी तथा अवैध कारोबार के जरिए भी काले धन की कमाई की जाती है। कर चोरी के पैसे ने बॉलीवुड, में 'संगठित उद्योग' का रूप ले लिया है। राजनैतिक भ्रष्टाचार भी काले धन को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। नौकरशाही नेताओं और कारोबारियों से मिलकर काले धन के साम्राज्य के विस्तार में लगी हुई है। काले धन को विदेश भेजने में हवाला की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। काले धन के स्रोत का निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है -



स्पष्ट: काला धन में सर्वाधिक योगदान कॉरपोरेट टैक्स चोरी का है। इसके बाद 15 प्रतिशत का योगदान 'करपान मनी' का है जो भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित की जाती है। काला धन में 20 प्रतिशत हिस्सा अफरशाही के कमीशन एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है।

काले धन का प्रभाव

सरकार पर प्रभाव : काले धन पर टैक्स नहीं दिया जाता है, इससे सरकार को राजस्व की भारी क्षति होती है। विकास कार्य प्रभावित होता है तथा देश के विकास गति अवरुद्ध हो जाती है।

सामाजिक प्रभाव : काले धन का प्रयोग प्रायः अवैध एवं निजी कार्यों के लिए ही किया जाता है। काला धन विषमता और अनैतिकता को बढ़ाता है।

राजनैतिक प्रभाव : राजनीति में काला धन के प्रवेश से राजनैतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। चुनाव में धन-बल का प्रयोग बढ़ जाता है फलतः राजनीति दूषित हो जाती है।

आर्थिक प्रभाव : 'काला धन' 'समानान्तर अर्थव्यवस्था' को जन्म देता है। इससे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि में वृद्धि होती है। काला धन देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर देता है।

काले धन में वृद्धि के कारण

1. 1990 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में नयी आर्थिक नीति लागू की गयी। इस नीति के तहत आर्थिक नियमों को उदार बनाया गया। उदासीकरण के कारण भारतीय धन का काले धन के रूप बड़े पैमाने पर विदेशों में प्रवाह हुआ।
2. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले व्यापारिक समझौते के कारण भी काले धन में वृद्धि होती है। इस सौदे में 'कमीशन मनी' की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
3. धन को काला धन में परिणत करने का एक महत्वपूर्ण साधन 'हवाला व्यापार' है। भारतीय अर्थव्यवस्था में काला धन में निर्माण में हवाला व्यापार का योगदान सर्वाधिक है।
4. कर चोरी के पैसे को जमा करने के लिए जो क्षेत्र/देश स्वर्ग माने जाते हैं इनमें स्वीट्जरलैंड, सेंट किट्स, साइप्रस, बहामास आदि शामिल हैं। ये क्षेत्र 'टैक्स हेवेन्स' (Tax Havens) इसलिए कहलाते हैं कि इन्होंने विदेशी धन को आकर्षित करने के लिए उसे कर मुक्त (Tax Free) कर दिया है और उसकी गोपनीयता भी बनी रहती है।

काला धन रोकने संबंधी कानून

1. **फेमा (FEMA- Foreign Exchange Management Act) :** नई आर्थिक नीति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 1999 में इसे पारित और जून, 2000 में लागू किया गया। यह कानून **FERA (Foreign Exchange Regulation Act-1974)** की तुलना में कमजोर सिद्ध हुआ है। **FERA** में आर्थिक तथा फौजदारी दण्ड का प्रावधान था वहीं फेमा सिर्फ आर्थिक दण्ड का प्रावधान करता है।
2. **मनी लाउड्रिंग बिल :** प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउड्रिंग बिल 2002 में लागू किया गया जो अवैध ढंग से उनकी आबाजाही पर निगरानी के रखने में सहायक है। इसे 2008 में संशोधित करके सजा की न्यूनतम अवधि 3 साल और अधिकतम 10 वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
3. **केन्द्रीय सतर्कता आयोग (C.V.C.) :** यह आयोग भी गलत और अवैध ढंग से अर्जित आय की जाँच करता है। सरकार इस संस्था को ज्यादा स्वायत्त और पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रही है।

काले धन के रोकथाम के लिए सरकारी प्रयास

1. भारत सरकार ने काले धन की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O.) के साथ एक समझौता किया है जिससे काले धन के प्रवाह में कमी आएगी। इसमें वित्तीय खुफिया इकाई (Finance Intelligence) के गठन का प्रस्ताव है जो वित्तीय लेन-देन के आँकड़ों की निगरानी तथा विश्लेषण करेगा।
2. 30 मई 2011 से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में आयकर निदेशालय का गठन किया गया है। यह निदेशालय प्रत्यक्ष कर कानून के तहत वित्तीय अपराधों के प्रभावों और इससे जुड़े मामले की जाँच करेगा।

3. संसद में प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय करदाता अनिवार्य रूप से अपनी उन परिसम्पत्तियों की घोषणा करें जो विदेशों में हैं।
4. अधोषित कर अदायगी के योग्य आमदनी पर आयकर अधिनियम के तहत अर्धदण्ड, और ब्याज के साथ ही मुकदमा चलाने का भी प्रावधान है।
5. काले धन की जाँच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष जाँच दल (S.I.T.) का गठन किया है।

उपर्युक्त कदमों से स्पष्ट है कि 'काले धन' की समस्या को लेकर सरकार गंभीर है। वह इसकी रोकथाम के लिए प्रयासरत है। इसके सकारात्मक परिणाम के संकेत भी मिलने लगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता और जनादोलनों के दबाव के कारण स्विस बैंक (Swiss Bank) में जमा धन में उल्लेखनीय कमी आयी है। अब भारत 9000 करोड़ की राशि के साथ 70 वें स्थान पर आ गया है। (Indian Express July 2013)

काले धन की समस्या से निबटने के लिए अमी और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। जन जागरूकता और राजनैतिक इच्छाशक्ति की मदद से इस समस्या का समाधान संभव है।

हवाला - हवाला व्यापार के जरिए करेंसी की अदला-बदली की जाती है। इस व्यापार में लगे लोग भुगतान घरेलू मुद्रा (Domestic currency) में करते हैं तथा इसके बदले विदेशों में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कर देते हैं। हवाला व्यापार की विनिमय दरें (Exchange rates) देश के विभिन्न केंद्रों में प्रायः अलग होती हैं।

सामानान्तर अर्थव्यवस्था (Paralle Economy) - सामानान्तर अर्थव्यवस्था से अभिप्राय देश की छिपी हुई अर्थव्यवस्था से है जो गैरकानूनी या अनधिकृत स्रोतों से प्राप्त धन से निर्मित होती है जिसे 'काला धन' के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग अनेक कार्यों के किया जाता है।

भ्रष्टाचार (Corruption)

भ्रष्टाचार आज एक ऐसी समस्या बन चुका है जिससे समाज का कोई भी वर्ग, व्यक्ति और क्षेत्र अछूता नहीं है। अब भ्रष्टाचार को जीवन की सामान्य विधि के रूप में देखा जाने लगा है। संभवतः आधुनिक सभ्यता ने अपने विकास के साथ-साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ाया है। यह एक प्रमुख आर्थिक समस्या है जिससे भारत की प्रगति बाधित हुई है।

भ्रष्टाचार का अर्थ एवं परिभाषा

हम 'भ्रष्टाचार' शब्द का प्रयोग दैनिक जीवन में बखुबी करते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे 'Corruption' कहा जाता है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'Corrustus' से है, जिसका आशय है तौर-तरीके और नैतिकता में आदर्शों का टूट जाना, घूस लेना आदि।

भ्रष्टाचार की सटीक परिभाषा बड़ा कठिन है; क्योंकि यह कई रूपों में हमारे जीवन में व्याप्त होता है। इसके अन्तर्गत छल, कपट, विश्वासघात, जालसाजी, रिश्वत, चोरी आदि के द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करना शामिल होता है।

इलियट एवं मैरिल (Elliot and Merril) :

ने भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हुए कहा है- "अपने अथवा अपने सगे-संबंधियों, परिवार वालों और मित्रों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई आर्थिक अथवा अन्य लाभ उठाना भ्रष्टाचार है।"

दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने निर्धारित कर्तव्य की उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार है।

भारत में भ्रष्टाचार

'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' के अनुसार भारत दुनिया के सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूची में शामिल है। संस्था के अनुसार ईमानदारी के निर्धारित 10 में से भारत को सिर्फ 2.8 अंक प्राप्त हुए हैं। 178 राष्ट्रों की सूची में भारत का स्थान 94 वाँ है।

स्पष्टतः भारत में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। प्रशासन, राजनीति और आर्थिक जगत भ्रष्टाचार के प्रमुख क्षेत्र हैं।

भ्रष्टाचार के कारण

1. सामाजिक मूल्यों में बदलाव : भ्रष्टाचार समाज के आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण का ही परिणाम है। समाज में आर्थिक मूल्य सर्वोपरि हैं और पैसा प्रतिष्ठा का पर्याय बन गया है। ऐसे में सारे लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। साधन की पवित्रता या उचित अनुचित तरीके से उनका कोई लेना-देना नहीं है। ऐसी व्यवस्था से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
2. सरकार की आर्थिक नीतियाँ : सरकार की आर्थिक नीति भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। आर्थिक घोटाले उन्हीं विभागों या क्षेत्रों में होते हैं जहाँ क्रय नीति या मूल्य निर्धारण सरकार करती है।
3. काला बाजारी : जब आवश्यक वस्तुओं की कमी होती है तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। व्यापारी वर्ग जानबूझ कर लालच में ऐसी वस्तुओं की कृत्रिम कमी उत्पन्न करते हैं जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है।
4. अपर्याप्त वेतन : अपर्याप्त वेतन भी भ्रष्टाचार में वृद्धि का एक कारण है। न्यूनतम जीवन स्तर को अगर कर्मचारी अपने वेतन से प्राप्त नहीं करता तो वह भ्रष्ट साधनों को अपनाने लगता है। कई विभागों में ठेके पर नियुक्तियों और अन्य प्रतिष्ठानों की तुलना में कर्मचारियों को न्यून वेतन इसका प्रमुख कारण है। मनरेगा और 'मिड डे मील' जैसी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार इसका उदाहरण है।
5. राजनैतिक व्यवस्था : सत्ता और गठबंधन की राजनीति ने भ्रष्टाचार को खूब फलने-फूलने का मौका दिया है। खर्चीली चुनाव प्रणाली, धन-बल का प्रयोग और अवसरवादी राजनीति ने भ्रष्टाचार को नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

भ्रष्टाचार का प्रभाव

1. सामाजिक असमानता में वृद्धि : भ्रष्टाचार के द्वारा अर्जित धन कुछ ही हाथों में केंद्रित होता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के द्वार बन्द हो जाते हैं, अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जाती है। जीविका के लिए गरीब आबादी भी गलत रास्ते पर चल पड़ती है फलतः असमानता और असंतोष में वृद्धि होती है।
2. राजनैतिक अस्थिरता : भ्रष्टाचार से असंतोष और व्यवस्था के प्रति आक्रोश बढ़ता है। इसके विरुद्ध आन्दोलन और इस स्थिति के राजनीतिकरण से देश में राजनैतिक अस्थिरता कायम हो जाती है।
3. आर्थिक प्रगति में बाधा : भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक क्षेत्र को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अर्थव्यवस्था के विघटन का खतरा उत्पन्न हो जाता है। सरकारी धन के अपव्यय से राष्ट्रीय आय में कमी आती है।
4. अपराध में वृद्धि : अपराधों में वृद्धि का भ्रष्टाचार से सीधा संबंध है, अर्थात् भ्रष्टाचार अपराध में वृद्धि करता है। व्यक्तियों का नैतिक पतन हो जाता है और वे अपराध के दल-दल में फँस जाते हैं।

5. काले धन की मात्रा में वृद्धि : भ्रष्टाचार के फलस्वरूप अधिकारी तथा व्यापारी वर्ग के पास काले धन की विशाल मात्रा संचित हो जाती है। जिसका प्रयोग सामाजिक विघटन के लिए होता है।

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के उपाय

भ्रष्टाचार भारत की सर्वाधिक जटिल आर्थिक समस्याओं में से एक है। इसके नियंत्रण के सारे उपाय अथक करीब-करीब विफल रहे हैं। भ्रष्टाचार उन्मूलन अस्तंभव सा प्रतीत होने लगा है फिर भी निम्न उपायों द्वारा इस पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है-

1. **प्रभावी कानून** : भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाए गए कानून पर्याप्त प्रभावी नहीं है। इन्हें नये सिरे से भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। दण्ड के कड़े प्रावधान होने चाहिए ताकि भ्रष्टाचारी कानून की आँखों के घूल न झोंक सके। इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
2. **चुनाव सुधार** : यह भ्रष्टाचार नियंत्रण का प्रभावी उपाय हो सकता है। ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें ईमानदार, शिक्षित और स्वच्छ छवि के लोग ही चुनाव लड़ सकें। चुनाव में धन बल के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अपराधी और भ्रष्ट लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
3. **पारदर्शी प्रशासन** : प्रशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए। लोकपाल की नियुक्ति इस दिशा में ठोस पहल हो सकता है। कर्मचारियों के वेतन भातों में एकरूपता और उनका सम्मानजनक स्तर बनाये रखा जाना चाहिए ताकि वे भ्रष्टाचार की तरफ आकर्षित न हों। अधिकारियों- कर्मचारियों की ईमानदारी से भ्रष्टाचार आसानी से खत्म किया जा सकता है।
4. **काला बाजारी पर रोक** : भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए कालाबाजारी पर रोक लगाने की आवश्यकता है। अनैतिक, अवैध, व्यापार करने वालों पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।
5. **जन जागरूकता** : भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए सामाजिक मूल्यों को परिवर्तित करने की भी आवश्यकता है। भौतिकवादी संस्कृति को त्याग कर संतोष, ईमानदारी और निष्ठा के प्रतिमान- अध्यात्मिक जीवन पद्धति के प्रचार-प्रसार के लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है ताकि लोग अपनी जरूरतें सीमित रखें और भ्रष्टाचार से दूर रहें।

उपर्युक्त उपाय अगर प्रभावी धन से लागू किए जाए तो निःसंदेह भ्रष्टाचार में उल्लेखनीय कमी आ सकता है। राजनैतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक क्षमता इसकी आवश्यक शर्त है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता गुन्नार मिर्डल भी इसे स्वीकार करते हैं। उनके शब्दों में, 'भ्रष्टाचार से लड़ाई बिल्कुल निराशा है, यदि शीर्ष स्तरों पर उच्च पैमाने की ईमानदारी और सत्य निष्ठा नहीं है।'

ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल - इसकी स्थापना 1993 में एक गैर सरकारी संगठन (N.G.O.) के रूप में की गयी थी। यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक और व्यवसायिक भ्रष्टाचार पर नजर रखती है और प्रत्येक वर्ष भ्रष्ट देशों की C.P.I. (Corruption Perception Index) के आधार पर एक सूची जारी करता है। 178 देशों की नवीनतम सूची में भारत का स्थान 94 वाँ है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:-

1. भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है-
(क) गरीबी (ख) बेरोजगारी (ग) दोनों (घ) कोई नहीं
2. ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन कैलोरी की निर्धारित मात्रा है-
(क) 2400 (ख) 2100 (ग) 2300 (घ) 2200
3. भारत सरकार वर्तमान में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर करती है?
(क) कैलोरी की मात्रा (ख) प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय
(ग) आय (घ) कोई नहीं
4. 'मनरेगा' का प्रारंभ कब हुआ।
(क) 2001 (ख) 2003 (ग) 2006 (घ) 1995
5. भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी मुख्यतः किस प्रकार की है?
(क) संरचनात्मक (ख) घर्षणात्मक (ग) घक्रीय (घ) औद्योगिक
6. कृषि क्षेत्र में पायी जाती है-
(क) खुली बेरोजगारी (ख) छिपी बेरोजगारी (ग) शिक्षित बेरोजगारी (घ) कोई नहीं
7. मुद्रा स्फीति कारण है-
(क) अव्यवस्था का (ख) विद्वेष का (ग) महंगाई का (घ) राजनैतिक अस्थिरता का
8. मुद्रा स्फीति कितने प्रकार की होती है।
(क) दो (ख) तीन (ग) पाँच (घ) चार
9. काला धन है-
(क) गैर कानूनी धन (ख) काली मुद्रा (ग) भारी धन (घ) कोई नहीं
10. काले धन का स्रोत है-
(क) कर चोरी (ख) अवैध आय (ग) कमीशन (घ) सभी
11. ट्रांसपैरेंसी इटरनेशनल किन देशों की सूची जारी करता है?
(क) किससित देशों की (ख) विकासशील देशों की (ग) ब्रष्ट देशों की (घ) कोई नहीं

निम्न संकेताक्षरों का पूर्ण रूप लिखे

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1. MPCE | 2. NSSO | 3. SHG | 4. W.P.I |
| 5. C.P.I | 6. MNREGA | 7. FEMA | 8. FERA |
| 9. TRYSEM | 10. IRDP | 11. RLEGP | |

लघु उत्तरीय

1. गरीबी रेखा से क्या समझते हैं?
2. भारत में गरीबी के चार प्रमुख कारण बताएँ।

3. गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए गये कार्यक्रमों का संक्षिप्त उल्लेख करें।
4. बेरोजगारी को स्पष्ट कीजिए।
5. छिपी या प्रछन्न बेरोजगारी से क्या समझते हैं?
6. बेरोजगारी के प्रमुख प्रकारों को संक्षेप में बताएँ।
7. 'मूल्य वृद्धि' का अर्थ स्पष्ट करें।
8. मुद्रा स्फीति को परिभाषित करें।
9. भ्रष्टाचार क्या है? इसके कारण लिखें।
10. काला धन किसे कहते हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण को समझाइये। इसके आधार पर गरीबी की स्थिति का आकलन प्रस्तुत कीजिए।
2. भारत में गरीबी के कारणों का उल्लेख कीजिए।
3. बेरोजगारी की परिभाषा दें। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण एवं निवारण की चर्चा करें।
4. भारत में बेरोजगारी के प्रमुख प्रकारों को विस्तारपूर्वक लिखें।
5. मुद्रा स्फीति कितने प्रकार की होती है? इसकी माप कैसे होती है?
6. मुद्रा स्फीति के प्रभावों को बताएँ।
7. काले धन से क्या समझते हैं? इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं? वर्णन करें।
8. भ्रष्टाचार से क्या समझते हैं? इस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है?

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1. ग, 2. क, 3. ख, 4. ग, 5. क, 6. ख, 7. ग, 8. क, 9. क, 10. घ, 11. ग

संदर्भ

- N.C.E.R.T. अर्थशास्त्र (वर्ग-IX)
- हाई स्कूल अर्थशास्त्र- तेज प्रताप सिंह (भारती भवन)
- अर्थशास्त्र- डॉ. सुमन
- योजना- मासिक
- भारत का आर्थिक सर्वेक्षण- 2011-12
- भारतीय अर्थव्यवस्था- प्रतियोगिता दर्पण।

बाजार की शक्तियाँ

माँग का अर्थ (Meaning of Demand)

अर्थशास्त्र में माँग शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। बोल-चाल की भाषा में इच्छा, आवश्यकता तथा माँग शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। परंतु अर्थशास्त्र में इन तीनों शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं। मान लीजिए, आपको कम्प्यूटर खरीदने की इच्छा है परंतु आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है तो यह इच्छा आर्थिक दृष्टि से केवल इच्छा (Desire) ही है माँग (Demand) नहीं और यदि पर्याप्त साधन होते हुए भी आप उस साधन को कम्प्यूटर खरीदने पर खर्च करना नहीं चाहते तो यह इच्छा केवल आवश्यकता (want) ही कहलाएगी, माँग (demand) नहीं। यह इच्छा उसी स्थिति में माँग (Demand) कहलाएगी जब आप अपने साधन को कम्प्यूटर पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है कि एक निश्चित कीमत व निश्चित समय के सम्बन्ध में ही माँग का उल्लेख किया जाना चाहिए।

वास्तव में माँग का जन्म इच्छा से होता है, पुनः इच्छा आवश्यकता में बदलती है तथा अंत में वही आवश्यकता माँग का रूप ले लेती है। यह ठीक है कि माँग के लिए इच्छा का होना आवश्यक है लेकिन इच्छा मात्र को ही माँग नहीं कहा जा सकता। Person ने प्रभावपूर्ण इच्छा (Effective desire) को ही माँग की श्रेणी में रखा है। प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए दो बातों का होना जरूरी है - इच्छा की पूर्ति के लिए साधन अथवा क्रय शक्ति (Means to Purchase) का होना तथा उसे खरीदने की तत्परता (Willingness to Purchase)। लेकिन इच्छा प्रभावपूर्ण होने से ही माँग नहीं कहला सकती। वास्तव में प्रभावपूर्ण इच्छा तो आवश्यकता में बदल जाती है। इस प्रभावपूर्ण इच्छा या आवश्यकता को माँग में परिणत होने के लिए मूल्य (Price) एवं समय का होना भी आवश्यक है। माँग सदैव एक दिए हुए मूल्य पर होती है, इसलिए जब तक मूल्य व्यक्त नहीं किया जाए, तब तक माँग शब्द की कोई सार्थकता नहीं है।

इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि माँग के लिए निम्नलिखित पांच तत्वों का होना आवश्यक है :

1. किसी वस्तु की इच्छा (Desire for a Commodity)
2. उस इच्छा की पूर्ति के लिए साधन या क्रय शक्ति (Means or ability to Purchase)
3. साधन को व्यय करने की तत्परता (Willingness to Purchase)
4. मूल्य का होना (A given price)
5. एक निश्चित अवधि (A given time) का होना।

वस्तुओं की माँग क्यों की जाती है ?

हम वस्तुओं और सेवाओं की माँग इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की यह क्षमता उपयोगिता कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं की माँग इसलिए की जाती है क्योंकि उनमें उपयोगिता है।

अर्थशास्त्री किसी वस्तु की माँगी गई मात्रा (Quantity Demanded) तथा

माँग (Demand) सम्बन्धी धारणाओं में अंतर करते हैं।

परिभाषा (Definition)

अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता उसकी जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक है तथा योग्य होता है उसे माँगी गई मात्रा (Quantity Demanded) कहा जाता है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए जब एक चॉकलेट की कीमत 1 रुपये है तो उपभोक्ता 5 चॉकलेट खरीदता है। अर्थात् एक रुपये प्रति चॉकलेट की कीमत पर 5 चॉकलेट की मात्रा माँगी गई है।

इसके विपरीत, "माँग किसी वस्तु की ये मात्राएँ हैं जो अन्य तत्वों के समान रहने पर एक उपभोक्ता समय की एक निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक तथा योग्य है।"

उदाहरण के लिए, मान लीजिए उपभोक्ता 1 रुपये कीमत पर 5 आईसक्रीम की माँग करता है, 2 रुपये कीमत पर 4 आईसक्रीम तथा 3 रुपये कीमत पर 2 आईसक्रीम की माँग करता है।

माँग का नियम (Law of Demand)

माँग का नियम यह बतलाता है कि यदि अन्य बातें समान रहें (Other things remaining the same) तो मूल्य में कमी होने से माँग की मात्रा बढ़ती है तथा मूल्य में वृद्धि होने से माँग की मात्रा कम होती है।

अन्य बातें समान रहने से अभिप्राय है कि उपभोक्ता की आय, सम्बन्धित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की रुचि आदि स्थिर रहती है।

प्रो० मार्शल (Marshall) ने इस नियम को इस प्रकार व्यक्त किया है - मूल्य में कमी होने से माँग की मात्रा बढ़ती है तथा मूल्य में वृद्धि होने से माँग की मात्रा कम होती है। (The amount demanded increases with a fall in price and diminishes with a rise in price).

अतः माँग किसी वस्तु की ये मात्राएँ हैं जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर प्रत्येक संभव कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदने के लिए इच्छुक तथा योग्य है।

माँग का नियम मूल्य एवं माँग के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। वास्तव में मूल्य एवं माँग में विपरीत संबंध (Inverse Relationship) होता है, अर्थात् मूल्य घटने से माँग बढ़ती है तथा मूल्य के बढ़ने से माँग घटती है।

उदाहरण द्वारा व्याख्या

मान लिया जाए कि बाजार में जब आलू की कीमत 20 रुपये प्रति किलो है तो कोई व्यक्ति 5 किलो आलू की माँग करता है। जब कीमत घटकर 16 रुपये प्रति किलो हो जाती है तो माँग की बढ़कर 10 किलो हो जाती है।

इसी प्रकार जैसे-जैसे आलू की कीमत घटती जाती है, उसकी माँग बढ़ती जाती है, इसे आगे की तालिका में दिखाया गया है -


1. मूल्य में कमी होने पर माँग बढ़ती है।

आलू की कीमत	माँगी गई मात्रा
20 रुपये	5 किलो
16 रुपये	10 किलो
12 रुपये	15 किलो
8 रुपये	20 किलो

निम्नलिखित तालिका में यह दिखाया गया है कि आलू की कीमत में जैसे-जैसे वृद्धि की जाती है, उसकी माँग घटती है।

2. मूल्य में वृद्धि होने पर माँग घटती है

आलू की कीमत	माँगी गई मात्रा
8 रुपये	20 किलो
12 रुपये	15 किलो
16 रुपये	10 किलो
20 रुपये	5 किलो



रेखा चित्र : 5.1

माँग के नियम का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण :

माँग के नियम को हम चित्र संख्या-5.1 के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं -

इस चित्र में **OX** रेखा पर माँग की मात्रा तथा **OY** रेखा पर वस्तु का मूल्य दिखलाया गया है। **DD** माँग की रेखा है। चित्र से यह स्पष्ट होता है कि वस्तु का मूल्य जब **OP** है तो माँग की मात्रा **OQ** है लेकिन मूल्य घटकर जब **OP** से **OP₁** हो जाता है तो माँग की मात्रा **OQ** से बढ़कर **OQ₁** हो जाती है। इसके विपरीत जब मूल्य **OP** से बढ़कर **OP₂** हो जाता है तो माँग की मात्रा **OQ** से घटकर **OQ₂** हो जाती है। वास्तव में माँग वक्र का ऊपर से नीचे की ओर ढलान माँग के नियम को प्रकट करता है।

माँग के नियम की तुलना बच्चों के झूले (Sea-Saw) से की जाती है। जब पटरे पर एक बच्चा नीचे की ओर आता है तो दूसरा बच्चा ऊपर की ओर चला जाता है। उसी प्रकार जब मूल्य ऊपर उठता है तो माँग नीचे आ जाती है तथा जब मूल्य नीचे गिरता है, तब माँग ऊपर की ओर उठती है। इसे रेखा चित्र-5.2 द्वारा दिखाया गया है -

माँग के नियम की मान्यताएँ (Assumptions of the law of demand)

माँग का नियम तभी लागू होता है "जब अन्य बातें समान हों।" (Other things being equal) इससे अभिप्राय यह है कि माँग को प्रभावित करने वाले कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों की स्थिर मान लिया जाता है। इन्हें इस नियम की मान्यताएं कहा जा सकता है। इस नियम की निम्नांकित मान्यताएं हैं-



रेखा चित्र : 5.2

1. उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
2. उपभोक्ता की आदत, रुचि एवं फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
3. स्थानापन्न (संबंधित) वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
4. जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
5. धन के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
6. मौसम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
7. वस्तु की कीमत के भविष्य में और अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए।
8. उपभोक्ता की कुल संपत्ति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

माँग के नियम के अपवाद (Exceptions to the law of Demand)

माँग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ वस्तुओं की कीमत अधिक होने पर उनकी माँग बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर उनकी माँग कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में माँग की रेखा नीचे की ओर दाहिने तरफ न झुककर नीचे से ऊपर दाहिनी ओर चली जाती है। इसका धनात्मक ढलान (Positive Slope) हो जाता है।

सबसे पहले इस तथ्य पर सर रॉबर्ट गिफेन (Sir Robert Giffen) ने विश्लेषण किया था। इसलिए इसे गिफेन का विरोधाभास (Giffen's paradox) भी कहा जाता है। माँग के नियम के मुख्य अपवाद निम्नलिखित हैं -

1. अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में (In case of Necessary goods)

ये वस्तुएं जैसे नमक, चावल, गेहूँ आदि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने पर भी उनकी माँग लगभग पूर्ववत् ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि इन वस्तुओं का उपभोग अनिवार्य है।

2. भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशाका (Expectation of price change in future)

यदि भविष्य में मूल्य बढ़ने की आशाका हो तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर भी उनकी माँग में वृद्धि हो जाएगी। लोग वर्तमान मूल्य पर ही अधिक इकाइयों का भंडारण कर लेंगे। इसके विपरीत यदि भविष्य में वस्तु के मूल्य में और अधिक गिरावट की संभावना हो तो लोग वस्तु के मूल्य में कमी होने पर भी उसकी माँग कम कर देंगे क्योंकि वे सोचेंगे कि भविष्य में यह वस्तु और सस्ती होगी।

3. बहुमूल्य एवं प्रतिष्ठा की वस्तुओं के संबंध में (In case of Priceless goods and goods of distinction)

बहुमूल्य वस्तुओं जैसे- हीरा, जवाहरात एवं प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली वस्तुओं के संबंध में यह नियम लागू नहीं होती। वस्तुओं के मूल्य बढ़ने पर भी इनकी माँग कम नहीं होती। इसका कारण यह है कि ये वस्तुएं धनी वर्ग द्वारा प्रायः अपनी शानशांकेत दिखाने या सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती हैं। वास्तव में इन वस्तुओं की सार्थकता तभी तक है जब तक इनका मूल्य ऊँचा रहता है। यदि इन वस्तुओं का मूल्य गिर जाए तो इनकी माँग में वृद्धि नहीं होगी क्योंकि इनका सामाजिक मूल्य कम हो जाएगा।

4. शादी-ब्याह या अन्य त्योहारों के अवसर पर (On Occasion like marriage and other festivals)

शादी-ब्याह या अन्य त्योहारों के अवसर पर माँग का नियम लागू नहीं होता इसका कारण यह है कि इन अवसरों पर कुछ विशेष वस्तुओं जैसे- कपड़ा, आभूषण, मिठाई आदि का खरीदना आवश्यक होता है। अतः इनके मूल्य में वृद्धि होने पर भी इन अवसरों पर इनकी माँग कम नहीं होती।

5. आदत की वस्तुओं के संबंध में (In case of habitual goods)

लोगों को जिन वस्तुओं की आदत पड़ जाती है उन्हें वे अधिक मूल्य पर भी खरीदते हैं। इन पर भी माँग का नियम लागू नहीं होता।

6. पूरक वस्तुओं के संबंध में (In case of complementary goods)

माँग का नियम पूरक वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होता। जैसे- कार एवं पेट्रोल। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि होने पर जिनके पास कार है वो पेट्रोल की माँग करेगा। अतः पेट्रोल की माँग प्रभावित नहीं होगी।

7. परम्परागत आवश्यकताओं के संबंध में

परम्परागत या सामाजिक आवश्यकताओं के संबंध में भी यह नियम ठीक से लागू नहीं होता है। शादी-ब्याह में पार्टी देना, अच्छे वस्त्रों का व्यवहार करना आदि बातें परम्पराओं में सम्मिलित हैं। इसलिए मूल्य में वृद्धि होने पर भी इन आवश्यकताओं से संबंधित माँग की पूर्ति करनी ही पड़ती है।

8. आय में वृद्धि होने पर (In case of increase in demand)

यदि व्यक्ति की आय बढ़ जाए, तो बढ़ते हुए मूल्य पर भी सामान्यतः किसी वस्तु की माँग घटेगी नहीं। इसका कारण यह है कि आय में वृद्धि हो जाने के कारण व्यक्ति की उपभोग क्षमता में भी वृद्धि हो गई।

पर इन अपवादों तथा सीमाओं के बावजूद भी सामान्यतः माँग के नियम का व्यावहारिक महत्व है तथा यह नियम हमारे दैनिक जीवन में लागू होता है, इस कारण अर्थशास्त्र में उपभोग के क्षेत्र में इस नियम के अध्ययन का महत्व तथा उपयोगिता है।

माँग की लोच (Elasticity of Demand)

माँग की लोच का अर्थ - माँग के नियम के अंतर्गत हमने किसी वस्तु के मूल्य और उसकी माँग के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया। नियम के अनुसार, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी माँग घटती है तथा मूल्य में हास होने पर माँग बढ़ती है। पर मूल्य और माँग का संबंध सदैव आनुपातिक नहीं होता। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु के मूल्य में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, उस वस्तु की माँग में भी उतना प्रतिशत ही परिवर्तन नहीं होता।

कभी-कभी किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन भी उसकी माँग को बहुत अधिक प्रभावित करता है। दूसरी ओर, कुछ अवस्थाओं में किसी वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी उस वस्तु की माँग में थोड़ा परिवर्तन या शून्य परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, यदि लैप टॉप का मूल्य गिर जाए तो उसकी माँग काफी बढ़ जाएगी। लेकिन नमक के मूल्य में वृद्धि या कमी का उसके माँग में कोई विशेष अंतर नहीं होगा।

इसलिए, मूल्य में होनेवाले परिवर्तन के परिणामस्वरूप माँग में होनेवाले परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए हम माँग की लोच का सहारा लेते हैं। माँग की लोच के अंतर्गत इस बात का अध्ययन होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में होनेवाले परिवर्तन के

परिणामस्वरूप उसकी माँग में कितना परिवर्तन होता है।

परिभाषा (Definition)

विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने माँग की लोच की अलग-अलग परिभाषा दी है। माँग की लोच की कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार हैं-

1. **केयरनक्रॉस (Cairncross):** "किसी वस्तु की माँग की लोच वह गति है जिस पर माँगी गई वस्तु की मात्रा मूल्य के आधार पर बदलती है।"
2. **प्रो० बोल्टिंग (Prof. Boulding):** "किसी वस्तु के मूल्य में एक प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी माँग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे माँग की लोच कहते हैं।"
3. **प्रो० मेयर्स (Prof. Meyers):** "माँग की लोच किसी दी हुई माँग की रेखा पर मूल्य में होनेवाले परिवर्तन के फलस्वरूप माँग की मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तन की माप है।"
4. **प्रो० मार्शल (Prof. Marshall):** "मूल्य कम होने पर माँग बहुत कम या अधिक बढ़ती है, तथा मूल्य कुछ बढ़ने पर माँग अधिक या कम घटती है, इसके अनुसार ही बाजार में वस्तु की माँग की लोच बहुत अधिक या कम होती है।"

प्रश्न - माँग की लोच से आप क्या समझते हैं ?

माँग की लोच को सूत्र के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है -

$$\begin{aligned} \text{माँग की लोच } Ed &= (+) \frac{\text{माँग में प्रतिशत परिवर्तन}}{\text{कीमत में प्रतिशत परिवर्तन}} \\ Ed &= (-) \frac{\frac{\text{माँग में परिवर्तन}}{\text{प्रारंभिक माँग}} \times 100}{\frac{\text{कीमत में परिवर्तन}}{\text{प्रारंभिक कीमत}} \times 100} = (-) \frac{\left| \frac{Q_1 - Q}{Q} \right|}{\left| \frac{P_1 - P}{P} \right|} = \frac{EQ}{EP} \\ Ed &= (-) \frac{EQ}{Q} + \frac{EP}{P} = (-) \frac{EQ}{Q} \times \frac{P}{EP} \quad \text{या} \quad Ed = (-) \frac{P}{Q} \times \frac{EQ}{EP} \end{aligned}$$

(यहाँ Q = प्रारंभिक माँग

Q_1 = परिवर्तित माँग

P = प्रारंभिक कीमत

P_1 = परिवर्तित कीमत

EQ = माँग में परिवर्तन

EP = कीमत में परिवर्तन

E डेल्टा (यह चिह्न परिवर्तन को प्रकट करता है।)

माँग की लोच मुख्य रूप से तीन प्रकार की हो सकती है -

(i) **माँग की कीमत लोच (Price Elasticity of Demand)**: माँग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा माँग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है।

(ii) **माँग की आय लोच (Income Elasticity of Demand)**: जब माँगी गई मात्रा के परिवर्तन को क्रेता की आय में हुए परिवर्तन के संदर्भ के रूप में मापा जाता है, तो इसे माँग की आय लोच कहा जाता है।

(iii) **माँग की आड़ी लोच (Cross Elasticity of Demand)**: जब एक वस्तु की माँगी गई मात्रा के परिवर्तन को दूसरी संबंधित वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है तो इसे माँग की आड़ी लोच कहते हैं।

(इस अध्याय में हम केवल माँग की कीमत लोच का अध्ययन करेंगे)

माँग की कीमत लोच (Price Elasticity of Demand)

माँग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा माँग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है (**Price Elasticity of Demand is percentage change in demand divided by percentage change in price.**) माँग की लोच से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से माँग में कितने प्रतिशत की कमी होगी तथा कीमत कम होने से माँग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।

माँग की कीमत लोच की श्रेणियाँ (Degrees of Price Elasticity of Demand)


जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा-सा परिवर्तन होने पर माँग की मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो वस्तु की माँग लोचदार माँग कहलाती है, किसी वस्तु की माँग को तब 'लोचदार' माना जाता है जब माँग की लोच इकाई से अधिक ($E_d > 1$) होती है।

दूसरी ओर जब किसी वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी माँग की मात्रा में बहुत कम अथवा लगभग शून्य परिवर्तन होता है, तब वस्तु की माँग बेलोचदार माँग कहलाती है। इस स्थिति में माँग की लोच इकाई से कम ($E_d < 1$) होती है।

अर्थशास्त्रियों ने माँग की लोच के विभिन्न प्रकार या भेद बताए हैं। माँग की लोच के निम्नलिखित साँच प्रकार होते हैं-

1. पूर्णतया लोचदार माँग (Perfectly Elastic Demand)


जब मूल्य में अत्यंत कमी होने पर माँग में अनंत (Infinite) वृद्धि हो जाय तथा मूल्य में वृद्धि होने पर माँग घटकर शून्य हो जाए तो माँग पूर्णतः लोचदार होती है। इसे निम्नलिखित रेखा चित्र 5.3 द्वारा दिखाया गया है। इस चित्र में **OX** रेखा में माँग की मात्रा तथा **OY** रेखा पर मूल्य को दिखाया गया है **DD** पूर्णतया लोचदार माँग की रेखा है तथा मूल्य **OD** है चित्र में स्पष्ट है कि माँग की रेखा **DD** वास्तव में **OX** के समानान्तर (Parallel) है जिसका अर्थ यह है कि मूल्य **OP** में थोड़ी-सी भी कमी हो तो माँग बढ़कर अनंत हो जाएगी तथा मूल्य की थोड़ी-सी वृद्धि से भी माँग घट कर शून्य हो जाएगी। लेकिन वास्तविक जीवन में पूर्णतः लोचदार माँग का उदाहरण देखने को नहीं मिलता।



माँग की मात्रा
रेखा चित्र : 5.3


2. पूर्णतः बेलोचदार माँग (Perfectly Inelastic Demand)

जब वस्तु के मूल्य में कमी अथवा वृद्धि होने पर माँग पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो ऐसी अवस्था में वस्तु की माँग पूर्णतः बेलोचदार माँग कहलाती है। पूर्णतः बेलोचदार माँग के उदाहरण भी कम देखने को मिलते हैं। रेखा चित्र 5.4 में **QD** पूर्णतः बेलोचदार माँग की रेखा है चित्र से स्पष्ट है कि जब मूल्य **OP** है तो माँग **OQ** है लेकिन मूल्य घटकर जब **OP₁** हो जाता है तब भी माँग की मात्रा **OQ** ही रहती है। उसी प्रकार मूल्य बढ़कर जब **OP₂** हो जाता है तब भी माँग **OQ** ही रहती है। अर्थात् मूल्य के घटने अथवा बढ़ने पर माँग की मात्रा सर्वदा **OQ** ही रहती है। अतः यहाँ माँग पूर्णतः बेलोचदार है।




3. समलोचदार माँग या माँग की लोच इकाई के बराबर (Unit elastic demand or elasticity of demand equal to unity)

जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो उसी अनुपात में माँग में भी परिवर्तन हो तो उसे समलोचदार माँग या माँग की लोच इकाई के बराबर कहते हैं। रेखा चित्र 5.5 में **DD** समलोचदार माँग की रेखा है। चित्र से स्पष्ट है कि जब मूल्य **OP** है तो माँग की मात्रा **OQ** है लेकिन जब मूल्य घटकर **OP₁** हो जाता है तो माँग भी ठीक उसी अनुपात में बढ़कर **OQ₁** हो जाती है। अर्थात् जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हुआ है ठीक उसी अनुपात में माँग में भी परिवर्तन हुआ। अतः यहाँ समलोचदार माँग या माँग की लोच इकाई के बराबर कहते हैं इकाई के बराबर कहने का अर्थ है कि मूल्य में परिवर्तन **PP₁**, को एक अथवा इकाई (Unity) मान लें तो माँग में हुआ परिवर्तन **OQ₁**, भी एक अथवा (Unity) ही माना जायेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अतः समलोचदार माँग में **Ed=1**



4. सापेक्षिक लोचदार माँग या माँग की लोच इकाई से अधिक

जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा हो उससे अधिक अनुपात में माँग में परिवर्तन हो तो इसे सापेक्षिक लोचदार माँग या माँग की लोच इकाई से अधिक कहते हैं। इसे रेखा चित्र 5.6 से दिखाया गया है। इस चित्र में **DD** सापेक्षिक लोचदार माँग की रेखा है। चित्र से स्पष्ट है कि जब मूल्य **OP** है तो माँग **OQ** है लेकिन जब मूल्य घटकर **OP₁** हो जाता है तो माँग उससे भी अधिक अनुपात में बढ़कर **OQ₁** हो जाती है। यहाँ घटा हुआ मूल्य **PP₁**, है तथा बड़ी हुई माँग **OQ₁**, है। जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा है उससे अधिक अनुपात में माँग में परिवर्तन हुआ है। अतः यह सापेक्षिक लोचदार माँग है। इसे माँग की लोच इकाई से अधिक भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि यदि मूल्य में परिवर्तन **PP₁**, एक मान लें तो माँग में हुआ परिवर्तन **OQ₁**, अर्थात् एक से अधिक लें तो माँग की लोच इकाई से अधिक (**Ed>1**) होगी।




माँग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन
कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन

$Ed = (-)$

5. सापेक्षिक बेलोचदार माँग या माँग की लोच इकाई से कम

जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा हो उससे कम अनुपात में माँग में परिवर्तन हो तो उसे सापेक्षिक बेलोचदार माँग या माँग की लोच इकाई से कम कहते हैं। इसे रेखा चित्र 5.7 से दिखाया गया है। इस चित्र में DD सापेक्षिक बेलोचदार माँग की रेखा है। चित्र से स्पष्ट है कि जब मूल्य OP है तो माँग OQ है लेकिन जब मूल्य घटकर OP₁ हो जाता है तो माँग उससे कम अनुपात में बढ़कर OQ₁ हो जाता है। यहाँ घटा हुआ मूल्य PP₁ है तथा बढ़ी हुई माँग QQ₁ है। अर्थात् जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हुआ है उससे कम अनुपात में माँग में परिवर्तन हुआ है। अतः यहाँ माँग सापेक्षिक बेलोचदार है। सापेक्षिक बेलोचदार माँग को माँग की लोच इकाई से कम भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि यदि मूल्य में हुए परिवर्तन PP₁ को एक अथवा इकाई (Unity) मानें तो माँग में हुआ परिवर्तन QQ₁ एक अथवा इकाई से कम होगा। तो माँग की लोच इकाई से कम अर्थात् $E_d < 1$ होगा।



माँग की मात्रा
रेखा चित्र : 5.7

प्रश्न - माँग की लोच के प्रकार की व्यावहारिक उपयोगिता क्या है ?

माँग की लोच की धारणा का महत्व

माँग की लोच के सिद्धांत का व्यावहारिक महत्व भी है -

1. मूल्य-निर्धारण में सुविधा

माँग की लोच का सिद्धांत व्यवसायी वर्ग को उत्पादित वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में सुविधा प्रदान करता है। यदि वस्तु की माँग बेलोचदार है, तो ऊँचा मूल्य रखकर भी व्यवसायी वस्तुओं की बिक्री अधिक मात्रा में कर सकता है। परं यदि वस्तु की माँग लोचदार हुई तो ऊँचा मूल्य रखना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि वैसी अवस्था में माँग कम हो जाएगी।

2. कर-नीति में सुविधा

यह सिद्धांत सरकार को कर-नीति निर्धारित करने में भी सहायता प्रदान करता है। यदि सरकार वैसी वस्तुओं पर कर लगाती है, जिनकी माँग बेलोचदार है, तो इससे सरकार को लाभ होगा, क्योंकि कर लगाने पर भी उनकी माँग में अधिक कमी नहीं होगी। पर जिन वस्तुओं की माँग लोचदार है, उन पर कर लगाना अधिक लाभप्रद नहीं होगा, क्योंकि मूल्य बढ़ने से माँग भी घट जाएगी।

3. एकाधिकार में मूल्य निर्धारण में सुविधा

यह सिद्धांत एकाधिकारी उत्पादक को भी सहायता प्रदान करता है। एकाधिकारी का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण अधिकार रहता है। जब वस्तु की माँग लोचदार होगी तब वह मूल्य थोड़ा कम करके भी वस्तु अधिक मात्रा में बेचकर लाभ कमाएगा। दूसरी ओर, यदि माँग बेलोचदार है, तो एकाधिकारी मूल्य बढ़ाकर भी अधिक लाभ अर्जित कर सकता है।

4. विदेशी व्यापार के क्षेत्र में सुविधा

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भी इस सिद्धांत का सहारा लिया जा सकता है। यदि किसी देश द्वारा निर्यात की जानेवाली वस्तु की माँग विदेशों में बेलोचदार है तो उस वस्तु का मूल्य विदेशों में बढ़ाया जा सकता है।

मॉग की लोच की माप (Measurement of Elasticity of Demand)

मॉग की लोच के माप से यह ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की मॉग (i) इकाई लोचदार मॉग (ii) इकाई से अधिक लोचदार मॉग (iii) इकाई से कम लोचदार मॉग है। मॉग की लोच मापने की निम्न विधियाँ हैं -

1. कुल व्यय विधि (Total Expenditure Method)
2. अनुपातिक या प्रतिशत विधि (Proportionate or Percentage Method)
3. बिन्दु लोच विधि (Point Elasticity Method) या ग्राफिक विधि (Graphic Method) या ज्यामितीय विधि (Geometric Method)

मॉग की लोच की माप

1. कुल व्यय विधि
2. अनुपातिक या प्रतिशत विधि
3. बिन्दु लोच विधि

1. कुल व्यय विधि (Total Expenditure Method)

मॉग की लोच मापने की कुल व्यय विधि का प्रतिपादन डॉ. मार्शल ने किया था। इस विधि के अनुसार मॉग की लोच को मापने के लिए यह मालूम करना चाहिए कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन किस दिशा में होता है।

(क) **मॉग की लोच इकाई के बराबर (Unitary Elastic Demand)**: जब किसी वस्तु की कीमत के कम या अधिक होने पर उस पर किए जाने वाले कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो मॉग की लोच इकाई के बराबर होगी। इसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है -

वस्तु की कीमत (Rs.)	मात्रा (Kg.)	कुल व्यय (Rs.)	कुल व्यय पर प्रभाव	मॉग की लोच
2	4	8	कुल व्यय समान रहता है इसमें परिवर्तन नहीं होता।	इकाई $E_d = 1$
4	2	8		
1	8	8		

इस तालिका से ज्ञात होता है कि जब वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो वस्तु पर कुल खर्च 8 रुपये किया जाता है। यदि कीमत बढ़ कर 4 रुपये हो जाती है तो भी वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय 8 रुपये ही रहता है। इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत कम होकर 1 रुपया हो जाती है तो कुल व्यय 8 रुपये ही रहता है। अतः कीमत में परिवर्तन का कुल व्यय पर कोई परिवर्तन नहीं होता है।

(ख) **मॉग की लोच इकाई से अधिक (Greater than Unitary Elastic)**: जब किसी वस्तु की कीमत कम होने पर कुल व्यय बढ़ता है तथा कीमत के अधिक होने पर कुल व्यय घटता है तो उस वस्तु की मॉग की लोच इकाई से अधिक होती है। इसे निम्न तालिका से दिखाया जा सकता है -

वस्तु की कीमत (Rs.)	मात्रा (Kg.)	कुल व्यय (Rs.)	कुल व्यय पर प्रभाव	माँग की लोच
2	4	8	कीमत कम होने पर	इकाई से अधिक $Ed > 1$
4	1	4	कुल व्यय बढ़ता है	
1	10	10	तथा कीमत बढ़ने पर कम होता है।	


इस तालिका से ज्ञात होता है कि जब वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो कुल व्यय 8 रुपये है यदि वस्तु की कीमत बढ़कर 4 रुपये हो जाती है तो कुल व्यय 8 रुपये से कम होकर 4 रुपये हो जाता है। इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत कम होकर 1 रुपया हो जाती है तो कुल व्यय बढ़कर 10 रुपए हो जाती है। अतः कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल व्यय में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है।

ग) माँग की लोच इकाई से कम (Less than Unitary Elastic): जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से कुल व्यय कम हो जाता है तथा कीमत बढ़ने से कुल व्यय बढ़ जाता है अर्थात् कुल व्यय उन्नी दिशा में परिवर्तित होता है जिसमें कीमत में परिवर्तन होता है। तो उस वस्तु की माँग की लोच इकाई से कम अर्थात् बेलोघदार होगी। इसे आगे की तालिका में दिखाया गया है -

वस्तु की कीमत (Rs.)	मात्रा (Kg.)	कुल व्यय (Rs.)	कुल व्यय पर प्रभाव	माँग की लोच
2	3	6	कीमत कम होने पर	इकाई से कम $Ed < 1$
4	2	8	कुल व्यय कम होता है तथा कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है	
1	4	4		

इस तालिका से ज्ञात होता है कि जब वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो कुल व्यय 6 रुपये है। यदि कीमत बढ़ कर 4 रुपये हो जाती है तो कुल व्यय 6 रुपये से बढ़कर 8 रुपये हो जाता है। इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत कम होकर 1 रुपये होती है तो कुल व्यय कम होकर 4 रुपये हो जाता है। इस प्रकार कीमत में होने वाले परिवर्तन का कुल व्यय पर समान दिशा में प्रभाव पड़ता है।

रेखा चित्र 5.8 - से माँग की लोच मापने की कुल व्यय विधि को स्पष्ट किया जा सकता है। OY अक्ष पर मूल्य तथा OX अक्ष पर कुल व्यय की दिखाया गया है। TE कुल व्यय वक्र है। वक्र TE के बीच का BC भाग इकाई कीमत लोच को प्रकट करता है। इससे ज्ञात होता है कि जब कीमत OM है तो कुल व्यय MC है जब कीमत बढ़कर ON हो जाती है तो कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता वह NB के बराबर ही रहता है। $MC = NB$



वक्र TE का TB भाग इकाई से अधिक लोच को बताता है। इससे ज्ञात होता है कि जब कीमत ON से बढ़कर OR हो जाती है तो कुल व्यय NB से कम होकर RA हो जाता है। वक्र TE का EC भाग इकाई से कम कीमत लोच को प्रकट कर रहा है। इससे ज्ञात होता है जब कीमत OM से कम होकर OP हो जाती है तो कुल व्यय भी MC से कम होकर PD हो जाता है।

2. आनुपातिक या प्रतिशत विधि (Proportionate or Percentage Method)

माँग की लोच को मापने की दूसरी विधि प्रतिशत विधि अथवा आनुपातिक विधि कहलाती है। इस विधि का वर्णन सबसे पहले डॉ० मार्शल ने किया था। इस प्रणाली के अनुसार, माँग की लोच का अनुमान लगाने के लिए माँग में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग (Divide) दिया जाता है। इस विधि द्वारा माँग की लोच का माप निम्नलिखित सूत्रों की सहायता से ज्ञात होता है:

$$Ed = (-) \frac{\text{माँग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन}}{\text{कीमता में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन}}$$

$$Ed = (-) \frac{\frac{\text{माँग की परिवर्तन}}{\text{प्रारंभिक माँग}} \times 100}{\frac{\text{कीमत में परिवर्तन}}{\text{प्रारंभिक कीमत}} \times 100}$$

$$Ed = (-) \frac{\frac{Q_1 - Q_0}{Q_0} \times 100}{\frac{P_1 - P_0}{P_0} \times 100} = \frac{EQ}{EP}$$

$$Ed = (-) \frac{EQ}{Q_0} \times \frac{P_0}{EP}$$

$$Ed = (-) \frac{P_0}{Q_0} \times \frac{EQ}{EP}$$

$$\text{माँग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन} = \frac{\text{माँग की परिवर्तन}}{\text{प्रारंभिक माँग}} \times 100$$

$$\text{कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन} = \frac{\text{कीमत में परिवर्तन}}{\text{प्रारंभिक कीमत}} \times 100$$

यहाँ Q = प्रारंभिक माँग

Q₁ = परिवर्तित माँग

P = प्रारंभिक कीमत

P₁ = परिवर्तित कीमत

EQ = Q₁ - Q (माँग में परिवर्तन)

EP = P₁ - P (कीमत में परिवर्तन)

E डेल्टा परिवर्तन को प्रकट करता है

प्रश्न : जब आइसक्रीम की कीमत 4 रु. से कम होकर 2 रूपये प्रति आइसक्रीम हो जाती है तो माँग 1 आइसक्रीम से बढ़ कर 4 आइसक्रीम हो जाती है। प्रतिशत विधि द्वारा माँग की लोच ज्ञात करें।

3. बिन्दु लोच विधि या ग्राफिक विधि या ज्यामितीय विधि (Point Elasticity Method or Graphic Method or Geometric Method)

इस विधि का प्रयोग किसी रेखा या माँग वक्र के किसी विशेष बिन्दु को माँग की लोच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस विधि की निम्न चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है इस चित्र में MN वक्र सीधी रेखा के रूप में दिखाई गई है। इस रेखा के किसी भी बिन्दु की माँग की लोच मालूम करने के लिए उस बिन्दु से रेखा के नीचे हिस्से को उरा बिन्दु से ऊपर के हिस्से द्वारा भाग कर दिया जाता है।

$$\text{माँग की लोच} = \frac{\text{रेखा का बिन्दु से निचला भाग}}{\text{रेखा का बिन्दु से ऊपर का भाग}}$$

$$\text{या, Elasticity of Demand} = \frac{\text{Lower Segment}}{\text{Upper Segment}}$$

इस विधि से मालूम की गई एक माँग रेखा के विभिन्न बिन्दुओं पर माँग की लोच को आगे चित्र से ज्ञात होता है।

(i) माँग की इकाई लोच (Unitary) : यदि रेखा चित्र 5.9 में P बिन्दु रेखा के मध्य में स्थित है तो PN = PM इसलिए P बिन्दु पर

$$\text{माँग की लोच} = \frac{PN}{PM} = 1 \text{ होगी।}$$

(ii) इकाई से अधिक या लोचदार माँग (More than Unitary) : यदि A बिन्दु मध्य बिन्दु P से ऊपर है तो निचला हिस्सा AN ऊपर के हिस्से AM से अधिक होगा। इसलिए A बिन्दु पर

$$\text{माँग की लोच} \frac{AN}{AM} > 1 \text{ होगी।}$$


(iii) इकाई से कम या बेलोचदार माँग (Less than Unitary) : यदि B बिन्दु P से नीचे है तो निचला हिस्सा BN ऊपर के हिस्से BM से कम होगा। इसलिए B बिन्दु पर माँग की लोच $\frac{BN}{BM} < 1$ होगी।

प्रश्न :

1. माँग की लोच मापने का क्या सूत्र है ?

2. कीमत (Rs.)	माँग (इकाइयों)	कुल व्यय (Rs.)
5	4	20
4	5	20

माँग की कीमत लोच क्या होगी ?



रेखा चित्र : 5.9

पूर्ति (Supply)

अर्थ

उत्पादन के क्षेत्र में पूर्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्ति की मात्रा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर निर्भर करती है। वस्तुओं को पूर्ति माँग की संतुष्टि के लिए होती है। उत्पादक माँग को ध्यान में रखकर ही वस्तुओं का उत्पादन करता है। बिना वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के हमारी माँग तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं हो सकती। उपभोग का सम्बन्ध माँग से है, पर उत्पादन का संबंध पूर्ति से है।

पूर्ति का अर्थ या अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से होता है, जिसे विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर बेचने को तैयार होता है। मूल्य और पूर्ति का बहुत गहरा संबंध है। जिस प्रकार वस्तु का मूल्य उसकी माँग को प्रभावित करता है, उसी प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में वस्तु का मूल्य उसकी पूर्ति को प्रभावित करता है। यदि वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो उत्पादक पूर्ति की मात्रा को बढ़ा देगा। दूसरी ओर, यदि मूल्य में कमी हो जाए तो उत्पादक पूर्ति की मात्रा भी कम कर देगा। मूल्य के द्वारा ही उत्पादक का लाभ प्रभावित होता है।

$$\text{लाभ} = \text{मूल्य} - \text{लागत}$$

इसलिए मूल्य, लागत से जितना अधिक होगा, उत्पादक का लाभ भी बढ़ेगा। परिणामस्वरूप, ऊँचे मूल्य पर, लाभ की आशा में वस्तु की पूर्ति को बढ़ाना लाभप्रद होगा। लाभ की आशा में ही उत्पादक पूर्ति को बढ़ाता है यदि लाभ की आशा कम हो जाए (जो मूल्य में ह्रास होने पर सम्भव है) तो पूर्ति की मात्रा बाजार में घट जाएगी।

पूर्ति का संबंध व्यक्ति, स्थान और समय से भी है। एक दिए हुए समय में, एक निश्चित मूल्य पर उत्पादक एक निश्चित मात्रा में किसी वस्तु की पूर्ति करने को तत्पर होता है। यदि यह कहा जाए कि एक व्यापारी 100 रुपये किचटल की दर से 40 किचटल चावल की पूर्ति करने को तैयार है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि विशेष अवस्था में ही व्यापारी पैसा करेगा। यदि समय या परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाय, तो उससे पूर्ति भी प्रभावित होगी। जिस प्रकार माँग का स्वरूप बदलता है, उसी प्रकार पूर्ति का स्वरूप भी परिवर्तित हो सकता है।

पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर (Distinction between Stock and Supply)

आम बोल चाल की भाषा में पूर्ति तथा स्टॉक शब्द का प्रयोग एक ही अर्थों में किया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में इन शब्दों के विभिन्न अर्थ होते हैं। किसी वस्तु का स्टॉक उस वस्तु की कुल मात्रा को बतलाता है जो किसी समय में बाजार में विक्रेता के पास मौजूद होती है। जबकि पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो कि विक्रेता एक निश्चित समय अवधि में तथा निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार रहता है मान लीजिए मण्डी में जनवरी, 2005 में गेहूँ का स्टॉक 100 टन है तथा कीमत 500 रुपये/किचटल है। अगर इस कीमत पर विक्रेता 10 टन गेहूँ बेचने को तैयार है तो गेहूँ की पूर्ति केवल 10 टन होगी। इसी प्रकार यदि कीमत 600 रुपये प्रति किचटल हो जाने पर विक्रेता 50 टन गेहूँ बेचने को तैयार हो तो पूर्ति केवल 50 टन होगी।

पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors Affecting Supply)

बहुत से ऐसे तत्व हैं जो पूर्ति को प्रभावित कर उसमें परिवर्तन लाते हैं। पूर्ति को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं -

1. वस्तु का मूल्य

पूर्ति एवं मूल्य में गहरा संबंध है तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाला यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। पूर्ति एवं मूल्य के संबंध को आगे पूर्ति के नियम में चर्चा करेंगे। मूल्य में वृद्धि होने पर पूर्ति में वृद्धि होती है तथा मूल्य में कमी होने पर पूर्ति में कमी होती है।

2. वस्तु की माँग

वस्तु की माँग भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है यदि किसी वस्तु की माँग में लगातार वृद्धि हो तो उसे पूरा करने के लिए उत्पादक उत्पादन में वृद्धि करते हैं जिससे वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। दूसरी ओर, वस्तु की माँग में कमी होने से प्रायः पूर्ति में कमी होने की प्रवृत्ति पायी जाती है।

3. उत्पादन का पैमाना

उत्पादन का पैमाना भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है। यदि उत्पादन बड़े पैमाना पर हो रहा हो तो पूर्ति की मात्रा में आवश्यकतानुसार तेजी से वृद्धि की जा सकती है। दूसरी ओर, उत्पादन का पैमाना छोटा होने पर पूर्ति में रीघ वृद्धि नहीं की जा सकती।

4. उत्पत्ति के साधनों की उपलब्धि एवं उनकी कीमत

वस्तु की पूर्ति उत्पत्ति के साधनों की उपलब्धि एवं उनकी कीमत को प्रभावित होती है। यदि भूमि, श्रम, पूँजी आसानी से उपलब्ध हो तो पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है अन्यथा पूर्ति में वृद्धि करने में कठिनाई होती है। यह भी आवश्यक है कि साधन सस्ते एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। यदि साधन महंगे होंगे तो पूर्ति में वृद्धि नहीं की जा सकती है।

पूर्ति का नियम (Law of Supply)


पूर्ति के नियम से ज्ञात होता है कि 'अन्य बातें समान रहने पर' किसी वस्तु की कीमत तथा पूर्ति में धनात्मक संबंध (Positive Relationship) है। पूर्ति का नियम यह बतलाता है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ती है तथा मूल्य घटने पर उसकी पूर्ति घट जाती है।

पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होने के कारण केवल पूर्ति के विस्तार तथा संकुचन की व्याख्या करता है। यह पूर्ति की वृद्धि या कमी की व्याख्या नहीं करता।

पूर्ति की नियम की व्याख्या

इस नियम की व्याख्या निम्नलिखित तालिका तथा चित्र की सहायता से की जा सकती है :

मूल्य (₹) प्रति इकाई	वस्तु की पूर्ति (किलो में)
10 रुपए	1 किलो
20 रुपए	2 किलो
40 रुपए	6 किलो
60 रुपए	10 किलो
80 रुपए	15 किलो
100 रुपए	20 किलो



रेखा चित्र : 5.10

इस तालिका से स्पष्ट है कि जब वस्तु का मूल्य 10 रुपए से बढ़कर 100 रुपए हो जाती है तो वस्तु की पूर्ति 1 किलो से बढ़कर 20 किलो हो जाती है।

चित्र में पूर्ति वक्र **SS** के ऊपर की ओर ढलान से ज्ञात होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ रही है। इस चित्र में **OX** रेखा पर पूर्ति की मात्रा तथा **OY** रेखा पर वस्तु के मूल्य को दिखाया गया है जब वस्तु का मूल्य **OP** है तो पूर्ति की मात्रा **OQ** है लेकिन जब मूल्य **OP** से बढ़कर **OP'** हो जाता है तो पूर्ति भी **OQ** से **OQ'** हो जाती है। इसी प्रकार जब मूल्य **OP** से घटकर **OP''** हो जाता है तो पूर्ति भी **OQ** से घटकर **OQ''** हो जाती है।

लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों होता है। दूसरे शब्दों में, पूर्ति का नियम लागू होने का कारण क्या है। किसी वस्तु की पूर्ति उत्पादकों द्वारा की जाती है। उत्पादक सर्वदा यही प्रयत्न करता है कि उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। अतः मूल्य बढ़ने पर उत्पादक पूर्ति को इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें अधिक मुनाफा होता है तथा मूल्य घटने पर मुनाफे में कमी होने के कारण वे पूर्ति को घटा देते हैं। पूर्ति के नियम के लागू होने का एक कारण और है। मूल्य बढ़ाने से जब मुनाफा बढ़ता है तो नए-नए उत्पादक भी व्यवसाय में मुनाफा कमाने के लिए प्रवेश कर जाते हैं जो वस्तु के उत्पादन को बढ़ाकर उसकी पूर्ति को बढ़ा देते हैं। दूसरी ओर मूल्य और मुनाफे में कमी होने से कुछ उत्पादक व्यवसाय को छोड़कर चले जाते हैं जिससे उत्पादन और पूर्ति में कमी होती है।

मान्यताएँ

1. उत्पादन के साधनों की पूर्ति तथा कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
2. उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
3. फर्म के उद्देश्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
4. अन्य वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
5. भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए।

पूर्ति के नियम के अपवाद तथा सीमाएँ

माँग के नियम के समान पूर्ति के नियम के भी कुछ अपवाद हैं:

1. **मन्दी के समय में** : जब बाजार में मन्दी की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, तो व्यापारी गिरते हुए मूल्य पर भी वस्तुएँ बेचना चाहता है तथा माल निकाल देना चाहता है।
2. **प्रतियोगिता के कारण** : जब बाजार में प्रतियोगिता बढ़ जाती है, तब बाजार से अपने प्रतिद्वन्दी को निकाल बाहर करने के विचार से भी कोई उत्पादक बहुत कम मूल्य पर अधिक-से-अधिक मात्रा में अपनी वस्तु की खपत बढ़ाना चाहता है जिससे बाजार पर उसका अधिकार हो जाए। प्रतिद्वन्दी के निकल जाने के बाद उसका स्थान सुरक्षित हो जाता है।
3. **जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में** : जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को अधिक समय तक स्टॉक में रखना संभव नहीं है इस कारण वेसी वस्तुओं को निरिधत अवधि में ही खपा देना आवश्यक है। इसलिए गिरते हुए मूल्य पर भी उत्पादक इन वस्तुओं, जैसे- दूध, सब्जी, मछली आदि की पूर्ति करेगा।

4. भविष्य में मूल्य में गिरावट आने की आशंका होने पर : यदि भविष्य में मूल्य में कमी आने की आशंका हो तो उत्पादक गिरते हुए मूल्य पर भी अधिक मात्रा में वस्तुएं बेचना पसंद करेगा। पर ऐसा वह विशेष अवस्थाओं और विशेष वस्तुओं के ही संबंध में करता है। बाजार की स्थिति का पूरी तौर से अध्ययन कर लेने के बाद ही वह ऐसा निर्णय लेता है।

अभ्यास

1. नीचे माँग के लिए आवश्यक पाँच तत्वों को लिखिए :

- (क)
- (ख)
- (ग)
- (घ)
- (ङ)

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

- (क) किसी वस्तु के मूल्य में होते से उसकी माँग में वृद्धि होती है।
- (ख) मूल्य में कमी होने से क्रेताओं की संख्या में होती है।
- (ग) जिन वस्तुओं की हमें आदत पड़ जाती है उनकी माँग की लोच होती है।
- (घ) किसी वस्तु के मूल्य वृद्धि होने से उसकी पूर्ति में होती है।
- (ङ) जब किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो उत्पादको का मुनाफा है।

3. लघु उत्तरीय प्रश्न

- (क) माँग की परिभाषा दें।
- (ख) माँग किन तत्वों द्वारा निर्धारित होती है ?
- (ग) पूर्ति से आप क्या समझते हैं ?

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

- (क) माँग के नियम की सोदाहरण व्याख्या करें। इस नियम की क्या सीमाएँ हैं ?
- (ख) लोचदार माँग तथा बेलोचदार माँग में अंतर स्पष्ट करें।
- (ग) माँग की लोच मापने की कौन-से विधि को आप अच्छा समझते हैं ?
- (घ) पूर्ति के नियम का सोदाहरण व्याख्या करें।

मुद्रा एवं बैंकिंग

अंग्रेजी भाषा का शब्द 'Money' लैटिन भाषा के शब्द 'Moneta' से बना है। मोनेटा देवी जूनो (Goddess Juno) का उपनाम है जो प्राचीन रोम में स्वर्ग की देवी मानी जाती है। वहाँ देवी के मन्दिर में सिक्कों की बूलाई की जाती थी। हिन्दी में 'मुद्रा' शब्द का प्रयोग मुहर या चिह्न के अर्थ में भी किया जाता है। वर्तमान समय में मुद्रा से अभिप्राय राज्य द्वारा जारी उस संकेत या चिह्न से है जिसके द्वारा देश में संपूर्ण लेन-देन संपन्न होता है।

मुद्रा का विकास

विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली प्रचलित थी जिसे वस्तु विनिमय अथवा अदला-बदली प्रणाली (Barter System) कहा जाता था। इस प्रणाली में किसी वस्तु या सेवा के बदले अन्य किसी वस्तु या सेवा में लेन-देन किया जाता था। इसके लिए पशुओं (गाय, घोड़ा, बकरी आदि) तथा वस्तुओं (दूध, खाद्यान्न, रत्न, सोना, चाँदी, कांस्य, ताँबा आदि) का खरीद विक्री के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे-जैसे सभ्यताएँ विकसित होती गयीं, वस्तु विनिमय प्रणाली अपनी कठिनाइयों और असुविधाओं के कारण अनुपयुक्त सिद्ध होने लगी। वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों जैसे-आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु-विभाजन में कठिनाई, मूल्य हस्तांतरण में कठिनाई, भविष्य में भुगतान की कठिनाई आदि प्रमुख थे। वस्तु विनिमय प्रणाली की इन्हीं कठिनाइयों एवं उसमें व्याप्त असुविधा ने 'मुद्रा' को जन्म दिया।

आज के युग में 'मुद्रा' विनिमय का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। हमारे व्यवहारिक जीवन की समस्त आर्थिक क्रियाएँ मुद्रा पर आधारित हैं। आज धातु के सिक्के, पत्र-मुद्रा, साख मुद्रा (चेक, ड्राफ्ट, ट्रेजरी चालान आदि) तथा प्लास्टिक मुद्रा (डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड) आदि के मुद्रा सर्वाधिक प्रचलित रूप हैं।

अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन व यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो की तरह भारतीय रुपये की भी अपना अलग पहचान चिह्न निर्धारित कर लिया गया है। देवनागरी के 'र' एवं रोमन अक्षर 'आर' से मिलते-जुलते प्रतीक चिह्न '₹' को रुपये के Symbol के रूप में सरकार ने 15 जुलाई 2010 को मान्यता प्रदान कर दी। अभी हाल ही में इसे कम्प्यूटर की 'Keyboard' पर भी जगह दी गयी है। इस प्रकार भारतीय रुपया विश्व की पाँचवीं ऐसी मुद्रा है जिसकी अपनी पहचान चिह्न है। इसकी रचना I.I.T मुंबई के डी. उदय कुमार ने की है।

देश	मुद्रा	प्रतीक चिह्न
अमेरिका	डॉलर	\$
ग्रेट ब्रिटेन	पाउंड	£
जापान	येन	¥
यूरोपीय संघ	यूरो	€
भारत	रुपया	₹

मुद्रा की परिभाषाएँ (Definitions of Money)

सामान्य व्यक्तियों के लिए मुद्रा का अर्थ भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड आदि हैं किन्तु अर्थशास्त्र में मुद्रा का अर्थ ज्यादा व्यापक है। इसे मुद्रा की परिभाषाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गयी मुद्रा की परिभाषाओं को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है -

1. वर्णनात्मक अथवा कार्यवाहक परिभाषाएँ
2. वैधानिक परिभाषाएँ
3. सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएँ

1. वर्णनात्मक अथवा कार्यवाहक परिभाषाएँ (Descriptive or Functional Definitions)

इस वर्ग की परिभाषाएँ मुद्रा के कार्यों का वर्णन करती हैं। इस श्रेणी की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा हार्टले विदर्स ने दी है।

हार्टले विदर्स (Hartley withers) के अनुसार, "मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।" **"Money is what money does"**

कोलबोर्न (Coulborn) के अनुसार, "मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है।" **"Money may be defined as the means of Valuation and Payment"**.

2. वैधानिक परिभाषाएँ (Legal Definitions)

इस वर्ग में वे परिभाषाएँ आती हैं, जो वैधानिक मान्यताओं पर आधारित हैं।

नैप (Knapp) के अनुसार, "कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा कहलाती है।" **"Any thing which is declared by state as money, becomes money"**.

3. सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएँ (General Acceptability Definitions)

इस वर्ग में वे परिभाषाएँ आती हैं जो सामान्य स्वीकृति अथवा सर्वग्राह्यता पर बल देती हैं।

सेलिंगमैन (Sellingman) के अनुसार, "मुद्रा वह-वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है।" **"Money is one thing that possesses general acceptability."**


कीन्स (Keynes) के अनुसार, "मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण तथा मूल्य सम्बन्धी भुगतानों को निबटारा जाता है तथा जिसके रूप में सामान्य क्रय-शक्ति का संचय किया जाता है।" **"Money is that by delivery of which debt contracts and price contracts are discharged and in the shape of which a store of general purchasing power is held."**

मुद्रा की उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात् इसकी उचित परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है - मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन, स्थगित भुगतान के मान तथा मूल्य के संचय के माध्यम के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। इस प्रकार, मनुष्य के व्यवहारिक जीवन के समस्त आर्थिक कार्य मुद्रा द्वारा किया जाता है। अब मुद्रा के कार्यों को हम विस्तार से जानेंगे।

मुद्रा के कार्य (Functions of Money)

आधुनिक जीवन में मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अभाव में कोई भी अर्थव्यवस्था अपने कार्यों को सामान्य रूप से संचालित नहीं कर सकती। प्रायः सारी आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य मुद्रा के रूप में आय या लाभ अर्जित करना होता है। मुद्रा की सहायता से ही हम अपनी आवश्यकतानुसार वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। वस्तुतः मानव जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो मुद्रा द्वारा प्रभावित नहीं होता हो। स्पष्टतः मुद्रा के कार्य काफी विस्तृत हैं। इसके विभिन्न कार्यों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है -

मुद्रा के कार्य



यद्यपि उपरोक्त सारे कार्य मुद्रा द्वारा संचालित किए जाते हैं किन्तु इसके चार प्रमुख कार्यों को अंग्रेजी की दो पक्तियों द्वारा खूबसूरती से व्यक्त किया जाता है।

"Money is a Matter of functions four"

A medium, a measure, a standard, a store"

मुद्रा के हैं चार कार्य महान्,

माध्यम, मापन, संचय, भुगतान।

प्राथमिक कार्य (Primary Functions)

इसके तहत ये कार्य सम्मिलित होते हैं जो मुद्रा ने सदैव सम्पन्न किए हैं तथा आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। इसलिए इन्हें आधारभूत (Fundamental) कार्य अथवा आवश्यक (Essential) कार्य भी कहा जाता है।

1. **विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange)** : यह मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमारा संपूर्ण आर्थिक जीवन विनिमय पर ही आधारित है। मुद्रा के आविष्कार से पूर्व वस्तु विनिमय का प्रचलन था। लेकिन, इसके अंतर्गत वस्तुओं का आदान-प्रदान तभी किया जा सकता है, जब दो व्यक्तियों की पारस्परिक आवश्यकताओं में समानता हो। मुद्रा के आविष्कार के कारण अब आवश्यकताओं के दोहरे संयोग (आदान-प्रदान) के अभाव की कठिनाइयों उत्पन्न नहीं होती। अब वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान-प्रदान (क्रय-विक्रय) में मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करती है। आधुनिक युग में सम्पूर्ण व्यापारिक कार्य मुद्रा के माध्यम से ही होता है।

दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि एक मौद्रिक प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। यही कारण है कि इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। चूंकि मुद्रा सर्वमान्य एवं विधिप्राहय (Legal Tender) भी होती है इसीलिए मुद्रा को स्वीकार

करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती। इसने विनिमय के कार्य को आसान बना दिया है। विनिमय के माध्यम के रूप में यह हमें निम्न प्रकार से मदद करती है -

- (i) इसने वस्तु-विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से हमें निजात दिलायी।
- (ii) मुद्रा-विनिमय ने व्यापार को विस्तार दिया है। आज इसके कई रूप प्रचलित हैं, जैसे - कागजी मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, ई-व्यवसाय आदि। इससे समय और श्रम की बचत भी होती है।
- (iii) विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के आगमन ने उपभोक्ताओं को स्वतंत्रता प्रदान की है।
- (iv) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सर्व सुलभ बना दिया है।

2. **मूल्य का मापक (Measure of value)** : मुद्रा का दूसरा कार्य यह है कि यह मूल्य के मापन का कार्य करती है। वस्तु विनिमय में मूल्य का कोई सामान्य मापदण्ड नहीं था। परिणामस्वरूप विनिमय का मूल्य निश्चित करने में बहुत अधिक कठिनाई आती थी। जबकि वर्तमान समय में प्रत्येक वस्तु या सेवा का मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है। यही कारण है कि मूल्य को मापने के लिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं जिस कारण आर्थिक गणना का कार्य काफी सरल हो गया है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार हम पानी को मापने के लिए लीटर, बिजली को मापने के लिए किलोवाट, तापमान मापने के लिए डिग्री सेल्सियस, तेल मापने के लिए किलोग्राम आदि का प्रयोग करते हैं ठीक उसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने के लिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं।

सहायक अथवा गौण कार्य (Secondary Functions)

मुद्रा के गौण कार्य के अन्तर्गत वे कार्य आते हैं जो प्राथमिक कार्यों की सहायता के लिए किये जाते हैं। इसीलिए इन्हें सहायक या गौण कार्य कहा जाता है। मुद्रा के तीन गौण कार्य निम्न प्रकार के हैं -

1. **स्थगित भुगतान का मान (Standard of Deferred Payments)** : व्यापार के अन्तर्गत जिन लेन-देनों का भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है, तो उसे स्थगित भुगतान कहा जाता है। जिसके तहत मुद्रा में अन्य वस्तुओं की तुलना में इसका मूल्य स्थिर रहता है। इसमें सामान्य स्वीकृति (General Acceptability) का गुण होने के कारण इसकी आवश्यकता हर समय रहती है। साथ ही साथ वस्तुओं की तुलना में यह अधिक टिकाऊ (Durable) होता है।
2. **मूल्य का संघय (Store of Value)** : मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह अपनी वर्तमान आय में से कुछ भाग बचाकर भविष्य के लिए संचित करके रखना चाहता है, ताकि वह अपनी भावी आवश्यकताओं को सरलता पूर्वक पूरा कर सके। मुद्रा में यह गुण विद्यमान है क्योंकि उसकी उपयोगिता कभी नष्ट नहीं होती है। मुद्रा के संघय में वस्तु की तुलना में कम स्थान का उपयोग होता है। वर्तमान युग में मुद्रा के इस कार्य का विशेष महत्व है, क्योंकि धन के संघय को संभव बनाकर मुद्रा पूँजी के संघय को संभव बनाती है। जो किसी भी देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास की आधारशिला है।
3. **मूल्य का हस्तान्तरण (Transfer of Value)** : मुद्रा विनिमय का एक तरल साधन है। मुद्रा द्वारा मूल्य का हस्तान्तरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलतापूर्वक किया जा सकता है। सामान्य स्वीकृति का गुण होने के कारण मुद्रा मूल्य के हस्तान्तरण का सर्वोत्तम साधन बन गयी है।

आकस्मिक कार्य (Contingent Functions)

प्राथमिक तथा गौण कार्यों के अतिरिक्त मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य भी हैं। ये कार्य निम्नांकित हैं -

- 1. राष्ट्रीय आय का वितरण (Distribution of National Income):** अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कार्य सामूहिक रूप से किया जाता है। इस सामूहिक उत्पादन में उत्पादन के विभिन्न साधन - भूमि, श्रम, पूँजी, संगठन तथा साहस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्पादन के इन सभी साधनों को उनके योगदान के अनुरूप उचित पारिश्रमिक दिया जाना आवश्यक है और उनके पारिश्रमिक का आकलन मुद्रा के रूप में ही करते हैं। मुद्रा के होने से ही समस्त राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में ही की जाती है।
- 2. साख का आधार (Basis of Credit):** आधुनिक अर्थव्यवस्था में साख की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज साख पत्रों का उपयोग मुद्रा की ही भाँति किया जाता है। नकद कोषों के आधार पर ही बैंक साख का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि आधुनिक युग में साख को व्यवसाय का प्राण माना गया है।
- 3. पूँजी की तरलता में वृद्धि (Increase in Liquidity of Capital):** मुद्रा एक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति है, जिसके तहत सारी सम्पत्तियों का लेखा-जोखा मुद्रा में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप - भूमि, मकान, मशीनरी, स्टॉक, शेयर, फर्नीचर आदि सभी मुद्रा से कनी भी खरीदी या बेची जा सकती है। अतः यह मुद्रा ही है जो सब प्रकार की सम्पत्ति को तरलता प्रदान करती है।
मुद्रा के कार्यों को सही ढंग से संचालित करने में बैंक की अहम भूमिका होती है। मुद्रा का बैंक के साथ परस्पर संबंध होने के कारण ही लोगों के समस्त वित्तीय कार्य सही तरीके से संभव हो पाते हैं।

बैंक (Bank)

'बैंक' शब्द का प्रयोग काफी समय से होता आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि यह इटालियन भाषा के शब्द बैंको (Banco) से बना है जो फ्रेंच भाषा के 'Banque' से बदलता हुआ अंग्रेजी में 'Bank' हो गया है। 'Banco' का अर्थ बैंक होता है। बैंकिंग इटली में लोग बैंकों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन का काम करते थे। अतः बैंक का प्रयोग इसी संदर्भ में किया जाने लगा। सबसे पहले सन् 1157 ई० में इटली के शहर वीनस में बैंक ऑफ वीनस की स्थापना हुई थी। आधुनिक ढंग के बैंकों का विकास भी यूरोप से ही प्रारम्भ हुआ।

बैंक की परिभाषाएँ (Definitions of Bank)

सामान्य व्यक्तियों के लिए बैंक का अर्थ एक ऐसी वित्तीय संस्था से है जहाँ 'मुद्रा' को जमा एवं उसकी निकासी का कार्य किया जाता हो। किन्तु अर्थशास्त्र में बैंक का अर्थ ज्यादा व्यापक है। बैंक को अनेक विद्वानों ने विभिन्न तरीके से परिभाषित किया है। इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार हैं -

किनले (Kinley) के अनुसार, "बैंक वह संस्था है जो आवश्यकता पड़ने पर उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर लोगों को उधार देती है तथा जिन लोगों को धन की आवश्यकता नहीं रहती वे अपने अतिरिक्त धन को उसके पास जमा करते हैं।"

क्राउथर (Crowther) के अनुसार, "बैंक अपने तथा अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसायी होता है, अर्थात् बैंकर का व्यवसाय अन्य लोगों से ऋण लेना और बदले में अपने ऋण देना और इस प्रकार मुद्रा का सृजन करना है।"

डॉ० एच.एल. हार्ट (Dr. H.L. Hart) के अनुसार, "बैंक वह संस्था है जो अपने साधारण व्यापार के व्यवहार में धन प्राप्त करता है तथा उसे उन व्यक्तियों को उनके चेकों (Cheques) का आदर करके लौटा देता है जिनसे वह राशि प्राप्त हुई है, अथवा जिनके खातों में वह राशि जमा की गयी है।"

बैंकिंग कम्पनी अधिनियम, 1949 के अनुसार, "बैंक या बैंकिंग कम्पनी वह संस्था है जो जनता को उधार देने के लिए या इसका विनियोग करने के लिए मुद्रा को जमा (Deposits) पर प्राप्त करती है तथा जो इसको मांगने पर बैंक, ड्राफ्ट आदेश अथवा अन्य किसी प्रकार से भुगतान करती है।"

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो ग्राहकों एवं सामान्य जनता की धनराशि को जमा करने, उन्हें ऋण देने और अन्य सेवाएँ प्रदान करने का कार्य करती है।

इन सभी के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि बैंक वह संस्था है जो धन का आदान-प्रदान करती है। बैंक ऐसे व्यक्तियों से धन जमा कर लेती है जिनके पास वह अतिरिक्त रूप में है। इसके लिये बैंक उन्हें ब्याज (Interest) भी देती है। बैंक उस धन को एकत्र कर उन व्यक्तियों को उधार देती है जो उस धन को अधिक उपयोगी कार्य में लगा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से कुछ अधिक ब्याज वसूल करती है रुपया उधार लेने व देने में जो ब्याज का अन्तर होता है, वही बैंक का लाभ होता है अर्थात् बैंक कम ब्याज पर लोगों से धन जमा कर प्राप्त करती है और अधिक ब्याज पर उन्हें उधार देती है। यह ब्याज का अन्तर ही बैंक का लाभ होता है। इस प्रकार बैंक एक साधारण दुकान की भाँति होती है जो रुपये-पैसे का क्रय-विक्रय करती है।

बैंकों के प्रकार (Types of Bank)

आधुनिक युग विशिष्टीकरण का युग माना जाता है। छोटे से छोटे कार्यों के लिये भी विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। बैंकिंग कारोबार में इन विशिष्टीकरण का बहुत बड़ा योगदान है। विभिन्न प्रकार के आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के बैंक कार्य कर रहे हैं। कार्यों की विभिन्नता के आधार पर बैंकों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है -

1. व्यापारिक या व्यावसायिक बैंक (Commercial Banks)

व्यापारिक बैंक से आशय ऐसे बैंक से है जो जनता से विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर (जैसे- बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता, आवर्ति जमा खाता) धन जमा करते हैं और जमा धन से व्यापारियों, उद्योगपतियों व अन्य लोगों को अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं। बैंक जमा राशि पर कम दर से ब्याज देते हैं और दिये गये ऋणों पर अधिक दर से ब्याज वसूल करते हैं। ब्याज का अन्तर ही इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के प्रति अन्य सेवाएँ प्रदान करते हैं, उनके बदले यह शुल्क प्राप्त करते हैं। आजकल सार्वजनिक, निजी तथा विदेशी बैंक भी व्यवसायिक बैंक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Bank) : इन बैंकों का स्वामित्व, प्रबन्ध और नियन्त्रण सरकार के पास होता है। सरकार के अधीन होने के नाते इन्हें सरकार की नीतियों के अनुसार सामाजिक उद्देश्यों के लिए वित्तीय सुविधाएँ भी प्रदान करनी पड़ती है। भारत के प्रमुख व्यापारिक बैंक जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनमें स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ोदा, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक आदि प्रमुख हैं।

(ii) निजी क्षेत्र के बैंक (Private Sector Bank) : ये बैंक निजी स्वामियों के स्वामित्व, प्रबन्ध एवं नियन्त्रण में होते हैं। ये बैंक बाजार की शक्तियों के अनुसार अपनी नीति निर्धारण में स्वतंत्र होते हैं। Axis Bank, ICICI Bank, IndusInd Bank एवं HDFC Bank आदि निजी क्षेत्र के बैंक हैं।

(iii) विदेशी बैंक (Foreign Bank) : विदेशी बैंक का स्वामित्व एवं प्रबन्ध विदेशियों के पास होता है। हमारी उदासीकरण की नीति के कारण ही इन विदेशी बैंकों का आगमन हुआ। प्रमुख विदेशी बैंक, जो भारत में कार्य कर रहे हैं - Yes Bank, City Bank, Bank of America, Standard Chartered Bank, American Express Bank एवं HSBC Bank आदि हैं।

2. केंद्रीय बैंक (Central Bank)

केंद्रीय बैंक से आशय ऐसे बैंक से है जो अपने देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग संगठनों की शीर्षस्थ संस्था (Apex Body) होता है। यह देश का सबसे प्रमुख बैंक होता है। आज प्रायः सभी देशों का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। इसे बैंकों का बैंक (Banker's

Bank) भी कहा जाता है। भारत का केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) है।

3. सहकारी बैंक (Co-operative Bank)

इस बैंक का प्रमुख कार्य किसानों की अल्पकालीन आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। भारतीय किसानों को महाजन के घंगुल से छुड़ाने में इन बैंकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त सहकारी बैंक देश में सहकारी भावना को जगृत करने का प्रयत्न भी करते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में इन बैंकों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है।

4. औद्योगिक बैंक (Industrial Bank)

ये बैंक औद्योगिक उपकरणों के निर्माण, उनका विस्तार, बड़े-बड़े उपकरणों तथा मशीनों की खरीद तथा नवीनीकरण आदि के लिए बड़ी मात्रा में दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त निगम भारतीय उद्योगों को दीर्घकाल के लिए ऋण प्रदान करता है।

5. विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Bank)

विदेशी व्यापार के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना होता है। यह एक ऐसी संस्था है जो विभिन्न देशों की मुद्रा का पारस्परिक रूप से विनिमय संभव कराती है, इसे ही विदेशी विनिमय बैंक के नाम से जाना जाता है ये बैंक प्रायः देश के बन्दरगाहों अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होते हैं तथा वहीं से अपना कारोबार करते हैं। भारत में वाणिज्यिक बैंक भी विदेशी विनिमय का व्यवसाय करते हैं।

6. भूमि विकास बैंक (Land Development Bank)

इनकी स्थापना सर्वप्रथम 1882 ई0 को फ्रांस में हुई थी। ये बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करते हैं। इनका मुख्य कार्य किसानों की भूमि को गिरवी रखकर उन्हें नई भूमि खरीदने तथा उसमें स्थायी सुधार करने आदि के लिए ऋण देना है। भारत में पहले इन्हें भूमि बंधक बैंक (Land Mortgage Bank) कहा जाता था। आजकल इन्हें भूमि विकास बैंक (Land Development of Bank : LDB) कहा जाने लगा है।

7. निर्यात-आयात बैंक (Export Import Bank of India) EXIM Bank

इस बैंक का प्रमुख कार्य निर्यात-आयात में लगे व्यवसायियों को सहायता प्रदान करना है। यह बैंक वित्तीय संस्थाओं एवं वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त (Refinancing) की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह बैंक विदेशों में संयुक्त उपकरणों की स्थापना के लिए तथा मशीनों एवं अन्य उपकरणों को आयात-निर्यात करने के लिए भी ऋण प्रदान करता है। इससे साध-साध यह बैंक निर्यात बिलों को क्रय करने व कटौती करने का भी कार्य करता है। भारत में 1 जनवरी 1982 को आयात-निर्यात बैंक की स्थापना की गयी थी। इसका मुख्यालय मुम्बई में है।

8. कृषि बैंक (Agricultural Banks)

कृषि बैंकों से आशय उन बैंकों से है जो कृषि कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। खाद, बीज और खेती के छोटे-बड़े उपकरण आदि की खरीद करने के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं तथा ट्रेक्टर, बड़े मशीन आदि को खरीदने के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। भारत में 1975 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गये हैं और सर्वोच्च संस्था के रूप में जुलाई 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की स्थापना की गयी है।


व्यापारिक या व्यवसायिक बैंकों के कार्य (Functions of Commercial Banks)

ये बैंक सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली का एक अंग होते हैं जो केन्द्रीय बैंक के नियन्त्रण में कार्य करते हैं। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये बैंक प्रायः आम जनता अथवा ग्राहकों के लिये होते हैं, और इनका स्वामित्व सरकारी या गैर-सरकारी हो सकता है। इसलिए इसे जनता का बैंकर कहा जाता है। प्रायः यह देखा जाता है कि अनेक व्यापारिक बैंक परस्पर प्रतियोगिता करते हैं। अर्थात् हम यह कह सकते हैं कि व्यापारिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो लोगों को रुपये को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करते हैं और उनको उपभोग अथवा निवेश के लिए उधार देते हैं।



व्यवसायिक बैंकों के कार्य निम्न प्रकार के हैं -

व्यावसायिक बैंकों के कार्य



1. जमा स्वीकार करना (Accepting Deposits)

व्यापारिक बैंक जनता के धन को जमा करता है। व्यक्ति अपनी सुविधा और शक्ति के अनुसार निम्नलिखित खातों में रुपये जमा कर सकते हैं -

(i) **सावधि खाता (Fixed Account)** : इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिये रुपया जमा किया जाता है। जमाकर्ता को जमा की रकम की रसीद दे दी जाती है। इसमें जमाकर्ता का नाम, जमा की राशि, ब्याज की दर तथा जमा की अवधि लिखी होती है। यह रसीद हस्तांतरणीय (Transferable) नहीं होती। यदि जमाकर्ता को अपनी रकम की आवश्यकता अवधि पूर्ण होने से पहले पड़ जाती है तो कुछ कटौती या ब्याज (Discount or Interest) काटकर बैंक उसे रकम लौटा देता है। इस खाते पर ब्याज की दर अन्य खातों की तुलना में अधिक होती है। जमा की अवधि जितनी लंबी होती है ब्याज की दर भी उतनी ऊँची होती है। इसका कारण यह है कि बैंक इस रकम को लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं।

(ii) **चालू खाता (Current Account)** : इस खाते में जमाकर्ता जितनी बार चाहे रुपया जमा कर सकता है और कभी भी आवश्यकतानुसार निकाल सकता है। इस खाते का उपयोग साधारणतया व्यापारी वर्ग करते हैं। इन खातों में जमा धन पर बैंक ब्याज नहीं देती है। यदि जमा की रकम एक न्यूनतम आवश्यक राशि से कम होती है तो बैंक द्वारा जमाकर्ता के खाते से सेवा व्यय (Service Charge) के रूप में वसूल कर सकता है।

(iii) **बचत खाता (Saving Account)** : इन खातों की व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए की जाती है जिनकी बचतें छोटी होती हैं और जिन्हें बैंक से अपनी जमा रकम बहुत बार निकालने की आवश्यकता नहीं होती। इस खाते में ब्याज की दर कम होती है। यह खाता प्रायः यतनभोगी, गृहस्थ तथा सामान्य आय वाले व्यक्तियों द्वारा खोला जाता है। बचत खाता के संचालन के लिए खाताधारियों को चेक की सुविधा प्रदान की जाती है।

(iv) **आवृत्ति खाता (Recurring Account)** : इस प्रकार के खाते में जमाकर्ता द्वारा एक निश्चित रकम, निश्चित समय जैसे-12, 24, 36, 60, 120 महीनों के लिए प्रतिमाह जमा करते हैं। यह रकम कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा निर्धारित समय से पहले नहीं निकाली जा सकती है। इस खाते में सावधि खाते की तरह ही अन्य सभी खातों की तुलना में अधिक ब्याज प्राप्त होता है।

2. ऋण देना (Advancing of Loans)

बैंक का दूसरा मुख्य कार्य लोगों को ऋण देना है। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से एक निश्चित राशि नकद कोष में रखकर बाकी रुपया बैंक द्वारा उधार दे दिया जाता है। ये बैंक प्रायः लोगों को उत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं, और उनसे उचित जमानत (Security) की माँग करते हैं। उचित मापदण्डों को पूरा करने के पश्चात् ही लोगों को निम्न प्रकार से ऋण प्रदान करते हैं। ऋण की रकम प्रायः जमानत के मूल्य से कम हुआ करती है।

(i) **नकद साख (Cash Credit)** : इसके अन्तर्गत ऋणी को निश्चित जमानत के आधार पर एक निश्चित राशि निकालने का अधिकार दे दिया जाता है। इस सीमा के अन्दर ही ऋणी आवश्यकतानुसार रुपया निकालता रहता है तथा सुविधानुसार जमा भी करता है। इस अवस्था में बैंक केवल वास्तव में निकाली गई राशि पर ही ब्याज लेता है।

(ii) **अधिविकर्ष (Overdraft)** : बैंक में चालू जमा खाता रखने वाले ग्राहक बैंक से एक समझौते के अनुसार अपनी जमा से अधिक रकम निकालने की अनुमति ले लेते हैं। इस निकाली गई अधिक राशि को ही अधिविकर्ष (Overdraft) कहते हैं। यह सुविधा अल्पकाल के लिए विश्वसनीय ग्राहकों को ही मिलती है। उदाहरण - यदि एक चालू जमा खाता में किसी व्यक्ति के नाम 20,000 रु० जमा है और उसको बैंक 25,000 रु० तक के चेक काटने का अधिकार दे देता है, तो यहाँ 5,000 रु० ओवरड्राफ्ट रकम कहलायेगा।

(iii) **ऋण एवं अग्रिम (Loans & Advances)** : ऋण तथा अग्रिम एक निश्चित धनराशि के रूप में दिये जाते हैं। बैंक ऋणदाता के खाते में ऋण की रकम जमा कर देता है। ऋणदाता उसे अपनी इच्छानुसार कभी भी निकाल सकता है। बैंक केवल स्वीकृत (Allotted) ऋण राशि पर ब्याज लेता है।

(iv) विनिमय पत्रों की कटौती (Discounting of Bills of Exchange) : व्यापारिक बैंक आवश्यकता पड़ने पर अपने ग्राहकों के विनिमय पत्रों की अवधि पूर्ण होने से पहले ही उन विनिमय-पत्रों के आधार पर रुपया उधार देता है। बैंक इनसे बाजार दर पर ब्याज लेता है और विनिमय-पत्रों की अवधि पूर्ण होने पर उनकी धनराशि वसूल कर लेता है।

3. एजेण्ट के रूप में कार्य (Functions as an Agent)

एजेण्ट संबंधी कार्य के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो बैंक अपने ग्राहक के आदेशानुसार उसकी ओर से करता है और इन कार्यों के लिए वह कमीशन (Commission) लेता है जो उसकी आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार के हैं-

(i) विभिन्न मदों का एकत्रीकरण एवं भुगतान (Collection and payments of various items) : व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों की तरफ से धेक, किराया, ब्याज, लाम आदि एकत्रित करने का कार्य करते हैं और ग्राहकों की ओर से करों, बीमा, ब्याज आदि का भुगतान करते हैं।

(ii) प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री (Purchase and sale of securities) : व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए प्रतिभूतियाँ, शेयर, बॉण्ड्स आदि खरीदते हैं। इनके कीमतों की जानकारी भी वे अपने ग्राहकों को समय-समय पर प्रदान करते हैं, और ग्राहकों के आदेशानुसार इन्हें बेचने का कार्य भी करते हैं।

(iii) ट्रस्टी एवं प्रबन्धक (Trustee & Executor) : बैंक अपने ग्राहकों के निर्देशानुसार उनकी सम्पत्ति के ट्रस्टी, सलाहकार एवं प्रबन्धक के रूप में भी कार्य करते हैं।

(iv) विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय (Purchase and sale of Foreign Exchange) : केन्द्रीय बैंक के निर्देशानुसार वे व्यापारिक बैंक विदेशी मुद्राओं (Foreign Currencies) को खरीदते-बेचते हैं। इस प्रकार यह केन्द्रीय बैंक के एजेण्ट के रूप में भी कार्य करते हैं।

4. सामान्य उपयोगिता के कार्य (General Utility Functions)

वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त अन्य बहुत सी सुविधाएँ ग्राहकों तथा सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध कराते हैं -

(i) लॉकर की सुविधा (Locker Facilities) : बैंक अपने ग्राहकों के लिए लॉकर्स की सुविधा भी प्रदान करते हैं जिनमें लोग अपने इच्छानुसार सोना-चाँदी, जेवरात तथा अन्य आवश्यक कागजात सुरक्षित रखते हैं। इस सुविधा के लिए बैंक वार्षिक किराया लेता है, जो काफी कम होता है।

(ii) यात्री चेक एवं साख प्रमाण-पत्र (Travellers Cheque & Letters of Credit) : बैंक अपने ग्राहकों को यात्रा में जाते समय नकद राशि साथ न ले जाकर सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से ग्राहकों को यात्री चेक, साख प्रमाण-पत्रों की सुविधा प्रदान करते हैं। हाल में इसके चलन में कमी आयी है।

(iii) व्यापारिक सूचनाएँ एवं आँकड़े (Business Information and Statistics) : बैंक वर्तमान आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापार सम्बन्धी सूचनाएँ एवं आँकड़े एकत्रित करके अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों पर सलाह देते हैं।

(iv) वस्तुओं के वाहन में सहायता (Helping in Transportation of goods) : बड़े-बड़े व्यापारी अपने ग्राहकों को माल भेजकर उसकी बिल्टी बैंक में भेज देते हैं। खरीददार बैंक में रुपये जमा करवाकर उस बिल्टी को छुड़वा लेते हैं और रेलवे स्टेशन से माल

ले लेते हैं इस प्रकार बैंक वस्तुओं को उत्पादन केन्द्रों से उपभोग केन्द्रों तक माल को पहुँचाने में सहायता देते हैं।

(v) अन्य कार्य : उपर्युक्त कार्यों के अलावा बैंक अपने ग्राहकों को तकनीकी आधारित सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। जैसे - डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड प्रदान करना। चलन्त ATM और बैंक-बायोमेट्रिक कार्ड, ई-बैंकिंग आदि के माध्यम से बैंक-व्यापार को प्रोत्साहन, रोजगार में वृद्धि, निवेश को बढ़ावा देने का कार्य भी करते हैं।

केन्द्रीय बैंक (Central Bank)

केन्द्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का निर्धारण एवं नियंत्रण करता है। केन्द्रीय बैंक देश का शिखर बैंक (Apex Bank) होता है, जो मुद्रा बाजार का नेतृत्व करने के साथ-साथ देश के व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण रखता है। यह सरकार के बैंक का कार्य करता है तथा मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। केन्द्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति का निर्माता एवं संचालक होता है। यह देश में आर्थिक स्थिरता एवं आर्थिक विकास बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होता है।



देश	केन्द्रीय बैंक
भारत	भारतीय रिजर्व बैंक
अमेरिका	फेडरल रिजर्व
ब्रिटेन	बैंक ऑफ इंग्लैंड

भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका में फेडरल रिजर्व, केन्द्रीय बैंक हैं। संसार का सबसे पहला केन्द्रीय बैंक सन् 1668 ई० में स्वीडन में स्थापित हुआ था, परन्तु वास्तव में केन्द्रीय बैंक का आरंभ सन् 1694 ई० में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के बाद हुआ है। केन्द्रीय बैंक की परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई है -

सैम्युअल्सन के अनुसार, यह अर्थव्यवस्था, मुद्रा की पूर्ति तथा साख को नियन्त्रित करने का कार्य करता है।

डी०कोंक के अनुसार, "केन्द्रीय बैंक वह बैंक है जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है।"

आर०पी०के०के अनुसार, "केन्द्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे सामान्य जन कल्याण के हित में मुद्रा की मात्रा का विस्तार तथा संकुचन करने का उत्तरदायित्व दिया गया है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि केन्द्रीय बैंक देश का शीर्ष बैंक है, जो देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था का नियन्त्रण एवं संचालन करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र हित में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करना है। इनपर सरकार का स्वामित्व होता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सरकार के बैंकर के रूप में सरकार की ओर से लेन-देन करना है।

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India)

यह भारत का केन्द्रीय बैंक है। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 जनवरी, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुम्बई में है 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 ₹ के नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इन क्रेन्सी नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री रघुराम राजन हैं।

केन्द्रीय बैंक के कार्य (Functions of Central Bank)

केन्द्रीय बैंक के कार्य निम्न प्रकार के हैं -

1. नोट निर्गमन का एकाधिकार (Monopoly in Note Issue)

वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक को होता है। ये छपे हुए नोट पूरे देश में सर्वमान्य होते हैं। केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देश में असीमित विधिग्राह्य (Unlimited legal tender) रूप में घोषित होते हैं।

2. सरकार का बैंक (Banker to the Government)

केन्द्रीय बैंक सभी देशों में सरकार के बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। व्यापारियों और सामान्य व्यक्तियों की भी भूमि सरकार को भी बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। केन्द्रीय बैंक सरकार के बैंक के रूप में वे सभी कार्य करता है जो एक व्यापारिक बैंक अपने ग्राहक के लिए करता है। यह सरकारी विभागों के खाते रखता है तथा सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है। आवश्यकतानुसार सरकार को ऋण देता है, तथा सरकारी कोषों का भी हस्तांतरण करता है। देश का सर्वोच्च बैंक होने के नाते यह सरकार को आर्थिक, वित्तीय एवं मौद्रिक विषयों पर समय-समय पर सलाह देता रहता है।

3. बैंकों का बैंक (Banker's Bank)

केन्द्रीय बैंक का अन्य बैंकों के साथ लगभग यही संबंध होता है जो एक साधारण बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है। केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों के नकद कोष (Cash Reserve) का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखता है, ताकि ग्राहकों की माँग होने पर वह उनके धन की अदायगी कर सके। व्यापारिक बैंक इस प्रकार के नकद कोष को दो प्रकार से रखते हैं। प्रथम, अपने पास नकद कोष, दूसरे, केन्द्रीय बैंक के पास जमा के रूप में रखते हैं। ये बैंक केन्द्रीय बैंक के पास रखे गए कोष को भी नकद कोष मानते हैं।

4. बैंकों का निरीक्षण (Supervision of Banks)

बैंकों का बैंक होने के कारण केन्द्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंकों का निरीक्षण भी करता है। इसके तहत व्यापारिक बैंकों को लाइसेंस जारी करना, देश-विदेश के विभिन्न भागों में व्यापारिक बैंकों की शाखाएँ खुलवाकर उनका विस्तार करना, व्यापारिक बैंकों का आपस में विलयन (Merger) की अनुमति देना आदि कार्य करते हैं।

5. अन्तिम ऋणदाता (Lender of the Last Resort)

देश के अन्य बैंकों के लिए केन्द्रीय बैंक अन्तिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि जब किसी व्यापारिक बैंक को कहीं से भी ऋण प्राप्त न होता हो तब यह केन्द्रीय बैंक से ऋण की माँग करता है और केन्द्रीय बैंक उचित मापदण्डों के आधार पर उसे ऋण दे देता है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक अन्तिम ऋणदाता के रूप में देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करता है।

6. विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक (Custodian of Foreign Exchange Reserves)

केन्द्रीय बैंक अन्तर्राष्ट्रीय कोष के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। देश की मुद्रा इकाई के बाहरी मूल्य को स्थिर रखना केन्द्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। इसको सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए केन्द्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं के कोष संचित रखता

है। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास तथा विनिमय दर की स्थिरता के लिए भी विदेशी कोषों को उचित मात्रा में बनाए रखता है।

7. समाशोधन गृह का कार्य (Function of Clearing House)

केन्द्रीय बैंक के समाशोधन गृह के कार्य का अर्थ है कि वह विभिन्न बैंकों के एक-दूसरे के आपसी लेन-देन को न्यूनतम नकदी के साथ निपटारा कर देती है। क्योंकि प्रत्येक बैंक के कोष तथा खाते केन्द्रीय बैंक के पास होते हैं, इसलिए केन्द्रीय बैंक सरलतापूर्वक व्यापारिक बैंकों के लिए समाशोधन गृह का कार्य करती है।

8. साख नियन्त्रण (Credit Control)

केन्द्रीय बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यापारिक बैंकों की साख संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करना है। साख नियन्त्रण से अभिप्राय साख मुद्रा की मात्रा में देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार कमी या वृद्धि करने से है। साख मुद्रा का आवश्यकता से अधिक प्रसार होने पर मुद्रा स्फीति (Inflation) की दशा उत्पन्न हो जाती है और कम होने पर मुद्रा अवस्फीति (Deflation) के दोष पैदा हो जाते हैं। यही कारण है कि केन्द्रीय बैंक साख मुद्रा को निश्चित सीमाओं के अन्दर रखने का प्रयास करता है। केन्द्रीय बैंक द्वारा साख मुद्रा का उचित नियंत्रण करने से देश के सामान्य कीमत स्तर में स्थिरता लायी जा सकती है तथा उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। साख नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बैंक अन्य कार्य भी करते हैं।

9. आँकड़े इकट्ठा करना (Collection of Statistics)

केन्द्रीय बैंक आर्थिक सूचनाओं एवं आँकड़ों को इकट्ठा करता है और उन्हें समय-समय पर प्रकाशित करता है। यह देश में बैंकिंग, मुद्रा तथा विदेशी विनिमय संबंधी जो आँकड़े प्रकाशित करता है उनसे देश की आर्थिक प्रगति की गति का बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है। देश में आर्थिक योजनाओं को सफल बनाने के लिए ये सूचनाएँ तथा आँकड़े काफी विश्वसनीय माना जाता है।

10. अन्य कार्य (Other Function)

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक के कुछ अन्य कार्य भी हैं जो निम्न प्रकार हैं -

- (i) कृषि वित्त
- (ii) कटे-फटे एवं पुराने नोट वापस लेना
- (iii) बैंकों का सर्वेक्षण
- (iv) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से संबंध, आदि।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Question)

1. सही विकल्प चुने :

- (i) मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है ?
- (क) वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा (ख) साख मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, वस्तु मुद्रा
- (ग) वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, साख मुद्रा (घ) इनमें से कोई नहीं
- (ii) निम्न में किसने परिभाषित किया "मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।"
- (क) कोलबोर्न (ख) सीलिंगमैन
- (ग) नैप (घ) हार्टले विदर्स
- (iii) जनता का बैंक कौन-सा है ?
- (क) व्यापारिक बैंक (ख) केन्द्रीय बैंक
- (ग) रिजर्व बैंक (घ) इनमें से कोई नहीं
- (iv) व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्न में कौन-सा है ?
- (क) जमाएँ स्वीकार करना (ख) ऋण देना
- (ग) साख निर्माण (घ) उपयुक्त सभी
- (v) व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएँ कौन-सी हैं ?
- (क) चालू जमा (ख) बचत जमा
- (ग) सावधि जमा (घ) उपयुक्त सभी
- (vi) व्यापारिक बैंक निम्न में किस प्रकार के ऋण देते हैं ?
- (क) नकद साख (ख) अधिविकर्ष
- (ग) ऋण एवं अग्रिम (घ) उपयुक्त सभी
- (vii) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस क्षेत्र का बैंक है ?
- (क) निजी क्षेत्र (ख) सार्वजनिक क्षेत्र
- (ग) विदेशी क्षेत्र (घ) सहकारी क्षेत्र
- (viii) बैंक का एजेन्सी कार्य क्या है ?
- (क) ऋण देना (ख) जमा स्वीकार करना
- (ग) ट्रस्टी का कार्य करना (घ) लॉकर सुविधा देना
- (ix) भारत का केन्द्रीय बैंक है ?
- (क) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (ख) पंजाब नेशनल बैंक
- (ग) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (घ) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(x) निम्न में कौन-सा कथन सही है ?

- (क) केन्द्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है।
- (ख) केन्द्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है।
- (ग) केन्द्रीय बैंक देश में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है।
- (घ) उपयुक्त सभी

(xi) केन्द्रीय बैंक द्वारा कौन-सी मुद्रा जारी की जाती है ?

- (क) धलन मुद्रा
- (ख) साख मुद्रा
- (ग) सिक्के
- (घ) उपयुक्त सभी

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें (Fill in the blanks)

- (i) प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा संयोग आवश्यक है।
- (ii) माध्यम, मापन, संचय, मुद्रा के चार महान कार्य हैं।
- (iii) मुद्रा यह है जिसे सामान्य प्राप्त है।
- (iv) बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के से हुई है।
- (v) H.D.F.C., I.C.I.C.I. बैंक के उदाहरण हैं।
- (vi) जापान की मुद्रा है।
- (vii) को EXIM बैंक की स्थापना हुई।
- (viii) केन्द्रीय बैंक देश का बैंक होता है।
- (ix) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण ई० को हुआ।
- (x) बैंकों का बैंक होता है।

3. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Question)

- (i) मुद्रा से आप क्या समझते हैं ?
- (ii) वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है ?
- (iii) मुद्रा के दो कार्य बतायें ?
- (iv) EXIM बैंक क्या है ?
- (v) व्यापारिक बैंक से आप क्या समझते हैं ?
- (vi) अधिविकर्ष से क्या समझते हैं ?
- (vii) केन्द्रीय बैंक का क्या अर्थ है ?
- (viii) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दो प्रमुख कार्य बतायें ?

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Questions)

- (i) मुद्रा के चार महान कार्यों की व्याख्या करें।
- (ii) मुद्रा के कार्यवाहक परिभाषा को विस्तार पूर्वक वर्णन करें।

(iii) व्यापारिक बैंक के प्रकारों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें।

(iv) बैंक किस प्रकार ऋण प्रदान करते हैं ?

(v) एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में व्यापारिक बैंकों की भूमिका का वर्णन कीजिए।

(vi) व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें।

(vii) केन्द्रीय बैंक की परिभाषा दें एवं इसके कार्यों की व्याख्या करें।

(viii) केन्द्रीय बैंक किस प्रकार व्यापारिक बैंक से भिन्न होता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर

- (i) ग, (ii) घ, (iii) क, (iv) घ, (v) घ, (vi) घ, (vii), ख, (viii) ग, (ix) क, (x) घ, (xi) क
- (i) वस्तु-विनिमय, (ii) भुगतान, (iii) स्वीकृति, (iv) बैंको (Banco), (v) निजी, (vi) येन
(vii) 1 जनवरी 1932, (viii) शीर्ष (APEX), (ix) 1 जनवरी 1949, (x) केन्द्रीय बैंक

परियोजना कार्य (PROJECT WORK)

शिक्षक की सहायता से खाली जगहों को भरें :

देश	मुद्रा
इटली	
जर्मनी	
रूस	
फ्रांस	
कनाडा	
जर्मनी	
नेपाल	
पाकिस्तान	

देश	केन्द्रीय बैंक का नाम
पाकिस्तान	
रूस	
फ्रांस	
कनाडा	
जर्मनी	

भारत का विदेशी व्यापार

वर्तमान समय में कोई भी देश विदेशी व्यापार के बिना अपनी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकता। अविकसित या विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से कुछ कच्चे माल, मशीनरी, उपकरण आदि के आयात की आवश्यकता पड़ती है। आयातों के मूल्य चुकाने के लिए ऐसे देश अपने निर्यात में वृद्धि करने का प्रयत्न करते हैं ताकि वे विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें। इसी तरह विकसित देशों की आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए भी विदेशी व्यापार की आवश्यकता पड़ती है। विकसित देश अपने उत्पादित माल का निर्यात कर विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं तथा उन्हें अन्य देशों से अपने उद्योगों के लिए कुछ कच्चे पदार्थ तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात भी करना पड़ता है। यानि विकसित अथवा अविकसित दोनों प्रकार के देशों के आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

घरेलू एवं विदेशी व्यापार का अर्थ

व्यापार शब्द का प्रयोग प्रायः क्रय-विक्रय के अर्थ में किया जाता है। व्यापार दो प्रकार के होते हैं :

(i) आंतरिक अथवा घरेलू व्यापार (Internal Trade), तथा

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय अथवा विदेशी व्यापार (International or foreign Trade)

जब किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत ही व्यापार किया जाता है तो उसे आंतरिक व्यापार या घरेलू व्यापार कहते हैं। जैसे पटना में उत्पादित कोई वस्तु दिल्ली, बनारस, मुम्बई आदि स्थलों पर बिकती है तो उसे आंतरिक व्यापार कहेंगे। जबकि, विभिन्न राष्ट्रों के बीच होनेवाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहेंगे।

भारतीय व्यापार की पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता के पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की संरचना मुख्यतः एक कृषि प्रधान औपनिवेशिक देश की थी। भारत मुख्य रूप से कच्चे पदार्थों एवं खाद्यान्नों का निर्यात करता था। कच्चे पदार्थों में मैंगनीज, अभ्रक आदि के निर्यात की प्रधानता थी तथा कृषि पदार्थों में गेहूँ, जूट, चाय, कपास आदि का निर्यात होता था।

इस अवधि में भारत मुख्य रूप से निर्मित वस्तुओं का आयातक था जिसमें मोटर, साइकिल, इंजन, दवा, मशीन, यंत्र तथा रासायनिक पदार्थ आदि प्रमुख थे। विदेशी व्यापार आयात एवं निर्यात दोनों में ब्रिटेन की ही प्रधानता थी क्योंकि उस समय भारत, ब्रिटेन का एक उपनिवेश था।

द्वितीय विश्वयुद्ध के समाप्त होने के बाद भारत के विदेशी व्यापार में आमूल परिवर्तन हुए। युद्ध काल समाप्त होते ही उपभोक्ता एवं पूँजीगत दोनों प्रकार के मालों की मांग बढ़ने लगी। साथ ही, युद्धकाल से ही देश के अन्तर्गत खाद्यान्न के अभाव की समस्या उपस्थित थी जिसे दूर करने के लिए विदेशों से अत्यधिक मात्रा में अन्न को आयात करने की आवश्यकता आ पड़ी। यानि, युद्ध के पश्चात् आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई किन्तु निर्यात में इस दर से वृद्धि नहीं हुई। फलस्वरूप, भारत का व्यापारिक संतुलन प्रतिकूल होने लगा। इससे विदेशी विनिमय-सम्बन्धी कठिनाइयाँ उपस्थित हो गयीं। - हें दूर करने के लिए विदेशी व्यापार पर अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाए गए।

देश विभाजन ने भारत की विदेशी व्यापार-सम्बन्धी कठिनाइयाँ बहुत बढ़ा दी। देश-विभाजन के कारण जूट, कपास तथा अधिक

अन्न उपजाने वाले क्षेत्रों के पाकिस्तान में चले जाने से भारत के विदेशी व्यापार के ढाँचे में आमूल परिवर्तन हो गए। विभाजन के पूर्व भारत जूट तथा कपास का मुख्य रूप से निर्यातक देश था किन्तु विभाजन के बाद, वह इन वस्तुओं का मुख्य रूप से आयातक बन गया। साथ ही, देश के अंतर्गत खाद्यान्न की पूर्ति पर भी देश के विभाजन का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा। विभाजन के फलस्वरूप देश के अंतर्गत निर्यात की अपेक्षा आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई जिससे व्यापारिक संतुलन और भी अधिक प्रतिकूल होने लगा।

वर्तमान समय में हमारे विदेशी व्यापार यानि आयात एवं निर्यात की प्रकृति पूर्णतः बदल गई है। अब हमारे आयातों में उपभोक्ता पदार्थों की मात्रा क्रमशः कम हो रही है तथा मशीन, उपकरण, उर्वरक, खनिज तेल आदि की मात्रा बढ़ गई है। इसी प्रकार हमारे निर्यातों की प्रकृति में भी परिवर्तन हुआ है तथा हम निर्मित वस्तुओं का भी बड़े पैमाने पर निर्यात करने लगे हैं। इसके साथ ही हमारे आयात एवं निर्यात की वस्तुओं की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है। वर्तमान में हमारे आयात की वस्तुओं की संख्या 8,250 तथा निर्यात की जानेवाली वस्तुओं की संख्या 9,300 से भी कुछ अधिक हो गई है।

भारत के आयात एवं निर्यात

पंचवर्षीय योजनाओं के आरंभ होने के बाद भारत की आयात-संबंधी आवश्यकताओं में बहुत परिवर्तन हुआ है। स्वतंत्रता पूर्व भारत मुख्यतया निर्मित वस्तुओं का आयातक था परन्तु योजनाकाल में आधारभूत उद्योगों की स्थापना तथा देश के तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए हमें भारी मात्रा में औद्योगिक मशीनों, परिवहन उपकरणों एवं विद्युत संयंत्रों का आयात करना पड़ा। कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए उर्वरक, कच्चे पदार्थ एवं मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात भी आवश्यक हो गया। किसी भी देश के विदेशी व्यापार की संरचना पर गौर करने से हमें उस देश की विकास प्रक्रिया के साथ-साथ उसके आर्थिक विकास के स्तर के विषय में भी पता चलता है।

आयोजन काल में आयात और निर्यात दोनों ही के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जिन्हें समझने के लिए विभिन्न समय बिन्दुओं पर आयात और निर्यात की वस्तुओं पर गौर करना होगा।

आयातों की संरचना (Composition of Imports)

आजादी के बाद से अब तक की अवधि में हमारे आयात की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है।

1947-48 में भारत के प्रमुख आयात थे- सभी प्रकार की मशीनरी, तेल, अनाज दालें व आँटा, कपास, बाहन, फटलरी, लोहे का सामान, औजार व उपकरण, दवाइयाँ, रंग, सूत तथा सूती कपड़ा, कागज, कागज के बोर्ड, लोहा व इस्पात आदि। कुल आयातों में इन सबका हिस्सा 70 प्रतिशत से ज्यादा था।

आर्थिक आयोजन प्रारंभ होने के समय पूँजीगत वस्तुओं का आयात अधिक नहीं था। परन्तु दूसरी योजना के अंतर्गत आधारभूत उद्योगों की स्थापना को जब प्राथमिकता दी गई तो देश से बड़े पैमाने पर पूँजीगत उपकरणों का आयात शुरू हुआ।

आयात संरचना के बारे में मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं :

1. पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट पर आयात व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है 1960-61 में पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट का आयात व्यय में हिस्सा 6.1 प्रतिशत था जो 1980-81 में बढ़कर 41.9 प्रतिशत हो गया। 2011-12 में पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट का हिस्सा 35.3 प्रतिशत हो गया।
2. अलौह धातुओं के आयात पर 2007-08 में 21,336 मिलियन डालर खर्च किए गए जो कुल आयात व्यय का 8.9 प्रतिशत है।

3. गैर विद्युतीय मशीनरी व उपकरण पर आयात व्यय में तेजी से वृद्धि हुई। इसमें 1970-71 में जहाँ 341 मिलियन डालर खर्च किए गए वहीं यह बढ़कर 2007-08 में 19.661 मिलियन डालर हो गया।
4. जवाहरात और आभूषण उद्योग की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए मोती व बहुमूल्य रत्नों के आयात में तेज वृद्धि हुई। 1993-94 में मोती व बहुमूल्य रत्नों का कुल आयात में हिस्सा 11.3 प्रतिशत था।
5. बढ़ती हुई घरेलू मांग के कारण कुछ वर्षों में खाद्य तेलों का भी काफी मात्रा में आयात करना पड़ा है। 2007-08 में खाद्य तेलों का आयात कुल आयात का 1.1 प्रतिशत था।
6. लोहा और इस्पात के बढ़ते हुए घरेलू उत्पादन के बावजूद काफी मात्रा में आयात करना पड़ता है क्योंकि मांग की तुलना में घरेलू उत्पादन कम है। कुल राशि के रूप में लोहा और इस्पात पर आयात व्यय 1970-71 में 194 मिलियन डालर से बढ़कर 2007-08 में 8.684 मिलियन डालर हो गया।
7. उर्वरकों पर भी आयात व्यय में काफी वृद्धि हुई है। 1970-71 में जहाँ यह 113 मिलियन डालर थी यह 2007-08 में 5.406 मिलियन डालर हो गया।
8. अर्धव्यवस्था की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई वर्षों तक खाद्यान्नों का काफी मात्रा में आयात करना पड़ा है 1960-61 में कुल आयात व्यय में इनका हिस्सा 16 प्रतिशत था। बाद के वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होने से आयात में तेजी से कमी आई। हालाँकि कुछ वर्षों में खाद्यान्नों के भंडार में वृद्धि करने के लिए उनका आयात किया गया। 2010-11 में कुल 119 मिलियन डालर मूल्य के अनाज और अनाज उत्पादों का आयात किया गया।

निर्यातों की संरचना (Composition of Exports)

भारतीय निर्यातों की संरचना पर ध्यान देने पर यह प्रवृत्ति स्पष्ट होती है कि समय के साथ निर्यातों में कृषि व उससे संबंध वस्तुओं का मूल्य घटता गया है तथा विनिर्मित वस्तुओं का महत्व बढ़ता गया है।

सारणी : भारतीय निर्यातों की संरचना

वस्तुएँ	1960-61 (प्रतिशत में)	2010-11 (प्रतिशत में)	2011-12 (प्रतिशत में)
कृषि व संबद्ध उत्पादन	44.2	9.7	12.4
अयस्क और खनिज	8.1	3.4	2.8
विनिर्मित वस्तुएँ	45.3	69.0	66.1
पेट्रोलियम उत्पाद	1.1	16.8	16.7

ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है कि कुल निर्यातों में कृषि व संबद्ध वस्तुओं का हिस्सा 1960-61 में 44.2 प्रतिशत से कम होकर 2011-12 में 12.4 प्रतिशत रह गया है इसके विपरीत इसी अवधि में विनिर्मित वस्तुओं का हिस्सा 45.3 प्रतिशत से बढ़कर 66.1 प्रतिशत हो गया है। जहाँ तक पेट्रोलियम उत्पाद की मात्रा के प्रतिशत का सवाल है 1960-61 के मुकाबले 2011-12 में 1.1 प्रतिशत से बढ़कर 16.7 प्रतिशत हो गया है। यह बात अर्धव्यवस्था की बदलती हुई उत्पादन संरचना दर्शाती है। एक पिछड़ी हुई

व प्राथमिक वस्तुओं पर आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर भारत में एक प्रगतिशील औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है।

आयात-निर्यात बैंक (Exim Bank)

भारतीय निर्यात आयात बैंक (Export Import Bank of India) : विदेशी व्यापार में व्यवसायियों की सहायता के उद्देश्य से 1 जनवरी 1982 को इस बैंक की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय मुम्बई में स्थित है। इसके प्रमुख कार्य हैं- (i) वित्तीय संस्थाओं एवं वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त (Refinancing) की सुविधा प्रदान करना, (ii) विदेशों में संयुक्त उपकरणों की स्थापना के लिए तथा मशीनों एवं अन्य उपकरणों का आयात-निर्यात करने के लिए ऋण प्रदान करना एवं (iii) निर्यात बिलों का क्रय एवं कटौती करना, आदि।

विदेशी विनिमय दर

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिलसिले में भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा के रूप में मूल्य निर्धारित करना पड़ता है तथा इनके पारस्परिक विनिमय दर को निश्चित करना पड़ता है। विभिन्न वस्तुओं के समान ही विदेशी मुद्रा की खरीद-बिक्री के लिए एक विशेष प्रकार का बाजार होता है जिसे विदेशी विनिमय बाजार (Foreign Exchange Market) कहते हैं। इस बाजार में विभिन्न संस्थाएँ होती हैं जो चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल आदि विभिन्न विनिमय साध्य पत्रों (Negotiable Instruments) के माध्यम से विदेशी विनिमय की व्यवस्था करती है।

चूंकि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिए एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना पड़ता है। लेकिन यहाँ यह प्रश्न उठता है कि एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की कितनी मुद्रा दी जाए? इसके लिए विनिमय दर की आवश्यकता होती है। यानी हम कह सकते हैं कि, "यह दर जिसपर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है 'विनिमय दर' कहलाता है।" वास्तव में विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं के विनिमय के अनुपात को व्यक्त करती है। जैसे मान लिया जाए कि भारत में एक अमेरिकी डॉलर के बदले लगभग 65 रुपए प्राप्त होते हैं तो डॉलर एवं रुपए की विनिमय दर \$ 1 = ₹ 65 लगभग होगी। विनिमय दर का निर्धारण एक देश की मुद्रा के लिए दूसरे देश की मुद्रा की मौग एवं पूर्ति दर निर्भर करता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियाँ (GATT से WTO तक)

ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में तीन संस्थाओं - अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के स्थापित करने की बात उभर कर सामने आयी पर उनमें से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक तो उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ के दो महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्थापित हो गए पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन स्थापित नहीं हो सका। 1947 में 'हवाना' सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना की बात पुनः उभरकर सामने आयी जिसका अमेरिकी सीनेट ने फिर विरोध किया और इस प्रकार हवाना चार्टर पारित नहीं हो पाया पर इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि भारत समेत 23 देशों ने व्यापार प्रतिबन्धों तथा प्रशुल्क (टैरिफ) में कमी लाने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बाद में यही समझौता "व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता" (गैट) (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) के नाम से जाना गया।

1948 के जेनेवा सम्मेलन के साथ एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के निर्माण तथा न्यूनतम व्यापारिक संरक्षण या प्रतिबन्ध पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य से 'गैट' का जन्म हुआ। इसकी स्थापना के साथ जो गैट का प्रथम दौर शुरू हुआ था, वह आठ महत्वपूर्ण दौरों से गुजरता हुआ 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को घोषणा के साथ एक नए महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया जबकि एक नयी व्यापार व्यवस्था प्रारंभ हुई तथा विश्व के 104 देशों ने (जिसमें भारत भी एक है) गैट

के समझौते पर आधारित फाइनल एग्रेट पर हस्ताक्षर किए तथा 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation-WTO) की स्थापना हुई। यह नियम आधारित, पारदर्शी एवं प्रत्यक्ष बहुपक्षीय प्रणाली प्रदान करता है।

WTO की स्थापना के साथ संगठन के रूप में GATT समाप्त हो गया। पर 'गैट समझौता' जो वस्तुओं में व्यापार से संबंधित था संशोधित रूप से WTO के साथ बना हुआ है, पर उसके साथ दो नए समझौते जोड़ दिए गए हैं (i) सेवाओं से संबंधित व्यापार के संबंध में सामान्य समझौता (General Agreement on Trade in Services GATs) तथा (ii) जनरल एग्रीमेंट आन ट्रेड रिलेटेड आसपेक्ट्स ऑफ इन्टेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (TRIPs)

WTO की स्थापना 'सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र' (Most favoured Nation (MFN) की अवधारणा पर आधारित है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई सदस्य देश WTO सदस्यों के बीच भेद भाव नहीं करेगा।

अभ्यास

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

- विदेशी व्यापार का संबंध है
(क) दो राज्यों के बीच (ख) दो जिलों के बीच
(ग) दो देशों के बीच (घ) दो प्रमंडलों के बीच
- भारत में 2011-12 में पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट के आयात का प्रतिशत हिस्सा था
(क) 44.2 प्रतिशत (ख) 45 प्रतिशत (ग) 35.3 प्रतिशत (घ) 45.8 प्रतिशत
- भारत में 2010-11 में अनाज और अनाज उत्पादों का आयात किया गया
(क) 45 मिलियन डालर का (ख) 60 मिलियन डालर का
(ग) 100 मिलियन डालर का (घ) 119 मिलियन डालर का
- 2011-12 में भारत में कृषि व संबद्ध उत्पादन का निर्यात प्रतिशत रहा
(क) 9.7 प्रतिशत (ख) 2.5 प्रतिशत (ग) 12.4 प्रतिशत (घ) 19 प्रतिशत
- 2011-12 में भारत में विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात प्रतिशत रहा
(क) 56 प्रतिशत (ख) 60 प्रतिशत (ग) 68 प्रतिशत (घ) 66.1 प्रतिशत
- भारत में 2011-12 में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात प्रतिशत रहा
(क) 8 प्रतिशत (ख) 16.7 प्रतिशत (ग) 80 प्रतिशत (घ) 15.8 प्रतिशत
- Exim Bank का मुख्यालय अवस्थित है :
(क) दिल्ली (ख) पटना (ग) चेन्नई (घ) मुंबई
- WTO की स्थापना हुई
(क) 1 जनवरी 1990 में (ख) 1 जनवरी 1995 में (ग) 15 अगस्त 1952 में (घ) 15 अप्रैल 1994 में
- इनमें कौन WTO का हिस्सा नहीं है -
(क) GATT 1947 (ख) GATT 1995 (ग) GATS (घ) TRIPs

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. घरेलू व्यापार से क्या समझते हैं ?
2. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या समझते हैं ?
3. स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति क्या थी ?
4. वर्तमान समय में भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति क्या है ?
5. Exim Bank की स्थापना कब हुई।
6. GATT का पूरा नाम लिखें।
7. WTO का पूरा नाम लिखें।

3. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. घरेलू एवं विदेशी व्यापार का अर्थ समझाएँ।
2. भारतीय व्यापार की पृष्ठ भूमि बताएँ।
3. भारत के आयात एवं निर्यात की चर्चा करें।
4. आयात-निर्यात बैंक के बारे में लिखें।
5. विदेशी विनिमय दर से क्या समझते हैं ? समझाए।
6. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों को लिखें।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर : 1. क, 2. ग, 3. घ, 4. ग, 5. घ, 6. ख, 7. घ, 8. ख, 9. क

सांख्यिकी का परिचय

'सांख्यिकी' अंग्रेजी के **Statistics** का हिन्दी अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द 'स्टेटस' (**Status**) या जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक (**Statistik**) से हुई है। अतः इसका शाब्दिक अर्थ राज्य (**State**) तथा राजनीतिक कार्य (**Politics**) होता है।

आधुनिक समय में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध जर्मन विद्वान-गीटफ्राईड आकैनवाल (**Gottfried Achnewall**) ने सन् 1749 ई० में किया। इसीलिए उन्हें आधुनिक समय में सांख्यिकी का पिता (**Father of statistics**) कहा जाता है।

अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है ? इस प्रश्न को समझने से पहले अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं।

साधारण बोलचाल की भाषा में सांख्यिकी का अर्थ है - "संख्यात्मक सूचनाओं का भण्डार"। परन्तु एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए सांख्यिकी का अर्थ इतना सीमित नहीं है। उसके लिए सांख्यिकी विषय से अभिप्राय कुछ निष्कर्षों को ज्ञात करने के लिए संख्यात्मक सूचनाओं अर्थात् आँकड़ों को एकत्रित करने, उनका वर्गीकरण करने, उनका विश्लेषण करने एवं निर्वचन से सम्बन्धित तकनीकों तथा उपायों से है। अतः सांख्यिकी के विस्तृत आकार के कारण, सांख्यिकी को एकवचन (**Singular**) तथा बहुवचन (**Plural**) के रूप में परिभाषित करने की आवश्यकता होती है।

सांख्यिकी - (बहुवचन के रूप में)

बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना अथवा आँकड़ों से होता है। जैसे-जनसंख्या संबंधित आँकड़े, रोजगार संबंधी आँकड़े इत्यादि। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि कोई एक संख्यात्मक तथ्य जैसे 'अहमद को प्रतिमाह 30 रुपए जेब खर्च मिलता है', सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। सांख्यिकी आँकड़ों के समूह या औसत को कहा जाता है, जैसे दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों का औसत जेब खर्च 30 रु० प्रतिमाह है। उच्च विद्यालय युसुफपुर के नवम् एवं दशम वर्ग में क्रमशः 330 तथा 300 छात्र/छात्राएँ नामांकित हैं। ये सारे संख्यात्मक तथ्यों के समूह को सांख्यिकी कहेंगे।

ए.एल.बाउले ने बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा देते हुए कहा है, "आँकड़े-अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों के संख्या के रूप में ऐसे विवरण होते हैं, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है।"

समक के रूप में सांख्यिकी की कुछ विशेषताएँ हैं जो निम्नलिखित हैं :

- (क) **तथ्यों का समूह** : एक अकेली संख्या समक नहीं कहलाती क्योंकि उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अनेक तथ्यों से संबंधित संख्याओं को सांख्यिकी कहा जाता है, क्योंकि उनकी आपस में तुलना की जा सकती है तथा निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।
- (ख) **संख्याओं में व्यक्त** : सांख्यिकीय तथ्यों को संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। गुणात्मक तत्वों जैसे छोटा-बड़ा, अमीर-गरीब आदि को सांख्यिकी नहीं कहा जाता।
- (ग) **अनेक कारणों से प्रभावित** : आँकड़ों पर किसी एक कारण का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अनेक प्रकार के कारणों का प्रभाव पड़ता है।
- (घ) **उचित मात्रा में शुद्धता** : सांख्यिकी को एकत्रित करते समय शुद्धता के एक उचित स्तर को ध्यान में रखना चाहिए।

- (क) एक दूसरे से संबंधित होना : उन संख्याओं को समक कहेंगे जो एक दूसरे से संबंधित हो यानि उनकी तुलना की जा सके।
 - (च) पूर्व निश्चित उद्देश्य : बिना किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई सूचनाएँ केवल संख्या कहलाएंगी न कि सांख्यिकी।
 - (छ) गणना तथा अनुमान : समको को गणना द्वारा या अनुमान द्वारा एकत्रित किए जाते हैं।
 - (ज) व्यवस्थित रूप से संकलित : आँकड़े एकत्रित करने से पहले योजना बनाकर उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अव्यवस्थित रूप से संकलित किए गए आँकड़ों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
- अतः उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि - "सभी आंकिक आँकड़ों को सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता परन्तु सारी सांख्यिकी को आंकिक आँकड़े कहा जाता है।"


सांख्यिकी (एकवचन रूप में)

एकवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकीय विधियों से हैं। सांख्यिकी विधि वह विधि है जो संख्यात्मक आँकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन का अध्ययन करती है।

क्राक्सटन तथा काउडेन के अनुसार, "सांख्यिकी को संख्यात्मक आँकड़ों का संग्रह, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण तथा उनके निर्वचन से संबंधित विज्ञान कहा जा सकता है।"

सैलिंगमैन के अनुसार, "सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आँकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की विधियों का विवेचन करता है।"

एकवचन के रूप में सांख्यिकी के अध्ययन को पाँच अवस्थाओं में दर्शाया जा सकता है।



उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पहली अवस्था में हम आँकड़ों का संकलन कहते हैं। दूसरी अवस्था में आँकड़ों को एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तीसरी अवस्था में आँकड़ों को ग्राफ, चित्र या तालिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चौथी अवस्था में आँकड़ों का विश्लेषण (औसत या प्रतिशत रूप में) करते हैं। पाँचवीं तथा अंतिम अवस्था में निष्कर्ष निकालने के लिए निर्वचन करते हैं।

आँकड़ों का संकलन

आँकड़ों का संकलन सांख्यिकीय विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण आरंभिक कदम है जो पूर्व निश्चित उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर एकत्रित समक मूलतः सांख्यिकीय विश्लेषण के कच्चे पदार्थ हैं जिनकी सहायता से सांख्यिकीय

विश्लेषण के अगले चरणों का सम्पादन किया जाता है। ऑकड़ों के संग्रह का उद्देश्य किसी समस्या के स्पष्ट एवं ठोस समाधान के लिए साक्ष्य को जुटाना है।

ऑकड़ों के स्रोत

सांख्यिकीय ऑकड़े दो स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं। गणनाकार (वह व्यक्ति जो ऑकड़ा संग्रह करता है) जाँच पड़ताल या पूछताछ कर ऑकड़े एकत्र करता है। ऐसे ऑकड़े प्राथमिक ऑकड़े कहे जाते हैं।

यदि किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा ऑकड़ों को संग्रहित एवं संशोधित किया जाता है लेकिन उसका प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति या संस्था करता है तो ऐसा समक प्रयोगकर्ता के लिए "द्वितीयक ऑकड़े" कहलाते हैं। इन्हें प्रकाशित स्रोतों से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं जैसे- वेबसाइट, पेपर, पत्रिकाएँ इत्यादि।

प्राथमिक ऑकड़ों को संग्रहित करने के लिए निम्न विधि अपनाई जाती है

1. वैयक्तिक साक्षात्कार विधि।
2. डाक द्वारा सर्वेक्षण विधि।
3. टेलीफोन साक्षात्कार विधि।

द्वितीयक ऑकड़ों का संकलन के लिए प्रकाशित स्रोतों एवं अप्रकाशित स्रोतों का सहारा लिया जाता है।

ऑकड़ों के संकलन की विधियाँ

हम जान चुके हैं कि सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए सबसे पहले ऑकड़ों का संकलन किया जाता है। ऐसी स्थिति में ऑकड़ों का संकलन कार्य शुरू करने से पूर्व ऑकड़े संकलन की विधि निश्चित की जाती है। ऑकड़ों को निम्न दो विधियों द्वारा एकत्र किया जा सकता है -

1. **संगणना विधि (Census Method)**: जब अनुसंधान के विषय से सम्बन्धित समग्र (Universe या Population) की प्रत्येक इकाई का सर्वेक्षण किया जाता है तो यह विधि संगणना अनुसंधान रीति कहलाती है। जैसे मान लिया जाय कि किसी विद्यालय के 1500 छात्र/छात्राओं के वजन से सम्बन्धित अनुसंधान करना है तो प्रत्येक छात्र/छात्रा का वजन अलग-अलग ज्ञात करना होगा और इससे निष्कर्ष प्राप्त करने होंगे। यह विधि संगणना विधि कहलाएगी।

गुण (Merits)

संगणना अनुसंधान के निम्नलिखित गुण हैं :

- (a) उच्च स्तर की शुद्धता।
- (b) प्रत्येक इकाई का अध्ययन।
- (c) विस्तृत सूचना।
- (d) इकाइयों की भिन्नता में उपयुक्त होना।

दोष (Demerits)

(a) खर्चीली पद्धति।

(b) अधिक समय और परिश्रम।

(c) केवल सीमित क्षेत्र के लिए उपयोगी।

2. **निदर्शन रीति (Sampling Method)** : जब समग्र (Population) की कुछ इकाइयों को चुनकर उन चुनी हुई इकाइयों के आधार पर अनुसंधान का कार्य सम्पन्न किया जाता है तो उसे निदर्शन रीति कहा जाता है। जैसे ऊपर के उदाहरण में 1500 छात्र/छात्राओं के वजन से सम्बन्धित अनुसंधान के क्रम में यदि हम सभी 1500 छात्र/छात्राओं के स्थान पर कुछ (जैसे 20 या 25) छात्र/छात्राओं को चुन लेते हैं और उसके आधार पर अपना निष्कर्ष प्राप्त करते हैं तो यह निदर्शन अनुसंधान कहलाएगा।

गुण (Merits)

(a) यह विधि मितव्ययी है।

(b) विस्तृत अध्ययन क्षेत्र से सम्बन्धित निष्कर्ष निकालने में उपयोगी।

(c) यह विधि वैज्ञानिक है।

(d) यह एक सरल विधि है।

दोष (Demerits)

(a) भ्रामक निष्कर्ष की सम्भावना।

(b) उच्च स्तरीय सुदृढ़ता का अभाव।

(c) Population की इकाइयों के समरूप न होने पर यह अनुपयुक्त हो जाती है।

(d) Population का आधार छोटा होने पर अनुपयुक्त।

आँकड़ों का वर्गीकरण (Classification of the Data)

एक अनुसंधानकर्ता जब किसी समस्या से संबंधित आँकड़े एकत्रित करते हैं तो वे शुरू में इस रूप में नहीं होते कि उनसे कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। वे एक बहुत बड़े समूह के समान होते हैं जिसमें आवश्यक तथा अनावश्यक सभी प्रकार के आँकड़े सम्मिलित होते हैं। इसलिए एकत्रित आँकड़ों से निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनका वर्गीकरण या व्यवस्थीकरण कर लिया जाय। यानि आँकड़ों के व्यवस्थीकरण का एक महत्वपूर्ण उपाय उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में बाँटना है। इस प्रक्रिया को आँकड़ों का वर्गीकरण (Classification of Data) कहा जाता है।

इस प्रक्रिया के अंतर्गत आँकड़ों को विभिन्न वर्गों में बाँटा जाता है। जैसे शिक्षा के आधार पर इकाइयों को 'शिक्षित' तथा 'अशिक्षित' दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकरण करते समय इस पर भी ध्यान देना होता है कि इकाइयों का विभाजन समानता एवं असमानता के आधार पर किए जाएँ। यानि सभी समान इकाइयों को एक वर्ग में तथा असमान इकाइयों को दूसरे वर्ग में रखा जाए। जैसे आप कभी किसी कबाड़ी की दुकान में गए होंगे तो आपने यह अनुभव किया होगा कि भिन्न-भिन्न

तरह के कबाड़ (लोहा, पीतल, ताँबा, एल्युमिनियम, अखबार आदि) को किस तरह से भिन्न-भिन्न वर्गों में विभाजित कर उन्हें व्यवस्थित करता है।



कबाड़ी की अव्यवस्थित दुकान का चित्र



कबाड़ी की व्यवस्थित दुकान का चित्र

अखिर वर्गीकरण क्यों किया जाए? जब हम इसपर विचार करते हैं तब पाते हैं कि आँकड़ों को सरल व संक्षिप्त बनाने, उपयोगिता में वृद्धि करने, आँकड़ों के विशिष्ट अन्तर को स्पष्ट करने, तुलना एवं अनुमान के योग्य बनाने, आँकड़ों के वैज्ञानिक आधार प्रदान करने एवं आँकड़ों को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से हमलोगों को वर्गीकरण (Classification) की आवश्यकता पड़ती है।

एक अच्छे वर्गीकरण के मुख्य तत्व

1. व्यापकता : किसी समस्या से संबंधित आँकड़ों का वर्गीकरण इतना व्यापक होना चाहिए कि उस समस्या के संबंध में एकत्रित किए गए सभी आँकड़े किसी न किसी वर्ग में अवश्य आ जाए। कोई भी इकाई वर्गीकरण से बाहर नहीं रहना चाहिए।
2. स्पष्टता : वर्गीकरण करते समय यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन-सी इकाई किस वर्ग में रखी जाएगी। विभिन्न वर्ग भी इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए कि उनमें सरलता एवं स्पष्टता हो।
3. सजातीयता : प्रत्येक वर्ग की सभी इकाइयाँ समान गुण वाली होनी चाहिए।
4. अनुकूलता : वर्गों का निर्माण अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होने चाहिए।
5. स्थिरता : एक प्रकार के जॉब के वर्गीकरण का आधार एक जैसा होना चाहिए।
6. लोचदार : एक अच्छा वर्गीकरण लोचदार होना चाहिए। उसमें उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुसार वर्गों में परिवर्तन करने की हमेशा गुंजाईश बनी रहनी चाहिए।

अशोधित आँकड़े (Raw Data)

अशोधित आँकड़े वे आँकड़े हैं जिन्हें एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान संकलित करता है। ये अव्यवस्थित रूप में होते हैं। उदाहरण : 20 अंकों के एक टेस्ट में दसवीं कक्षा के 16 छात्र/छात्राओं ने निम्न अंक प्राप्त किए।

तालिका : 8 (i)

नाम	प्राप्तांक
करीम	18
मोहन	20
ऋषभ	08
मोना	06
सोनी	08
अमन	19
रंजन	16
नाहिदा	10

नाम	प्राप्तांक
रोहित	07
राजकुमार	06
गोपाल	03
अनुष्का	20
प्रिया	14
भारती	16
सोनम	18
सोनाली	09

उपरोक्त तालिका में दिए गए आँकड़े अशोधित आँकड़े कहलाएंगे।

सांख्यिकी के लिए वे ही आँकड़े उपयुक्त होते हैं जिनमें समानता पाई जाती है। इन्हें सजातीय आँकड़े कहते हैं।

वर्गीकरण के आधार (Basis of Classification)

एक सांख्यिकीय सूचना को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है -

- 1. भौगोलिक वर्गीकरण (Geographical Classification):** इस प्रकार का वर्गीकरण आँकड़ों की स्थिति या भौगोलिक निम्नता के आधार पर किया जाता है जैसे भारत में अलग-अलग स्थानों पर लोहे के कारखानों की संख्या यह दर्शाता है कि भौगोलिक आवश्यकता के कारण किन क्षेत्रों में लोहे के कारखाने अधिक हैं तो किन क्षेत्रों में कम।
- 2. समयानुसार वर्गीकरण:** जब आँकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है तो इसे समय के अनुसार वर्गीकरण कहते हैं, जैसे किसी एक कारखाने की बिक्री का समय के अनुसार ब्यौरा

तालिका : 8 (ii)

तालिका : कारखाने की बिक्री (2012-13)

वर्ष	बिक्री (रुपए)
2008	35 लाख
2009	44 लाख
2010	50 लाख
2011	65 लाख
2012	75 लाख

- 3. गुणात्मक वर्गीकरण:** जब तथ्यों या आँकड़ों को विशेषताओं या गुणों जैसे धर्म, व्यवसाय, जनसंख्या के बौद्धिक स्तर आदि के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है तो इसे गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है (i) साधारण वर्गीकरण तथा (ii) बहुगुणी वर्गीकरण
- 4. संख्यात्मक या वर्गान्तर वर्गीकरण:** संख्यात्मक वर्गीकरण में तथ्यों को संख्यात्मक रूप में उनकी मात्रा के अनुसार व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक वर्ग के आँकड़े (सुन्दरता एवं ईमानदारी की तरह) गुणात्मक रूप से व्यक्त करने में समर्थ होते हैं या फिर संख्यात्मक अंकों के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे लम्बाई का मीटर में, भार को किलोग्राम आदि में व्यक्त किया जा सकता है। निम्न तालिका पर विचार करें:

तालिका बिहार के लघु उद्योगों के वार्षिक लाभ (परिकल्पना आधारित)

तालिका : 8 (iii)

लघु उद्योगों की संख्या	वार्षिक लाभ (रुपयों में)
8	0 - 1,00,000
16	1,00,000 - 2,00,000
75	2,00,000 - 3,00,000
100	3,00,000 - 4,00,000
60	4,00,000 - 5,00,000

उपरोक्त वर्गीकरण में अध्ययन के अंतर्गत लाभ एक विषय है इसलिए यह आँकड़ों का गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है।

आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण

संकलित किए गए आँकड़ों को विभिन्न रूप में किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए जिससे की अनुसंधानकर्ता स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाल सके इसे प्रायः तीन प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है -

1. पाठ विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतीकरण
2. सारणीबद्ध प्रस्तुतीकरण
3. आरेखीय प्रस्तुतीकरण

1. पाठ विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतीकरण

पाठ-विषयक प्रस्तुतीकरण में आँकड़ों का विवरण पाठ में ही दिया जाता है। जब आँकड़ों का विवरण पाठ में ही दिया जाता है। जब आँकड़ों की संख्या बहुत अधिक न हो तो प्रस्तुतीकरण का यह स्वरूप अधिक उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,01,93,422 में पुरुषों की संख्या 62,37,24,248 तथा महिलाओं की संख्या 58,64,69,174 थी। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार कुल साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत थी जिरामें पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत तो महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत थी। लिंगानुपात के बारे में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएँ थीं।

उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि आँकड़ों को पाठ्य सामग्री के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। यानी आँकड़ों को समझने के लिए पूरा पाठ पढ़ना पड़ता है। हालाँकि यह विधि एक उबाऊ प्रक्रिया है लेकिन कभी-कभी प्रस्तुतीकरण के खास बिन्दुओं को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुती के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है।

2. सारणीबद्ध प्रस्तुतीकरण

सारणीबद्ध प्रस्तुतीकरण में आँकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है नीचे दिए गए सारणी से जिसमें एक चुनावी अध्ययन हेतु 542 उत्तरदाताओं का आयु के अनुसार विवरण तालिका से स्पष्ट है :

तालिका : 8 (iv)

आयुसमूह (वर्ष में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
20 - 30	3	0.55
30 - 40	16	11.25
40 - 50	132	24.35
50 - 60	153	28.24
60 - 70	140	25.83
70 - 80	51	9.41
80 - 90	2	0.37
योग	542	100.00

3. आरेखीय प्रस्तुतीकरण या चित्रिय प्रस्तुतीकरण

ऑकड़ों को प्रस्तुत करने की तीसरी विधि है चित्रिय प्रस्तुतीकरण। इस विधि में ऑकड़ों के चित्रों द्वारा सरल, सुन्दर और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। चित्रिय प्रस्तुतीकरण को मुख्य रूप से तीन भागों में बाँटा जा सकता है:

1. ज्यामितिक रूप : (क) दण्ड आरेख, (ख) वृत्तीय आरेख
2. आवृत्ति चित्र : (क) आयत चित्र, (ख) आवृत्ति बहुभुज तथा तोरणवक्र
3. रेखीय चित्र (ग्राफ) की सहायता से।


1. ज्यामितिक रूप

(क) दण्ड आरेख वह चित्र है जिसमें ऑकड़ों को दण्डों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। सरल दण्ड आरेख को निम्न उदाहरण द्वारा दर्शाया गया है -

सरल दण्ड आरेख -

तालिका : 8 (अ)

कारण	आर्थिक	व्यक्तिगत	राजनीतिक	प्रतिद्विदिता	अन्य
प्रतिशत	58	16	10	6	10




बहुगुणी दंड आरेख

निम्न तालिका द्वारा एक कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में बनाए गए मालवाही एवं यात्रियों के लिए डिब्बों की संख्या निम्नलिखित थी। इसे बहुगुणी दंड आरेख में निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

तालिका : 8 (vi)

वर्ष	मालवाही डिब्बे	यात्रियों के लिए डिब्बे
2008	205	100
2009	280	125
2010	310	150
2011	290	115



रेखा चित्र : 8 (ii)


(ख) वृत्त चित्र

दूसरी आरेख यह चित्र है जिसमें एक वृत्त को कई भागों में बाँट कर आँकड़ों के भिन्न-भिन्न प्रतिशत या सापेक्ष मूल्यों को प्रस्तुत किया जाता है।

उदाहरण : भारत की 1995-96 की राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान के आँकड़े का वृत्त चित्र (पाई चार्ट) निम्न तरीके से दर्शाया जा सकता है।

तालिका : 8 (vii)

भेद	प्रतिशत हिस्सा	योगदान अंशों में
कृषि	40	$40 \times \frac{360}{100} = 144^\circ$
उद्योग	21	$21 \times \frac{360}{100} = 75.6^\circ$
यातायात	19	$19 \times \frac{360}{100} = 68.4^\circ$
प्रशासन	13	$13 \times \frac{360}{100} = 46.8^\circ$
बैंकिंग	7	$7 \times \frac{360}{100} = 25.2^\circ$
कुल	100	$= 360^\circ$



वृत्त चित्र (पाई चार्ट)


रेखा चित्र : 8 (iii)

2. (क) आयत चित्र

आयत चित्र वह रेखाचित्र है जिसमें सतत शृंखला से संबंधित मन्दों तथा उनकी आवृत्तियों को आयतों के रूप में ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है।

तालिका : 8 (viii)

प्राप्त अंक	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60
छात्र/छात्र	5	40	60	35	8



आयत चित्र रेखा चित्र : 8 (iv)


(ख) आवृत्ति बहुभुज

ऑकड़ों का चित्रिय प्रस्तुतीकरण जो आयत चित्र के प्रत्येक आयत के शीर्ष के मध्य बिन्दुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलाकर बनाया जाता है।

उदाहरण :

तालिका : 8 (ix)

प्राप्त अंक	0 - 10	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70
छात्र/छात्रा	5	10	15	20	12	8	5



रेखा चित्र : 8 (v)


3. रेखा चित्र

एक घर वाले रेखा चित्र है जिसमें समय के सापेक्ष केवल एक ही घर दिया होता है। जैसे, एक फैक्ट्री के एक वर्ष में जनवरी से जून महीने तक उत्पादन का चित्रिय प्रदर्शन को एक घर वाला ग्राफ पर निम्न तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है।

उदाहरण :

तालिका : 8 (x)

माह	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रिल	मई	जून
उत्पादन	5	7.5	5	10	12	15



अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का उपयोग

अर्थशास्त्र का सांख्यिकी से घनिष्ठ संबंध है सन् 1696 ई0 में ही अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के बीच घनिष्ठ संबंध सामने आया जब सर विलियम पैटी की पुस्तक 'पोलिटिकल मैथेमेटिक्स' (Political Mathematics) प्रकाशित हुआ। प्रो0 मार्शल ने सांख्यिकी के महत्व को बहुत पहले ही स्वीकार करते हुए कहा था, "सांख्यिकी वे तृण हैं जिनसे मुझे अन्य अर्थशास्त्रियों की भांति ईंटें बनानी पड़ती हैं।" अर्थशास्त्र की विभिन्न शाखाओं में सांख्यिकी का महत्व क्रमशः निम्न क्षेत्रों में स्पष्टतः देखा जा सकता है -

1. उपभोग के क्षेत्र में : मांग का नियम तथा मांग की लोच पूरी तरह से सांख्यिकी पर निर्भर है।
2. उत्पादन के क्षेत्र में : उत्पादन के समंक माँग एवं पूर्ति में समायोजन करने में सहायता पहुँचाते हैं। आज विश्व के प्रत्येक प्रगतिशील राष्ट्र में उत्पादन की गणना के आँकड़े प्रकाशित किए जाते हैं जिनके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है।
3. विनिमय के क्षेत्र में : समंको के माध्यम से कीमत निर्धारण, लागत मूल्य, भुगतान संतुलन आदि के विश्लेषण में यह बड़ी सहायक है।
4. वितरण के क्षेत्र में : राष्ट्रीय आय की गणना, उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच राष्ट्रीय आय का वितरण आदि में सांख्यिकी बहुत सहायक है।
5. राजस्व के क्षेत्र में : आय एवं व्यय के विवरण को प्रदर्शित करने के लिए, कर-नीति, घाटे की वित्त व्यवस्था, करदेय क्षमता आदि में भी सांख्यिकी अत्यन्त उपयोगी है।

अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में संबंध

अर्थशास्त्र और सांख्यिकी पर अग्रेतर विचार करने पर हम यह पाते हैं कि वास्तव में सांख्यिकी, अर्थशास्त्र की आधारशिला के रूप में उदय हुई है विभिन्न समस्याएँ चाहे वह बेरोजगारी हो, कीमत वृद्धि, निर्यात की समस्याएँ हो, को समझने के लिए अर्थशास्त्री को सबसे पहले उसकी परिमाणात्मक अभिव्यक्ति जरूरी है जो सांख्यिकी की मदद के बिना असंभव है साथ ही समस्याओं की केवल परिमाणात्मक अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि उनकी अन्तर क्षेत्रीय तथा अन्तर समय तुलना के समय भी सांख्यिकी उनकी मदद करता है।

अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्री विभिन्न आँकड़ों के समूहों के कारण-परिणाम संबंध ज्ञात करने के लिए तो प्रयत्नशील होते ही हैं साथ ही समस्याओं का प्रभाव पूर्ण निदान एवं उपचार भी सांख्यिकी की मदद के बिना नहीं कर पाते।

आर्थिक सिद्धांतों को सत्यापित करने में भी सांख्यिकी हमारी पूरी मदद करता है।

अर्थशास्त्री संख्यात्मक अध्ययनों के द्वारा आर्थिक महत्व की घटनाओं में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में विचार प्रकट करने में भी सांख्यिकी उनकी मदद करता है। फिर चाहे नीतियों के निर्माण की बात हो या फिर आर्थिक संतुलन की बात। सारे आर्थिक कार्यों में सांख्यिकी कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी रूप से हमारी मदद को सतत तत्पर रहता है।

अभ्यास के प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है
(क) एकवचन में (ख) बहुवचन में (ग) दोनों में (घ) इनमें से कोई नहीं
2. सांख्यिकी से अनिप्राय है
(क) समक (ख) सांख्यिकीय विधियाँ (ग) दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं
3. सांख्यिकी के जन्मदाता माने जाते हैं
(क) मार्शल (ख) डॉउले (ग) गौटफ्राइड आर्केनबाल (घ) इनमें से कोई नहीं
4. आँकड़ों के स्रोत है
(क) केवल प्राथमिक (ख) केवल द्वितीयक (ग) दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं
5. अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आँकड़े कहलाते हैं
(क) प्राथमिक आँकड़ा (ख) द्वितीयक आँकड़ा (ग) दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं
6. जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे कहते हैं
(क) संगणना अनुसंधान (ख) न्यादर्श अनुसंधान (ग) व्यवहारिक अनुसंधान (घ) इनमें से कोई नहीं
7. जब समग्र की चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो इसे कहते हैं
(क) व्यावहारिक अनुसंधान (ख) निदर्शन अनुसंधान (ग) संगणना अनुसंधान (घ) इनमें से कोई नहीं

अति लघुउत्तरीय प्रश्न

1. सांख्यिकी क्या है ?
2. एकवचन रूप में सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए।
3. बहुवचन रूप में सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए।
4. सांख्यिकी का पिता किन्हे कहा जाता है ?
5. सांख्यिकी की कोई दो विशेषताएँ बताएँ।
6. आँकड़े क्या हैं ?
7. आँकड़ों के दो मुख्य स्रोत क्या हैं ?
8. प्राथमिक आँकड़ों से आप क्या समझते हैं ?
9. प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या है ?
10. प्रकाशित आँकड़े क्या है ?
11. अप्रकाशित आँकड़े क्या है ?
12. आँकड़ों के संकलन की प्रमुख रीतियाँ क्या है ?

लघुउत्तरीय प्रश्न

1. सांख्यिकी को एकवचन एवं बहुवचन रूप में परिभाषित कीजिए।
2. आँकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाओं एवं सांख्यिकीय उपकरणों के नाम बताइए।
3. सांख्यिकी की तीन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें।
4. प्राथमिक आँकड़ों का अर्थ बताइए।
5. द्वितीय आँकड़ों से आप क्या समझते हैं ?
6. डाक प्रेषण प्ररनावली द्वारा आँकड़े संग्रहण को संक्षेप में लिखें।
7. प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
8. संगणना विधि क्या है ?
9. निदर्शन विधि से क्या समझते हैं ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. सांख्यिकी से क्या समझते हैं ? इसकी विशेषताओं को भी लिखें।
2. सांख्यिकी को एकवचन एवं बहुवचन रूप में परिभाषित करें।
3. "सांख्यिकी को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका संबंध सांख्यिकीय आँकड़ों के विश्लेषण से है" उदाहरण के साथ समझाएँ।
4. प्राथमिक आँकड़े क्या हैं ? इन्हें संग्रहित करने की विभिन्न रीतियाँ बताएँ।
5. द्वितीयक आँकड़ों से क्या समझते हैं ? इन्हें एकत्रित करने के विभिन्न स्रोत कौन-कौन से हैं ?
6. संगणना विधि क्या है ? इसके गुण एवं दोष बताएँ।
7. निदर्शन की विभिन्न रीतियों को बताइए। निदर्शन रीति के गुण-दोष बतलाइए।